AN ISO 9001:2008 Company

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
Hindustan Prefab Limited

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

पंजीकृत कार्यालय :

जंगपुरा, नई दिल्ली–110014

फोन – 011-43149800-899, फैक्स – 011-43149865

ई – मेल : **hindprefab@gmail.com** वेबसाइट : **www.hindprefab.org**

ISO Regn: एस–1910799 आईएन, CIN No. U74899DL1953GOI002220

लेखापरीक्षक :

सी.पी. चोपड़ा एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

31–एफ, कनॉट प्लेस,

नई दिल्ली–110001

आईसीएआई पंजी. नं. 000346एन

टेलीफोन: 011.23313495.7

फैक्स: 011.23713516

ई–मेल: **spc1949@spchopra.in**

बैंकर :

भारतीय स्टेट बैंक

पंजाब नैशनल बैंक

बैंक ऑफ बड़ौदा

केनरा बैंक

सिंडिकेट बैंक

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

विषय सूची

♦ निदेशक मण्डल	–	1
♦ अध्यक्ष महोदय का संबोधन	–	2
♦ सूचना	–	7
♦ निदेशक महोदय की रिपोर्ट	–	12
♦ लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	–	62
♦ भारत के नियंत्रक एवं ऑडिट जनरल की टिप्पणियां	–	74
♦ तुलन पत्र	–	76
♦ नफा और नुकसान खाता	–	77
♦ नकदी प्रवाह विवरण	–	78

निदेशक मण्डल

श्री राजेश गोयल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजीव रंजन मिश्रा, आईएएस
अति. सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

श्रीमती झंजा त्रिपाठी
संयुक्त सचिव, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय

श्री संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.के.एन. भट्ट
अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड की आम सभा में अध्यक्षीय संबोधन

सम्मानित शेयरधारकगण,

कंपनी की 64वीं आम सभा की बैठक में कंपनी के शेयर धारकों का हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड़ के निदेशक मण्डल की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कंपनी के वित्तीय वर्ष 2016–17 के लेखापरीक्षित लेखे, निदेशकों का प्रतिवेदन, लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन पहले ही आपको भेजे जा चुके हैं। आपकी सम्मति से मैं इन्हें पढ़ा हुआ मानता हूँ।

भारत तीव्रता से शहरीकरण से ओर बढ़ रहा है। 2011 में 31 प्रतिशत शहरी जनसंख्या के 2050 तक बढ़कर 50 प्रतिशत जाने की संभावना है। इस तीव्र गति से बढ़ रहे शहरीकरण का सामना करने के लिए भारतीय शहरों के नए शहरी परिवारों को बसाने के लिए भारी मात्रा में अतिरिक्त आवास स्टॉक सृजित करने की जरूरत तो पड़ेगी ही साथ ही वर्तमान भाहरी आवास की कमी को भी पूरा करना होगा जो 2012 में 18.98 मिलियन थी। हाल ही में भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना ''2022 तक सबके लिए आवास'' बनायी है, जिसमें कुल कमी को पूरा करना आवश्यक बनाया गया है जो न केवल नई बढ़ रही जनसंख्या का ध्यान तो रखेगी ही बल्कि पुरानी आबादी को भी घर दिया जायेगा। इसके अंतर्गत 2022 तक भाहरी क्षेत्रों में ही लगभग 20 मिलियन आवासीय यूनिटों का निर्माण करना होगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवास प्रदायगी वर्तमान स्तर से लगभग दो गुनी करनी होगी। वर्तमान निर्माण विधियों से भारी पैमाने पर मकान बनाना लगभग असंभव ही दिखाता है। अतः प्री–इंजीनियर्ड भवन घटक और अन्य अभिनव प्रौद्योगिकियों जैसी तीव्र निर्माण प्रौद्योगिकियों की जरूरत होगी जिन्हें चुनौती का सामना करने के लिए प्रभावकारी ढंग से लागू करना होगा। इसी संदर्भ में एचपीएल से इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद की जाती है। इससे प्रीफैब आवास निर्माण के

लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श या कार्यान्वयन एजेंसी के लिए अन्य प्रकार के समर्थन जैसे तृतीय पक्ष निरीक्षण, गुणता नियंत्रण और अन्य ऐसे पथों को खोले जाने से एचपीएल को भारी अवसर मिलेंगे।

वित्तीय व प्रचालन निष्पादन

पिछला वर्ष पूरे निर्माण क्षेत्र के लिए बड़ा चुनौतियों भरा रहा है, मुख्यतः नवंबर, 2016 में विमुद्रीकरण के कारण, जिसके परिणामस्वरूप सामग्री और मानव शक्ति की उपलब्धता अस्थायी रूप से धीमी हो गई। सरकार के विनिवेश के निर्णय से भी कंपनी प्रभावित हुई, इससे कंपनी के कर्मचारियों के मनोबल और ग्राहकों के विश्वास पर प्रभाव पड़ा।

मुझे आपको यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि भारी चुनौतीपूर्ण व्यापारिक वातावरण के होते हुए भी, एचपीएल इस वर्ष के लिए भी अपनी लाभप्रदत्ता बनाये रखी है और वर्ष 2016–17 के वित्तीय वर्ष के लिए 5.70 करोड़ रू. का निवल लाभ अर्जित किया। तीन वर्ष पहले जो नेट–बर्थ 9 करोड़ रू. के स्तर पर थी बढ़कर 30.11 करोड़ रू. हो गई है। एचपीएल ने 2008–09 में अपने पुनर्गठन के बाद से सरकार से कोई बजटीय समर्थन प्राप्त नहीं किया है और हाल ही के वर्षों में अपनी वित्तीय स्थितियों को सुदृढ़ किया है।

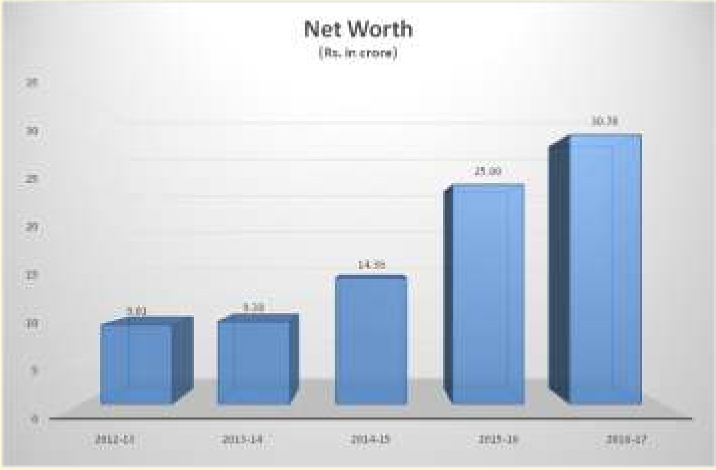

यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि एचपीएल के पास 100 से अधिक परियोजनाएं चल रही हैं। एचपीएल द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्यों में ईएसआईसी, एनडीआरएफ, असम राइफल, छत्तीसगढ़, केरल में पर्यटन परियोजनाएं, झारखंड में क्यू परिसर तथा पीएनबी की विभिन्न परियोजनाएं भाामिल हैं। एचपीएल नए व्यापार के लिए अनेकों बड़े ग्राहकों से सक्रिय रूप से संपर्क कर रही है।

वसूलियों पर एक बड़ा प्रयास किया गया और हमारे प्रयास फलीभूत हुए और काफी लंबे समय से बकाया राशि के लगभग 7 करोड़ रु. की वसूली की गई।

इसके अतिरिक्त, परिचालन मोर्चे पर भी एचपीएल को वैकल्पिक भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों, विशेषकर पीएमएवाई के अंतर्गत प्रयोग के लिए अपनाने और प्रचार–प्रसार करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभानी है।

इस दिशा में एचपीएल ने 'आवासीय प्रौद्योगिकी पार्क' का विकास किया है जिसका उद्घाटन भारत के माननीय उप राष्ट्रपति तथा तत्कालीन मान्नीय केंद्रीय भाहरी विकास, हुपा एवं आईबी मंत्री द्वारा 5 अक्तूबर, 2016 को किया गया था। इस अद्भुत प्रौद्योगिकी पार्क में वैकल्पिक आवास निर्माण प्रीफैब प्रौद्योगिकी को दर्शाया गया है जिसका प्रयोग आवास बनाने में किया जा सकता है। इस पार्क का विकास जंगपुरा स्थित दो एकड़ क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और अन्य हितधारकों की सहायता से किया गया है। यह प्रौद्योगिकी पार्क हितधारकों को उनके संबंधित उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकियों की पहचान करने, प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन करने और उनकी तुलना करने का विकल्प प्रदान करता है।

विभिन्न हितधारकों, राज्यों से सरकारी अधिकारियों सहित, निजी क्षेत्र, उद्यमियों, इंजिनियरिंग और वास्तुकला महाविद्यालयों आदि के छात्रों के लिए नियमित रूप से दौरों की व्यवस्था की जाती है। वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी पार्क में 1000 से अधिक व्यवसायियों और छात्रों ने दौरा किया। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि दिसंबर 2016 में आयोजित एपीएमसीयूडी सम्मेलन में आये प्रतिनिधियों ने फील्ड ट्रिप के रूप में प्रीफैब प्रौद्योगिकी पार्क का दौरा किया और एचपीएल को एशिया–प्रशांत देशों और अन्य हितधारकों के 250 से भी अधिक प्रतिनिधि मंडलों के आतिथेय का सुअवसर प्राप्त हुआ।

इसके अतिरिक्त, एचपीएल गुवाहाटी, रांची, देहरादून, दिल्ली आदि सहित देश भर में विभिन्न आयोजनों/प्रदर्शनियों/ हितधारकों के साथ चर्चाओं का लगातार आयोजन करता रहता है! एचपीएल ने प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले सहित देश के विभिन्न भागों में अनेकों प्रदर्शनियों में भी भाग लिया है। जहां प्रीफैब प्रौद्योगिकियों से बने मकानों का प्रदर्शन किया गया तथा आगंतुकों द्वारा इनकी काफी सराहना की गई। हितधारकों में इन प्रौद्योगिकियों का प्रचार करने के लिए काफी प्रकाशन भी निकाले गए हैं।

'डिजीटल इंडिया' के अंतर्गत संकल्पनाओं को लागू करने के लिए एचपीएल ने 100ः कैशलैस लेन–देन सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रिया में संशोधन किया है। आपातकाल को छोड़कर किसी से भी न तो नकद लिया जाता है और न ही नकद दिया जाता है। एचपीएल ने अपने कर्मचारियों को संवेदन ीील बनाने के लिए कई पहलें की हैं और विभिन्न प्रि ाक्षण सत्रों का आयोजन किया है ताकि कामगार इन सब बातों को समझ लें।

एचपीएल का विनिवेश

भारत सरकार प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ आवासन और भाहरी कार्य मंत्रालय और एचपीएल में समय–समय पर भारत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशकों के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास धारित शत–प्रतिशत इक्विटी

शेयरधारिता का इसी प्रकार के सीपीएसई को प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया द्वारा इक्विटी शेयरों की बिक्री के माध्यम से विनिवेश करना चाहती है। सरकार ने संपत्ति मूल्यांकक, कारोबारी सलाहकार (टीए) और विधि सलाहकार (एलए) की पहले ही नियुक्ति कर दी है। अपर सचिव, (एमयूएचए) के साथ टीए, के एलए और एचपीएल के साथ हुई विभिन्न बैठकों के आधार पर 26.07.2017 को आरंभिक सूचना ज्ञापन/हित अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर दी गई है। हित अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए आरंभिक सूचना ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है और एचपीएल विनिवेश की प्रक्रिया में सभी संभव सहायता दे रही है।

समझौता ज्ञापन

आपकी कंपनी ने 29 जून, 2017 को मंत्रालय के साथ वर्ष 2016–17 के लिए वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। एचपीएल उत्कृष्ट श्रेणी के लिए 340 करोड़ रू. के कारोबार की प्रतिबद्धता जताई है। तथापि, जैसा पहले बताया गया है विशिष्ट अवरोधों के बावजूद, वर्ष के दौरान प्रचालन उपलब्धियों की गति धीमी रही, जिन पर एचपीएल का कोई सीधा नियंत्रण नहीं था। फिर भी, एचपीएल ने अपने पूरे दल बल के अथक प्रयासों से चल रही परियोजनायों में अपनी लाभप्रदता और वृद्धि बनाये रखी है।

निगमित भाासन

मुझे यह सूचित करते हुए हर्श हो रहा है कि आपकी कंपनी लोक उद्यमों के लिए निगमित भाासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कर रही है। निगमित भाासन और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट को वित्तीय वर्श 2016–17 की वार्शिक रिपोर्ट में भाामिल किया गया है। वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति सरकार द्वारा की गयी है और एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्दे ाों के अनुपालन में कंपनी में लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति विद्यमान हैं।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

एचपीएल अपने व्यापारिक कार्यकलापों में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व में उच्चतम मानकों को बनाए रखने के प्रति

प्रतिबद्ध है। कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने में अरूणाचल प्रदेश राज्य को एक एम्बुलेंस खरीदने के लिए 12,56,000 रू. का योगदान दिया।

इस अवसर पर मैं अपने सभी सहयोगियों विशेषकर निदेशकों का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपना असीम योगदान दिया और विभिन्न मुद्दों पर अभिनव जानकारियां दी। मैं, आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, राज्य सरकारों, कन्सलटेंट्स, ठेकेदारों, मुख्य लोक उद्यमों, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, संवैधानिक लेखा–परीक्षकों, ग्राहकों, वास्तुविदों व विभिन्न परियोजनाओं के हितधारकों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिनका हमें पूरा सहयोग मिला। मैं एच.पी.एल. परिवार के कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने अथक प्रयास किए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रीफैब इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास व उत्पादन में नई ऊचाईयां छूने में इन सभी का सहयोग व योगदान लगातार मिलता रहेगा।

जय हिंद,

(राजेश गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29.09.2017

नोटः इसे आम सभा की कार्यवाही का हिस्सा न समझा जाए।

AN ISO 9001:2008 Company

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)
जंगपुरा, नई दिल्ली–110014
फोन – 011-43149800-899, फैक्स – 011-43149865
ई – मेल : hindprefab@gmail.com
वेबसाइट : www.hindprefab.org
CIN No. U74899DL1953GOI002220

सूचना

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड क शेयर धारको की 64वीं आम सभा सोमवार 29 सितम्बर 2017 के अपराह्न 03:30 बजे हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा, नई दिल्ली – 110014 के पंजीकृत कार्यालय में निम्नलिखित कार्यचालन के लिए होगी:–

<u>साधारण कार्य</u>

1. निम्न संकल्प पर विचार तथा साधारण संकल्प के रूप में उसे आवश्यक हो तो संशोधन करके या बिना संशोधन के पास करना:

   31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा के साथ ही साथ निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।

2. वर्ष 2017–18 के लिए सांविधिक लेखाकारों का पारिश्रमिक

   निम्न संकल्प पर विचार करना तथा साधारण संकल्प के रूप में उसे आवश्यक हो तो संशोधन करके या बिना संशोधन के पास करना करना:

   संकल्प किया जाता है कि हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया जाता है कि वे भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, निर्धारित करें।

<u>विशेष कार्य</u>

3. अतिरिक्त निदेशक, श्री सुरेंद्र कुमार नटवरलाल भट्ट का नियमितीकरण

   निम्न संकल्प पर विचार करना और साधारण संकल्प के रूप में यदि आवश्यक समझा जाये तो संशोधन करके या बिना संशोधन के पास करना :

   संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 व 161 और कोई अन्य लागू उपबंध, यदि कोई हो, के अनुपालन में, श्री सुरेंद्र कुमार नटवरलाल भट्ट, जिन्हें 28 जून, 2016 को अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया गया था, को एतद्द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वह आवर्तन के अनुसार सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

   यह भी संकल्प किया जाता है कि श्री राजेश गोयल, कंपनी के प्रबंध निदेशक, को एतद्द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार के पास संबंधित फॉर्म दायर करने ऐसे अन्य कृत्य, विलेख और चीजें करने को प्राधिकृत किया जाता है तो उक्त नियुक्ति के संबंध में आवश्यक समझी जाएं।

4. कंपनी के अंतर्नियमों में परिवर्तन

   निम्न संकल्प पर विचार तथा उसे विशेष संकल्प के रूप में आवश्यक हो तो संशोधन करके या बिना संशोधन के पारित करना:–

   संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार (उसमें किन्हीं संशोधनों सहित अथवा उसके पुनःअधिनियमन सहित) ("अधिनियम") के साथ पठित कंपनी (समावेशन) नियम, 2014 के नियम 33 के उपबंधों के अनुसरण में, कंपनी के अंतर्नियमों के खंड 66क को एतद्द्वारा निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

''किसी कंपनी में नियुक्त अंशकालीन निदेशक कंपनी में निदेशक मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए 20000/रू. (बीस हजार रू. मात्र) से अनधिक और उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 15,000/रू. (पंद्रह हजार रू. मात्र) से अनधिक बैठक शुल्क के रूप में परिश्रमिक के पात्र होंगे।''

यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए निदेशक मंडल को एतदद्वारा सभी कृत्य, विलेख और चीज, प्रलेख निष्पादन और ऐसी सभी फाइलिंग करना जो उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो और ऐसे सभी कदम उठाना जो इस दिशा में अनिवार्य अथवा वांछनीय समझे जाएं और उद्भूत हो सकने वाले किन्हीं प्रश्नों अथवा समस्याओं, कुछ भी हों, का निपटारा करना।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह0/–
(शिवानी भारद्वाज)
कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.09.2017

टिप्पणियाँ

1. किसी भी सदस्य को जिसे बैठक में भाग लेने तथा मत देने हक है को बदले में भाग लेने के लिए किसी परोक्षी को नियुक्त करने का अधिकार होगा। परोक्षी के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी नामांकन का फॉर्म बैठक प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पहले कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराना होगा। परोक्षी नामांकन फॉर्म संलग्न है।

2. वार्षिक आम सभा के दौरान, सांविधिक लेखा परीक्षण रिपोर्ट पर प्रबन्धन के जवाब, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी विचार के लिए सामने रखी जाएगी।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अन्तर्गत अल्प सूचना पर बैठक बुलाने के लिए सभी शेयरधारकों की सहमति ले ली गई ।

सेवा में,

1. कम्पनी के सभी शेयर धारक

2. कम्पनी के सभी निदेशक

3. **मेसर्स एस.पी. चोपड़ा एण्ड कम्पनी**, चार्टर्ड लेखाकार , सांविधिक लेखा परीक्षक

4. सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड और निदेशक, कमर्शियल ऑडिट–III

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के उपबंधों के अनुसरण में स्पष्टीकारक विवरण

मद संख्या 3 : श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्‌ट का कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्ति

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 161 के उपबंधों और लागू अधिनियम के अन्य सभी उपबंधों, यदि कोई हो, के साथ पठित कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम 2014 (''उक्त नियम'') के अनुसरण में श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्‌ट को कंपनी के निदेशक मंडल ने 28 जून, 2016 को हुई बैठक में अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया था कि वह कंपनी की आगामी साधारण बैठक की तारीख तक पदासीन रहेंगे।

कंपनी ने श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्‌ट से पहले ही प्राप्त किया हैः

I उक्त नियमों के नियम 8 के अनुसरण में फॉर्म डीआईआर–2 में निदेशक के रूप में कार्य करने की लिखित में सहमति, और

II उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार तदर्थक कि वह अधिनियम की धारा 164 की उप–धारा (2) और उसके अंतर्गत बने नियमों के अधीन अयोग्य नहीं है, की फॉर्म डीआईआर–8 में सूचना।

निदेशक मंडल की राय में, श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्‌ट, गैर–कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव था, अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं।

संकल्प श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्‌ट को कंपनी के बोर्ड में गैर–कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदन चाहता है, वह आवर्तन के अनुसार सेवानिवृत्त नहीं होंगे।

अन्यथा और उपरोक्त के सिवा, कोई भी अन्य निदेशक/कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक/ उनके संबंधी, किसी भी प्रकार से, सूचना के संकल्प संख्या 6 से संबंधित अथवा हितबद्ध, वित्तीय अथवा अन्यथा नहीं है/हैं। इसलिए, श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्‌ट की अधिनियम के लागू उपबंधों के निबंधनों के अनुसार गैर–कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति को साधारण संकल्प पारित करके सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त करना प्रस्तावित किया जाता है।

मद संख्या 4 : कंपनी के निदेशक मंडल ने 1 सितंबर, 2017 को हुई अपनी बैठक में कंपनी के अंतर्नियमों में निम्नलिखित तरीके से परिवर्तन करने का निर्णय लिया :

अंतर्नियम 66 (क) अंशकालीन निदेशकों के बैठक शुल्क से संबंधित।

वर्तमान अंतर्नियम 66 (क) कंपनी के अंशकालीन निदेशकों को निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 4000/रू. से अनधिक और उसकी समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 3000रू.

से अनधिक बैठक शुल्क के रूप में बोर्ड द्वारा समय–समय पर जैसा निर्णय लिया जाए, परिश्रमिक पाने की व्यवस्था करता है। बैठक शुल्क के 20,000/रू. और 15,000/रू. का भुगतान करने के लिए कंपनी के अंतर्नियमों का परिवर्तन अपेक्षित है। इसलिए, बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान सुविधाजनक करने के लिए निदेशक मंडल ने वर्तमान अंतर्नियम 66 (क) को परिवर्तित करने की सिफारिश की है और बोर्ड को पुष्टिकरण का अधिकार दिया है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निदेशकों को संदेय बैठक शुल्क की मात्रा का निर्णय करे।

वर्तमान खंड के अनुसार, कंपनी के अंशकालीन निदेशक कंपनी में निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए 4000/रू. से अनधिक और उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए 3000/रू. से अनधिक बैठक शुल्क के रूप में पारिश्रमिक बाजार मानकों को पूरा नहीं करता है। इसलिए, वर्तमान अंतर्नियम 66 को खंड (क) नए खंड से प्रतिस्थापित किया गया है।

अधिनियम की धारा 14 के अनुबंधनों से कंपनी संस्था के अंतर्नियमों में किसी संशोधन/परिर्वतन को विशेष संकल्प के द्वारा कंपनी के सदस्यों का अनुमोदन अपेक्षित है।

मंडल बैठक बुलाये जाने की मद संख्या 4 में दिये हुए संकल्प की विशेष संकल्प के द्वारा सदस्यों के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ संस्तुति करता है।

कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और उनका कोई संबंधी उक्त संकल्प में वित्तीय अथवा अन्यथा हित नहीं रखता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

ह॰/–

(शिवानी भारद्वाज)

कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 01.09.2017

निदेशकों की रिपोर्ट

सम्मानित शेयरधारकों

आपकी कंपनी के निदेश, वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कम्पनी के सभी क्षेत्रों में कार्यनिष्पादन और क्रियाकलापों अंकेक्षित वार्षिक लेखाओं और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार, इस वार्षिक रिपोर्ट में निगमित शासन संबंधी रिपोर्ट **(अनुलग्नक–1)** पर और प्रबंधन परिचर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट **(अुनलग्नक–2)** भी शामिल की गई है। एक पेशवर कम्पनी सचिव द्वारा निगमित शासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र द्वारा सम्पूरक भी **अनुलग्नक "1क"** में दिया गया है।

1. वित्तीय निष्पादन

आपके निदेशकों को यह सूचना करने हुए हर्ष हो रहा है कि काफी चुनौतीपूर्ण व्यापारिक वातावरण के होते हुए भी एचपीएल वित्तीय वर्ष 2016–17 में 5.70 करोड़ रू. का निवल लाभ दर्ज किया है। नेट–वर्थ 30.11 करोड़ तक हो गई है जो तीन वर्ष पहले 9 करोड़ रू. थी। एलपीएल ने अपने पुनर्गठन के पश्चात् 2008–09 से सरकार से बजटीय समर्थन नहीं लिया है और हाल ही के वर्षों में अपनी वित्तीय स्थितियों को मजबूत किया है।

इस वर्ष में व्यापक विकास हुए हैं, जिनका एचपीएल के प्रचालनों पर प्रभाव पड़ा है, जिनमें मुद्रा के विमुद्रीकरण का प्रभाव भी शामिल है, जिसके कारण सामग्री और श्रम की आपूर्ति पर व्यापक प्रभाव पड़ा एक तरह से यह नगण्य हो गई। दुर्भाग्यवश विमुद्रीकरण उस समय पर आया जिस समय निर्माण उद्योग का कार्य शिखर पर होता है और तदनुसार इस सैक्टर को वर्ष के दौरान गंभीर चुनौतियों का समाना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, एचपीएल के विनिवेश की प्रक्रिया आरंभ होने से भी अपने प्रचालन निश्पादन को बनाये रखने और अपने ग्राहकों को निरंतर विश्वास सुनिश्चित करने तथा कार्यबल का मनोबल बनाये रखने जैसी चुनौतियां सामने आई जिन्होंने काफी प्रभावित किया। तथापि, इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी, एचपीएल ने सराहनीय कार्य किया और वर्ष 2016–17 में लाभप्रदता दर्ज की।

क. वित्तीय विशिष्टियां

2016–17 के दौरान, एचपीएल को परिचालनात्मक निष्पादन काफी महत्वपूर्ण रहा है, प्रतिकूल वातावरण के बावजूद भी 260.20 करोड़ रु. का कारोबार प्राप्त किया और 5.70 करोड़ का निवल लाभ हुआ।

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016–17	2015–16
टर्न ओवर	260.20	423.23
कर–पश्च निवल लाभ / (हानि)	5.22	10.05
नेट–वर्थ	30.11	24.41
ई पी एस	4.84	7.40

ख. राजकोष में योगदान

(₹ करोड़ में)

		2016–17	2015–16
i.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर	3.76	9.41
ii.	विक्रय कर तथा निर्माण संविदा कर	7.45	12.56
iii.	आय कर	2.93	2.74
	योग	14.14	24.71

ग. पूंजी संरचना

(₹ करोड़ में)

		2016–17	2015–16
i.	प्राधिकृत पूंजी	138.00	138.00
ii.	प्रदत्त पूंजी	134.77	134.77

घ. लाभांश

पहले के वर्षों की संचयी हानियों को देखते हुए और प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार, कंपनी वर्ष 2016–17 के लिए लाभांश धोषित करने की पात्र नहीं है। तदनुसार, निदेशक वर्ष 2016–17 में किसी लाभांश के भुगतान की सिफारिश नहीं करते।

ड. बेदावा लाभांश को निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित करना

चूंकि पिछले वर्ष कोई लाभांश /अदत्त लाभांश नहीं था अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की उप धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते।

2. व्यापारिक परिचालनों की समीक्षा और भावी संभावनाएं

आपकी कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान नए भारत के निर्माण में सहयोग के लिए, परियोजना प्रबंधन परामर्श, से संबंधी विभिन्न विकासशील परियोजनाओं को लेना जारी रखा। एचपीएल का फोकस बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं पर रहा विशेषकर आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अपने अधिदेश के एक भाग के रूप में भी, एचपीएल देश भर में, प्रीफैब प्रौद्योगिकी के प्रचार और प्रसार तथा इसे अपनाने का समर्थन करना जारी रखा है, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत आवास निर्माण में। इसके लिए, इस प्रक्रिया में विभिन्न हितधारको को लगाने के काफी पहल प्रयास किये गए हैं जिनकी काफी प्रशंसा हुई है और एचपीएल ने प्रीफैब क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान, पर्यावरण में काफी चुनौतियों के बावजूद विभिन्न परियोजनाएं हाथ में लेने के साथ नया व्यापार आरंभ किया है जो एचपीएल की वृद्धि को सुस्थिर रखेगा।

आपके निदेशक वर्ष 2016–17 के दौरान अपने परिचालनों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं:–

I परियोजनाएं

आज, एचपीएल सिविल निर्माण परियोजनाओं, जिनमें विभिन्न सरकारी स्कीमों के अंतर्गत जन आवास परियोजनाएं, शैक्षिक, अस्पताल, वाणिज्यक और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य संस्थागत भवन शामिल हैं, में परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाएं प्रदान करने में एक अग्रणी सीपीएसई में से एक है। एचपीएल को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन में, परम्परागत और प्रीफैब प्रौद्योगिकी दोनों में ही, गुणता और समय पर समाप्ति सुनिश्चित की जाती है।

एचपीएल क पास 31.03.2017 को 100 से भी अधिक परियोजनाएं चल रही हैं 886.41 करोड़ रू. पाइपलाइन में है। एचपीएल द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्यों में ईएसआईसी, एचडीआरएफ, असम राइफल, छत्तीसगढ़, केरल मं पर्यटन परियोजनाएं, झारखंड में क्यू परिसर तथा पीएनबी की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। एचपीएल नए व्यापार के लिए अनेकों बड़े ग्राहकों से सक्रिय रूप से संपर्क कर रही है।

आपके निदेशकों को यह सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 दिसंबर, 2016 को वाराणसी में ईएसआईसी के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की आधारशिला रखी, जिस पर अब कार्य चल रहा है। इस परियोजना में प्रीफैब प्रौद्योगिकी को शामिल करने के महत्वपूर्ण प्रयास किये गए और वर्तमान भवन का विस्तार कार्य एलजीएस प्रौद्योगिकीयों से किया जा रहा है।

Fig. 1

Fig. 2

आपके निदेशक आपको यह भी सूचित करना चाहेंगे कि मिज़ोरम में सैनिक स्कूल का उद्घाटन भी श्री लालथनवाला, माननीय मुख्यमंत्री मिज़ोरम, द्वारा किया गया। उन्होंने अत्यंत दुर्गम भू–भाग में इस परियोजना के समय–सीमा के भीतर पूरा करने में एचपीएल के प्रयासों की भुरी–भुरी प्रशंसा की।

Fig. 3

आपकी कंपनी देवधर, झारखंड में क्यू–परिसर की एक बड़ी परियोजना को को निष्पदित कर रही है, जहां कुछ वर्ष पहले त्यौहारी मौसम के दौरान मंदिर में भारी संख्या आये यात्रियों के कारण भगदड़ मच गई थी। परियोजना का पहला चरण समाप्त हो गया है और श्रावणी मेला, 2017 के दौरान उसका प्रयोग किया गया। इसका यात्रियों के साथ–साथ झारखंड के माननीय मुख्य मंत्री और मुख्य सचिव द्वारा परिसर के अपने दौरों के दौरान काफी प्रशंसा की।

एचपीएल छत्तीसगढ़ और केरल में बड़ी पर्यटन परियोजनाओं पर भी कार्य कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यअकों के लिए सुख सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। एचपीएल द्वारा पर्यटकों के लिए बनायी जा रही लॉग–हट्स की सरकार के साथ–साथ पर्यटकों द्वारा व्यापक सराहना की जा रही है।

एचपीएल सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दे रही है और इसने छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड कारदार में सौर जल पम्पिंग के लिए सौर विद्युत योजना को कार्यान्वित किया है।

एचपीएल ने बद्दी बरोतीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) के लिए बद्दी में विभिन्न स्थानों पर 6 नग 10 सीर वाले चल जैव शौचालयों की परियोजना को भी हाथ में लिया है। साथ ही, ईईएसएल के लिए प्रीफैब फास्ट ट्रैक भवन प्रौद्योगिकी प्रयोग करते हुए 'स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) प्रीफैब्रिकेटिड शौचालय ब्लॉकों का कार्य भी हाथ में लिया है।

II प्रीफैब सैक्टर में एचपीएल के पहल प्रयास

आपके निदेशकों को यह सूचित करते हुए गर्व हो रहा है कि, वर्ष के दौरान एचपीएल ने इस सैक्टर में अनुकरणीय योगदान दिया है कि नीति निर्माताओं, उद्यमियों के साथ–साथ अन्य हितधारकों ने अपनी स्वीकार्यता में अपना अवगम्य परिवर्तन दर्शाया। इस पहल प्रयास का परिणाम यह हुआ कि, मंत्रालय के मार्गदर्शन में, यह धरातल पर भूर्तरूप ले रही है और देश भर में अनेकों परियोजनाओं में वैकल्पिक प्रौद्योगिकीयों का प्रयोग किया जा रहा है।

प्रीफैब प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए, भारी संख्या में पीएमएवाई के लिए आवासों को पूरा करने के लिए, एचपीएल परिसर में लगभग 5 एकड़ के क्षेत्र में एक 'प्रीफैब प्रौद्योगिकी पार्क' की स्थापना की गई है जिससे किफायती और तीव्र निर्माण के लिए उभर रही निर्माण प्रौद्योगिकी पर सूचना का प्रसार किया जा सकेगा। यह प्रौद्योगिकी पार्क विभिन्न अभिनव प्रीफैब्रीकेटिड प्रौद्योगिकीयों का एक स्थान पर एक मंच होगा जो ''2022 तक सबके लिए आवास'' स्कीम के समाधान में मुख्य भूमिका निभायेगा।

भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति और तत्कालीन माननीय शहरी विकास हुपा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने एचपीएल आवास प्रौद्योगिकी पार्क का यूडी, हुपा और योजना (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री और सचिव हुपा की उपस्थिति में 5 अक्तूबर, 2016 को उद्घाटन किया। उभर रही विभिन्न प्रीफैब प्रौद्योगिकीयों को दर्शाने में एचपीएल के पहल प्रयास का माननीय मंत्री जी ने और उद्घाटन समारोह में उपस्थित मीडिया ने काफी प्रशंसा की।

एचपीएल गुवाहाटी, रांची, देहरादून, दिल्ली आदि सहित देश भर में हितधारकों के साथ विभिन्न इवेंट/प्रदर्शनियां/चर्चाएं लगातार आयोजित करता रहता है।

एचपलएल ने, प्रगति मैदान स्थित भारतीय अंतरराश्ट्रीय व्यापार मेले सहित, देश के विभिन्न भागों में अनेकों प्रदर्शनियों में भाग लिया जहां प्रीफैब प्रौद्योगिकीयों से बने आवासों का निर्माण कर प्रदर्शन किया गया जिनकी आगंतुकों ने काफी प्रशंसा की। हितधारकों में इन प्रौद्योगिकीयों का प्रसार करने के लिए काफी संख्या में प्रकाशन भी तैयार किये हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी ने परियोजना प्रबंधन परामर्श संबंधी विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को लेना और इस प्रकार राष्ट्र को नव भारत बनाने के मिशन में सहयोग देना जारी रखा। एचपीएल का मुख्य ध्यान बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को लेने का रहा विशेषकर आवास, भौक्षिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अपने अधिदे ा के एक भाग के रूप में, एचपीएल ने देश भर में प्रीफैब प्रौद्योगिकियों को अपने के प्रचार व प्रसार में, विशेषकर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण में समर्थन देना जारी रखा। इस दिशा में हितधारकों को इस प्रक्रिया में जोड़ने के काफी पहल प्रयास किए गए, जिनकी काफी सराहना की गई और एचपीएल ने प्रीफैब सेक्टर में अपना काफी नाम कमाया है। इसके अतिरिक्त, वातावरण में विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, एचपीएल अपनी भावी वृद्धि के लिए काफी बड़ी परियोजनाओं को हाथ में लेकर नया व्यापार सृजित कर सकी है।

III व्यापार विकास

निदेशकों को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी कंपनी ने वर्ष 2016–17 में 700 करोड़ रू. का नया व्यापार प्राप्त किया है।

वर्तमान में, एचपीएल को केंद्र और राज्य सरकारों तथा पीएसयू की ओर से देश भर में 1500 करोड़ रू. (लगभग) तक के विभिन्न कार्य मिले हैं। कंपनी द्वारा लिये गए मुख्य कार्य छत्तीसगढ़ राज्य में पर्यटन संबंधी सुख सुविधाओं का विकास, एनडीआरएफ के लिए गाजियाबाद और लुधियाना में अवसंरचना विकास कार्य, रायपुर, गोवा, आसनसोल, सीतापुर, आगरा, जोधपुर, लुधियाना और वाराणसी में ईएसआईसी के लिए निर्माण कार्य, ईड्डुकी में ईको–टूरिज्म सर्किट का विकास नागालैंड में असम राइफल के निर्माण कार्य, होशियारपुर और गुरदासपुर में पीएनबी, आरएसईटी भवनों का निर्माण आदि हैं। 700 करोड़ रू. के विभिन्न कार्यों पर बातचीत चल रही है।

IV. भावी परिदृश्य

भारतीय निर्माण उद्योग 12वीं पंचवर्षीय योजना में (2013–2017) के दौरान अवसंरचनात्मक कमी को पाटने के लिए सरकारी प्रयासों से तीव्र गति से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ''2022 तक सबके लिए आवास'' प्रदान करने की एक महत्वाकांक्षी योजना आरंभ की है जिसके अंतर्गत हर वर्ष लगभग 5 मिलियन आवासों का निर्माण अपेक्षित है। इस अभियान को सफल बनाने में प्रीफैब सैक्टर को बड़ी भूमिका निभानी है। आवास सुपुर्दगी क्षमता को बढ़ाने की और जैसा कि भारी संख्या में आवश्यकता से जरूरी हो गया है, तीव्र निर्माण प्रौद्योगिकीयों को अपनाया जाना अनिवार्य हो जाता है। आसन्न मानवशक्ति की कमी, कौशल में कमी, तत्काल आवास और

अवसंरचनात्मक विकास, अभिन्नव विधियों के प्रयोग को आकर्षित करते हैं और प्रदान की जाने वाली उपलब्ध प्रौद्योगिकीयों को काम में लाना आवश्यक हो जाता है। साथ ही साथ हि.प्री.लि. परियोजना प्रबंधन संविदाओं पर भी ध्यान केंद्रित रखना जारी रखेगा और यह प्रयास भी रहेगा कि कंपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करे और लागत में भी बढ़ोतरी न हो, संगठन सरकार के '2022 तक सबके लिए आवास' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उभर रही प्रौद्योगिकीयों के सभी हितधारकों द्वारा सहजनात्मक कार्रवाई की जरूरत की ओर जागरूकता सृजित करने के लिए सेमिनानों, परस्पर विचार–विमर्श सत्रों आदि का आयोजन करना जारी रखेगा।

3. वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसे वर्ष से यह वित्तीय विवरण संबंधित है, और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और वचनबद्धता, यदि कोई हो।

इस रिपोर्ट की तारीख को वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसे वर्ष से यह वित्तीय विवरण संबंधित है, और रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और वचनबद्धता, यदि कोई हो, नहीं है।

4. एचपीएल का विनिवेश

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी 17 फरवरी, 2016 ने एचपीएल के 100% हित की बिक्री किसी अन्य इसी प्रकार के सीपीएसई को करने का सिद्धांत में निर्णय लिया है। उसके अनुसार, डीआईपीएएम ने लेनदेन सलाहकार और विधि–सलाहकार की नियुक्ति की है प्रशासनिक मंत्रालय ने परिसंपत्ति मूल्यांकन नियुक्त किया है। रूची की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए आरंभिक सूचना ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रक्रियाधीन है तथा एचपीएल विनिवेश की प्रक्रिया में सभी संभव सहायता कर रहा है।

5. मानव संसाधन विकास

हमारा यह प्रयास रहता है कि देयताओं को व्यय करने के लिए मानव संसाधन को अत्यधिक कम रखा जाए। 31.03.2017 को संगठन में 393 (अनुबंध आधार पर कार्य कर रहे कर्मचारियों सहित) सदस्यों का एक कर्मठ दल है।

संगठन विकास पथ पर है और चल रही परियोजनाओं को निर्विध्न पूरा करने के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता को वर्ग क और ख में जरूरत के अनुसार अनुबंध आधार पर कर्मचारियों को हायर करके रखा जा रहा है।

साथ–साथ कंपनी परियोजना स्थलों पर मानवशक्ति का समुचित वितरण सुनिश्चित करने और संयंत्र के बंद होने के कारण अल्प–उपयोगी मानवशक्ति का लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मानवशक्ति की पुनःतैनाती के निरंतर प्रयास भी कर रहा है।

5.1 औद्योगिक सम्बन्ध

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी में औद्योगिक संबंध मधुर रहे। संगठन में सौहार्दपूर्ण, अनुकूल और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के प्रयास निरंतर किये जा रहे हैं।

कम्पनी ने कर्मचारियों के परिवारों और बच्चों के साथ मिलकर कल्याणकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया ताकि उनके साथ घनिष्ठता बनी रहे। कर्मचारियों के लिए कार्यालय परिसर में चिकित्सा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

5.2 प्रशिक्षण

परिवर्तनशील कार्यकारी वातावरण के साथ गति बनाये रखने के उद्देश्य से. कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाकर उनके कौशल विकास, ज्ञान संवर्धन तथा विषय परिचायक व्यवहार के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न बाहरी एजेंसियों द्वारा 226 मानव दिवसों के लिए प्रशिक्षण दिया गया।

5.3 महिला रोजगार

संगठन में विभिन्न स्तरों पर 30 महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं। हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड अपनी सभी महिला कर्मचारियों को बेहतर और अनुकूल स्थितियां सुनिश्चित कराता है। हि.प्री.लि. ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिये प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत यथा लागू प्रसुति अवकाश लाभ के प्रावधान और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार शिशु देखभाल छुट्टी (सी.सी.एल) के लाभ कार्यान्वित किये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसरण में, कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न (निवारण. निषेध और क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है और उसकी अधिकतर सदस्य महिलाएं ही है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, महिला यौन उत्पीड़न अथवा लिंग के आधार पर महिला कर्मचारियों के साथ भेदभाव का कोई मामला सामने नहीं आया।

5.4 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण:

किसी भी कर्मचारी ने कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(2क) के साथ पठित कम्पनी (कर्मचारी विवरण) नियम 1975 समय–समय पर संशोधित के उपाबंधों में निर्धारित सीमा से अधिक परिश्रमिक नहीं लिया है।

4.5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को रोजगार

जहां तक अनुसूचित जाति/जनजाति की भर्ती और शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों की भर्ती का संबंध है. कम्पनी भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है। अनुसूचित जाति/जनजाति रोजगार का वर्णन **अनुलग्नक–1ख** में दिया गया है।

4.6. दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड दिव्यांग व्यक्तियों के हितों के लिए भारत सरकार की स्कीमों का अनुसरण करती है। 27 अगस्त, 2014 के डी.पी.ई. के कार्यालय ज्ञापन सं. 6(9)/2014–डी.पी.ई. (एस सी/एस टी एकक) के अनुसरण में वर्ष 2016–17 के दौरान विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की स्थिति **अनुलग्नक 1–ग** में दी गई है।

6.0 अनुपालन

6.1. सतर्कता

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड में सतकर्ता विभाग का मुख्य कार्य, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिक्रियाओं और दिशानिर्देशों की जानकारी देने के माध्यम से हस्तक्षेप की रोकथाम करना है। फिर भी दाण्डिक कदम और प्रणाली सुधार का कार्य भी आवश्यकता पड़ने पर सतकर्ता विभाग द्वारा किया जाता है।

पारदर्शिता में सुधार लाने तथा भ्रष्टाचार/राजस्व क्षरण की संभावना को कम करने के लिए प्रणाली सुधार/प्रक्रिया सुधार के लिए समय–समय पर दिशानिर्देश जारी किये जाते है।

6.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम

सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसईई) आदेश, 2012 की सार्वजनिक प्रापण नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को देखते हुए, निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं:–

- उक्त नीति के बारे में सभी पंजीकृत वैंडरों को पत्र भेजा गया है ताकि एमएसई से समग्र प्रापण का 20: लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त, एससी / एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से प्रापण के संवर्धित करने के लिए, आवश्यक ब्यौरे और डाटा बैंक को अद्यतन करने हेतु सभी वैंडरों से संपर्क किया गया।
- एमएसई के वेंडर आधार को बढ़ाने के उद्देश्य से आपकी कंपनी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा आयोजित विभिन्न प्रदर्शनियों में भाग लेती है।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, आपकी कंपनी ने एमएसई से 57,00,000 / रू. की हद तक सामान के आदेश दिये और सेवाएं प्रदान की जो कुल प्रापण का 44% बनता है।

6.3 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबंधों के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत जारी सारे निर्देशों का अनुपालन करने का प्रयास करती है। एच.पी.एल. ने कम्पनी में केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया हुआ है। एच.पी.एल. की वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है और उसमें कम्पनी के कार्य सम्बन्धी – सूचना उपलब्ध हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वर्ष 2016–17 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4.1 (ख) के अधीन सूचना देने के लिए एच.पी.एल. ने 44 आवेदन व रुपये 425 / – (230 / – रुपये पंजीकरण के और 195 / – रू. अतिरिक्त शुल्क) प्राप्त किये।

6.4 एम.सी.ए. 21

वर्ष 2006 में निगमित कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने ई–गवर्नेस पहल आरम्भ की। इस परियोजना में प्रलेखों को जमा कराने, कम्पनियों का पंजीकरण और निगमित सूचना के बारे में जनता की पहुँच आदि सहित सभी ए.सी.ए. सेवाएं निगमित कार्य मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध हैं. ये सेवाएं निगमित हस्तियों, व्सायिकों और आम जनता को कहीं भी, कभी भी प्राप्त हो सकती हैं। एम.सी.ए 21 के अंतर्गत एच.पी.एल. सितम्बर 2006 से अपने सभी फॉर्म और रिपोर्ट ऑनलाइन भरी जा रही है। सभी निदेशकों की निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) उपलब्ध है।

6.5 राजभाषा

राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों के अन्तर्गत राजभाषा के संवर्धन के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा के प्रयोग के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के निर्देशों के प्रयोग का प्रयास एच.पी.एल. में लगातार किया जा रहा है। कर्मचारियों को अपने दिन–प्रतिदिन के

काम में हिंदी के प्रयोग को बढावा देने के प्रोत्साहित किया जाता है और सचिवालय स्टॉफ को राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी कंप्यूटर अनुप्रयोग कक्षाओं में नियमित रूप से भेजा जा रहा है। हिंदी के प्रयोग मे किये जा रहे प्रयासों के लिए हि.प्री.लि. को 'नराकास विशेष प्रशंसा पुरस्कार' भी दिया गया है। एच.पी.एल. राजभाषा अधिकारी परामर्शदाता के अधीन कार्य कर रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा 4 बैठकों का आयोजना करवाया गया जिसमें सभी विभागाध्यक्षों ने भाग लिया। सभी विभागों को यह सलाह दी गई है कि वे अपने दैनिक पत्र–व्यवहार में हिंदी का प्रयोग बढ़ायेंगे। सितम्बर 2016 में हिंदी दिवस व हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया था जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और कर्मचारियों में पुरस्कार वितरित किये गए। कम्पनी की बेबसाइट द्विभाषी है।

6.6 राष्ट्रपति जी के निर्देश

वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी को राष्ट्रपति जी का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ।

6.7 आई एस ओ प्रमाणीकरण

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड एक आई. एस. ओ. 9001–2008 की प्रमाणित कम्पनी है और आई एस. ओ. की अपेक्षाओं के अनुसार दस्तावेज/अभिलेख रखती है। प्रमाणिकरण के नवीकरण हेतु अंकेक्षण किया गया है और इस प्रमाण पत्र का 04.01.2018 तक निम्नलिखित के लिए पुनर्वैधीकरण कर दिया गया है।

- सभी प्रकार के प्रीकास्ट कंक्रीट के कम्पोनेन्ट तथा डिजाइनिंग और उत्पादन।
- सिविल इंजिनियरी परियोजनाओं के लिए योजना बनाना, डिजाइन बनाना और निर्माण करना।
- सिविल इंजीनियरी से विभिन्न कच्चे माल और उत्पादों का परीक्षण ।
- कंक्रीट मिक्स की डिजाइनिंग।

6.8 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ख) के अंतर्गत सूचना:

कम्पनी के शेयरों को वापस क्रय करना न तो कम्पनी के अंतर्नियमों द्वारा प्राधिकृत है और न ही कम्पनी की आम सभा में इस संदर्भ में कोई विशेष संकल्प पारित हुआ है, इसलिए कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 77क की उपधारा 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय में शेयरों को वापस क्रय करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

6.9 उधार

वर्ष के दौरान कम्पनी ने कोई उधार नहीं लिया है।

6.10. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिक विलियन, अनुसंधान व विकास , विदेशी मुद्रा अर्जन और खर्च आदि।

6.10.1 ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी विलयन :

कंपनी ऊर्जा संरक्षण पर बड़ा जोर देती आ रही है और पिछले वर्ष उठाये गए कदम इस वर्ष भी जारी रखे गए। ऊर्जा का प्रभावी संरक्षण उपलब्ध करने के लिए प्रत्येक विभाग में ऊर्जा उपयोगिता की दक्षता की निगम स्तर पर प्रत्येक तिमाही अनुवीक्षण किया जाता है। वर्ष के दौरान उठाये गए ऊर्जा संरक्षण के मुख्य कदम थेः

- एनआईटी जोटे में ऊर्जा दक्ष भवन का निर्माण।
- एचपीएल परिसर में स्थित प्रौद्योगिकी पार्क में सौर प्रकाश।
- पावर ट्रांसफार्मरों और डीजल जैनरेटरों आदि के विशिष्ट भार वाले अधिक खपत वाले ऊर्जा लोड स्थानों की पहचान और अनुवीक्षण के साथ प्रत्येक का साप्तहिक अनुवीक्षण और खपत भार पता लगाना।
- ऊर्जा दक्ष लाइटिंग प्रणालियों जैसे मर्करी वैपर लैम्पस, सीएफएल बल्ब और फ्लोरोसेंट टयूब लाइटों, का प्रयोग।
- जहां कहीं संभव है वहां प्राकृतिक प्रकाश के प्रयोग के लिए पारदर्शी छत शीटों का प्रयोग।
- अप्रयुक्त होने पर मशीनों/उपस्करों को बंद करना/जिन क्षेत्रों में पर्याप्त कार्य नहीं है उन कार्यों की रीग्रुपिंग/रीपोजीशनिंग करके लाइटों को बंद कर देना ताकि लाइटिंग के कारण ऊर्जा का अपव्यय न हो।
- वातानुकूलन का केन्द्रीय नियंत्रण।
- लाइटिंग और अन्य सहायक उपस्करों में ऊर्जा के उपयोग की निगरानी।
- विद्युत कारक में सुधार लाने के लिए पावर कैपेस्टरों का प्रयोग।
- ऊर्जा उपभोग के मकैनिज्म को परिचालित करके कर्मचारियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना।
- कुरदार में नृजातीय पर्यटन का गंतव्य स्थान का विकास स्थल एक दुर्गम स्थान पर है और कान्हां राष्ट्रीय उद्यान के पास ही है। इसलिए वहां पर राज्य सरकार ने कोई बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं की। एचपीएल ने कुरदार, छत्तीसगढ़ में मुख्य कार्य के निष्पादन से पूर्व 10 कि.वा. सौर विद्युत संयंत्र के साथ सौर पम्पों से जुड़े 2 नग डीप वैल बोरिंग किये हैं।

6.10.2 विदेशी मुद्रा उपार्जन और खर्च

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा में शून्य खर्च किया।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217(1)(ड) के साथ पठित (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ब्यौरों का खुलासा) नियम 1988 के अंतर्गत अनुसंधान और विकास को अंर्तलीन करने से संबंधित ब्यौरों का खुलासा फॉर्म "बी'" द्वारा अपेक्षित है, जो **अनुलग्नक (1घ)** में संलग्न हैं।

7. अनुसंधान और विकास

एचपीएल परिसर में टेक्नो पार्क का सूक्ष्म नजारा

1. प्रीफैब प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के एक कदम के रूप में हि.प्री.लि. परिसर, नई दिल्ली में एक ''प्रीफैब टेक्नोलॉजी पार्क'' बनाया जा रहा है जिसके द्वारा उभर रही निर्माण प्रौद्योगिकी किफायत और तीव्र निर्माण के लिए सुस्थिर भवन सामग्री, के संबंध में जानकारी का प्रचार व प्रसार किया जायेगा। लगभग पाँच एकड़ में फैला यह प्रौद्योगिकी पार्क विभिन्न अभिनव प्रीफैब्रीकेटेड प्रौद्योगिकीयों नामतः पीईबी, मोनोलिथिक ईपीएस, पॉलीप्रापलीन हनीकौम्ब, प्रीकास्ट प्रौद्योगिकी, स्थल पर उत्पादन प्रीकास्ट कंक्रीट, पफ वॉल और रूफ पेन, जीएफ आरजी, के–स्पैन प्रौद्योगिकी, एलजीएसएफ मोनोलिथिक कंक्रीट शीयर वॉल, स्पीड फ्लोर के साथ ईपीएस, एलजीएस और काष्ठ निर्माण को एक मंच प्रदान करेगा जहां इन सब प्रौद्योगिकीयों को दर्शाया जायेगा। परिसर में नमूना आवासों का निर्माण भी किया गया है और हम अपनी परियोजनाओं मे इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। तत्कालीन माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री एम. वैंकया नायडू ने एचपीएल आवास प्रौद्योगिकी पार्क का आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह और सचिव हुपा सुश्री नंदिता चटर्जी की उपस्थिति में 5 अक्तूबर, 2016 को उद्घाटन किया।

8. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कम्पनी अधिनियम 2013 यथा संशोधित की धारा 134 के अनुसरण में निदेशक मण्डल निम्नलिखित की पुष्टि करता है:

क. कि वार्षिक लेखाओं को बनाने में सभी लेखा मानकों का, उचित स्पष्टीकरण के साथ., अनुपालन किया गया है और कहीं कोई विषयी विचलन नहीं हुआ है।

ख. कि ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें निरतंर लागू किया गया और ऐसे निष्कर्ष और अनुमान लगाये गए जिससे उपयुक्त और तर्क संगत निर्णय लिए गए ताकि 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के कार्यकलापों तथा कम्पनी का लाभ – हानि खाता की सही व स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत की जा सके।

ग. कि कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त लेखाकंन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई ताकि कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा व कपट व अनियमिततओं को रोका जा सके।

घ. वार्षिक लेखें "गोईंग–कन्सर्न " के आधार पर तैयार किये गए हैं।

ङ. निदेशकों ने सभी लागू विधियों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक समुचित व्यवस्था अपनायी है और कि ऐसी व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और प्रभावकारी रुप से चल रही हैं।

9. कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति के विकास और कार्यान्वयन संबंधी विवरण।

कंपनी ने जोखिमों के कुछेक तत्वों की पहचान के बाद जो बोर्ड की राय में जोखिम की महत्वपूर्ण संभावनाएं हो सकती है; और जो हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुसरण में बाधा डाल सकती है;

जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित बिन्दु आते हैं:

(क) जोखिम पहचान और श्रेणी यानी अनिश्चितता के प्रति कंपनी के प्रभावों को समारिक / प्रचालन / अनुपालन / पर्यावरण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ख) जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क का अर्थ उत्तरदायित्व सहित संगठात्मक ढ़ांचा और जोखिम प्रबंधन के प्रति जवाबदेह।

(ग) जोखिम प्रबंधन और नियंत्रण से अभिप्राय कंपनी के पहचाने गए जोखिमों की संरचनात्मक ढ़ंग से निर्धारण और रिकॉर्डिंग और उनके मापन तथा नियंत्रण की विधि है।

(घ) निरंतर मूल्यांकन संभावित जोखिमों के बारे में संगठन को चौकन्ने और संवेदनशील रखे जाने की प्रक्रिया है।

10. कंपनी के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों पर उसके द्वारा नीति के विकास और कार्यान्वयन का ब्यौरा।

कंपनी एक प्रतिष्ठान के रूप में, पर्यावरण और समाज के प्रति भी अपने उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक है। कंपनी अपने निगमित सरकारी दर्शन के भाग के रूप में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर रही है। निर्माण के दौरान ठेकेदारों को पर्यावरण हितैषी निर्माण प्रथाओं का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हिं.प्री.लि. ने निष्पादन एजेंसी के रूप में विभिन्न सीपीएसई के लिए उनके सीएसआर के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए शौचालयों का निर्माण कराया। निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के उपबंध वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी पर लागू हो गए। अतः कंपनी में एक सीएसआर एवं सुस्थिरता समिति का गठन किया गया, जिसकी रचना इस प्रकार है,

1 श्री राजेश गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

2. सुश्री झंजा त्रिपाठी, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, शहरी विकास एवं हूपा मंत्रालय

3. श्री राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव (आवास)

4. श्री एस.के. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)

वर्ष के दौरान कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति बनायी है, जो हि.प्री.लि. की वैबसाइट पर भी उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची vii के अनुसार, कंपनी ने वर्ष 2016–17 के दौरान अपने सीएसआर अंशदान के रूप में 12.36 लाख रू. का योगदान अरूणाचल प्रदेश राज्य को एक एम्बुलेंस सौंप कर किया।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण

कंपनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया है अतः कथित उपबंध लागू नहीं होता।

12. संबंधित पक्षों के साथ संविदाओं या समझौतों का विवरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में परिभाषित संबंधित पक्षों के साथ कोई संविदा अथवा समझौता नहीं किया गया।

13. लेखापरीक्षकों और व्यवसायिक कंपनी सचिव द्वारा अपनी रिपोर्टों में योग्यताओं, रखी गई शर्तों अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों अथवा अस्वीकरण पर टिप्पणियां या स्पष्टीकरण।

बोर्ड द्वारा योग्यताओं से संबंधित किये गए स्पष्टीकरण/टिप्पणियां, लेखापरीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में रखी गई शर्तों अथवा प्रतिकूल टिप्पणियों का ब्यौरा अनुलग्नक– पर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी उपबंध इस कंपनी पर लागू नहीं होते।

14. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान और उनके कर्तव्यों के निर्वाहन संबंधी कंपनी की नीति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन से संबंधित धारा 178(1) के उपाबंध कंपनी पर लागू नहीं होते और इसलिए कंपनी ने निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, निदेशकों की स्वतंत्रता और अन्य संबंधित मामलों संबंधी कोई नीति नहीं बनायी है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(3) के अंतर्गत उपबंध किया गया है।

15. वार्षिक विवरणी

धारा 92 के उपबंधों के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12 के साथ पठित वार्षिक विवरणी के उद्धरण, इस रिपोर्ट के साथ संलग्न **अनुलग्नक 1ड.** में दिये गए हैं।

16. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों की संख्या

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड की 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं।

17. सहायक, संयुक्त उपक्रम और संबद्ध कंपनियां

कंपनी की कोई सहायक, संयुक्त उपक्रम या संबद्ध कंपनी नहीं है।

18. निक्षेप

कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष में न तो कोई निक्षेप स्वीकार किया है न ही नवीकृत किया है।

19. स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

वर्ष 2015–16 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के दो पद रिक्त रहे और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया की जा रही है।

20. निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान हि.प्री.लि. के निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

रिपोर्ट की तारीख को, निदेशक मंडल का संख्याबल निम्नवत् हैः—

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री राजेश गोयल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	17.06.2014 से
2.	श्री एस. के. गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	28.02.2013 से
3.	श्री राजीव रंजन मिश्र	अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	17.03.2015 से
4.	सुश्री झंजा त्रिपाठी	अंशकालीन (सरकारी) निदेशक	24.04.2014 से
5.	श्री सुरेंद्र कुमार नटवरलाल भट्ट	स्वतंत्र निदेशक	28.06.2016 से

21. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 2016—17 के लिए मैंसर्स एस. पी. चोपड़ा, चार्टड आकाउंटेंट. (डीई0010), 31—एफ, कनॉट प्लेस, रेडियल रोड नं. 7, नई दिल्ली— 110001 को कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

22. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखाओं पर सी एण्ड ए जी की टिप्पणियां प्राप्त होने पर इस रिपोर्ट में जोड़ दी जायेगी।

23. प्रचार और विज्ञापन तथा विदेश यात्रा पर व्यय

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान प्रचार और विज्ञापन पर व्यय शून्य था। वर्ष के दौरान विदेश यात्रा पर व्यय शून्य था।

24. आभार

हम आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग. सरकारी विभागों, विभिन्न बैंकों और अपने सम्मानित ग्राहकों के सहयोग का आभार व्यक्त करते हैं।

हम रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों, से प्राप्त समर्थन के प्रति भी अपना आभार प्रकट करते हैं।

कर्मचारी हमारी महत्वपूर्ण और मूल्यवान धरोहर हैं। आपके निदेशक कंपनी के सभी कर्मचारियों की प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं और सभी स्तरों पर एचपीएल परिवार के सदस्यों द्वारा दिये गए योगदान की प्रशंसा करते हैं जिन्होंने आपकी कंपनी की सफलता में अपना योगदान दिया और कंपनी के व्यवसाय में हमेशा अग्रणी रहे हैं।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

(राजेश गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 सितंबर, 2017

अनुलग्नक –I

निगमित शासन पर रिपोर्ट

1. निगमित शासन संहिता पर कम्पनी का दर्शन

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड का निगमित शासन दर्शन "पारदर्शिता, स्वतंत्रता, अपने ग्राहकों, जनता, कर्मचारियों तथा सरकार से प्रतिबद्धता तथा संचालन के क्षेत्रों में गुणता, निष्पक्षता और उत्कृष्टता प्रदान करना है।" अपने गठन से ही कम्पनी होने के नाते इसे सरकार के प्रति तथा वृहद रूप से समाज के प्रति अपने दायित्वों की पूरी जानकारी है। कम्पनी निगमित शासन के मानकों को बढाने के लिए वचनबद्ध है और तेजी से बदलते हुए इन्फ्रास्ट्रक्चर(मूलभूत व्यवस्थाओं) परिवेश से कदम मिलाते हुए लगातार अपनी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पुनरीक्षित करती रहेगी।

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड निम्नलिखित मूल्यों का समर्थन करती हैः

- एक टीम के रुप में कार्य करना।
- व्यवहार में ईमानदारी और सत्यता।
- की गई प्रतिबद्धताओं में दृढ़ विश्वास।
- निर्माण कार्य समय पर पूरा करना।
- व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और सामर्थ्य का सम्मान।
- एच.पी. एल. के प्रति समर्पण और गर्व।

2. निदेशक मण्डल

I. **बोर्ड का आकारः** कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुरुप एच.पी.एल. एक सरकारी कम्पनी है। कम्पनी के अंतर्नियमों के अनुसार, निदेशक नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति जी के पास है। बोर्ड की संख्या 2 निदेशकों से कम और 11 से अधिक नहीं होनी चाहिए परन्तु किसी भी हाल में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड की वास्तविक संख्या से आधी से कम नहीं होनी चाहिए ।

II. **बोर्ड की रचनाः** कंपनी के निदेशक मण्डल में चार निदेशक हैं जिनमें एक पूर्णकालिक निदेशक यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की ओर से एक कार्यात्मक निदेशक यानी निदेशक (तकनीकी). दो अंशकालीन (सरकारी) निदेशक हैं। कम्पनी अंतर्नियमों के अनुसार, कंपनी में निदेशक की नियुक्ति का अनुमोदन भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है।

एच.पी.एल. के बोर्ड की रचना. और उनके द्वारा धारित निदेशक पदों और वित्तीय वर्ष 2016–17 में बोर्ड की बैठकों में और पिछली वार्षिक आम सभा में उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार हैः

रिपोर्ट की तारीख को एच.पी.एल. के बोर्ड में निदेशक

क्र. सं.	श्रेणी व निदेशक का नाम	एच.पी.एल. और प्राईवेट कम्पनियों को छोड़कर सार्वजनिक कम्पनियों में निदेशक पद/अध्यक्षता की संख्या	प्राईवेट कम्पनियों को छोड़कर एच.पी.एल. सहित सार्वजनिक कम्पनियों में समिति सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या	2015–16 में बोर्ड बैठकों में उपस्थिति की संख्या	पिछली ए जी एम में उपस्थिति
(I) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक					
1.	श्री राजेश गोयल (17.06.2014 को नियुक्त)	शून्य	शून्य	4	जी, हां
(II) कार्यात्मक निदेशक					
2.	श्री एस. के. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) (28.02.2013 को नियुक्त)	शून्य	2	4	जी, हां
(III) निदेशक (अंश कालीन सरकारी)					
3.	श्री राजीव रंजन मिश्र, संयुक्त सचिव (आवास), हूपा मंत्रालय (17.03.2015 को नियुक्त)	हुडको तथा एनएचबी	1* अध्यक्ष के रूप में 4 सदस्य के रूप में	4	जी, हां
4.	सुश्री झंजा त्रिपाठी, संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार, एम.एच. यूपी ए एण्ड एम यू डी (24.04.2014 को नियुक्त)	हुडको एन.बी.सी.सी केएम.आरसी, एमएमआरसी	@5 अध्यक्ष के रूप में 9 सदस्य के रूप में	4	लागू नहीं
5.	श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्ट,	शून्य	1	4	जी हां

*** एच.पी.एल. तथा हुडको एनएचबी में परिश्रमिक समिति के अध्यक्ष और लेखापरीक्षा समिति के सदस्य एनएचबी में एचआर समिति के सदस्य।**

@ एचपीएल केएमआरसी, में लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्ष और हुडको में सीएसआर और हितधारक समिति की अध्यक्ष और एन.बी.सी.सी में सीएसआर समिति की अध्यक्ष तथा हुड़को, एमएमआरसी के एम.आर.सी. तथा एनबीसीसी में लेखापरीक्षा समिति की सदस्य एनबीसीसी में हितधारक समिति की सदस्य, एचपीएल और हुडको तथा एनबीसीसी की पारिश्रमिक समिति की सदस्य।

**** 2016–17 के दौरान बोर्ड की 4 बैठकें हुई।**

टिप्पणियां :

क. एच.पी.एल. के निदेशकों द्वारा समितियों में निदेशक पद और सदस्यता कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निर्धारित सीमा के भीतर है।

ख. ''अंश– कालीन सरकारी'' शब्दों से तात्पर्य हि.प्री.लि., के बोर्ड में निदेशक सरकार द्वारा नामिति को दर्शाते हैं और वे आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधिकारी हैं।

ग. ''अंश– कालीन गैर–सरकारी'' से तात्पर्य उन स्वतंत्र निदेशकों से है जो सरकार में कोई पदधारी नहीं होते।

घ. लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति में सदस्यता, सदस्यों की संख्या की गणना हेतु विचार किया जाता है।

वर्ष 2016–17 में कम्पनी के कार्यों को करने के लिए बोर्ड की 4 बैठकें हुई। एक बैठक जून 2016 की प्रथम तिमाही में, 1 बैठक सितम्बर, 2016 को समाप्त दूसरी तिमाही में, दिसम्बर 2016 को तीसरी तिमाही में एक बैठक और एक बैठक मार्च 2017 को समाप्त चौथी तिमाही में हुई । कंपनी ने प्रत्येक तिमाही न्यूनतम एक बैठक का आयोजन किया और दो बैठकों

के बीच में अधिकतम समय अंतराल तीन महीने से अधिक नहीं था।

व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ विस्तृत कार्य सूची सभी बोर्ड बैठकों के लिए पहले से परिपत्रित की जाती है।

किसी निदेशक की अनुपस्थिति के सभी मामलों में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 167 के अंतर्गत अनुपस्थिति की अनुमति मंजूर की गई थी। समीक्षाधीन वर्ष के लिए एच.पी.एल. की बोर्ड बैठकों की तारीखों का विवरण इस प्रकार हैः–

बोर्ड बैठक	**तारीख**
निदेशक मण्डल की 403वीं बैठक	29 जून, 2016
निदेशक मण्डल की 404वीं बैठक	22 सितंबर, 2016
निदेशक मण्डल की 405वीं बैठक	25 नवंबर, 2016
निदेशक मण्डल की 406वीं बैठक	24 फरवरी, 2017

III. कम्पनी के निदेशकों का संक्षिप्त सारवृत

(क) श्री राजेश गोयल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजेश गोयल ने 17.06.2014 को हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के पूर्णकालिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार सम्भाला। आई.आई.टी.दिल्ली के भूतपूर्व छात्र, श्री गोयल ने मैनेजमैंट डवैल्पमैंट इन्स्टीच्यूट (गुड़गांव) से पी जीडी एम(वित्त) भी किया है। वह आई बी सी, आई आर सी, ए आई एच डी ए आदि जैसे विभिन्न व्यवसायिक निकायों के सदस्य होने के साथ–साथ इन्स्टीच्यूट ऑफ इन्जीनियर्स तथा इन्स्टीच्यूट ऑफ सर्वेयर्स के फैलो भी हैं। श्री गोयल परियोजना आयोजन, निर्माण,परियोजना वित्त ,रीयल एस्टेट विकास, नीति निर्माण आदि के क्षेत्रों सहित 30 वर्ष से भी अधिक का पर्यावास क्षेत्र का अनुभव रखते हैं। वर्तमान असाइनमैन्ट से पहले वह हाऊसिंग एवं अर्बन डवैलपमैंट कार्पोरेशन लि. में कार्यपालक निदेशक के रुप में कार्य कर रहे थे।

ख. श्री एस. के. गुप्ता, निदेशक (तकनीकी)

श्री एस.के.गुप्ता दिल्ली कालेज ऑफ इन्जीनियरिंग से 1983 बैच के बी.ई. हैं। उन्होंने प्रोजैक्ट मैनेजमैंट संस्थान, यू. एस.ए. में एस एम पी और पी एम पी से परियोजना प्रबंधन में एम. बी.ए. कर रखा है। उन्होंने एयर इण्डिया, हडको. इरकॉन इन्टरनैशनल और इंजीनियरिंग प्रोजैक्टस (इण्डिया) लिमिटेड जैसे विभिन्न विनिर्माण और निर्माण उपक्रमों में 29 वर्षों तक विभिन्न क्षमताओं में सेवा की है। वह जम्मू व कश्मीर राज्य के कठिन तराई वाले निष्ठुर मौसम तथा आतंक प्रभावित क्षेत्र में उधमपुर–श्रीनगर रेल लिंक परियोजना की परियोजना निगरानी से सम्बद्ध थे और बनिहाल, जम्मू व कश्मीर में 11.17 कि.मी. की सबसे लम्बी सुरंग की आयोजना और निगरानी से जुड़े हुए थे। उन्हें ई–निविदा का व्यापक अनुभव है।

(ग) श्री राजीव रंजन मिश्रा, संयुक्त सचिव (आवास), अंश–कालीन (सरकारी) निदेशक

भारतीय प्रशासनिक सेवा के नौकरशाह को 28 वर्ष का अनुभव प्राप्त है, श्री राजीव रंजन मिश्रा आजकल संयुक्त

सचिव (आवास), हुपा मंत्रालय, भारत सरकार हैं। आईआईटी कानपुर (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) के छात्र, श्री मिश्रा ने आंध्र प्रदेश में विभिन्न विभागों जैसे सिंचाई, नगर प्रशासन और शहरी विकास, अवसंरचना और निवेश में सचिव/प्रधान सचिव के रूप में कार्य किया है। भारत सरकार में, उन्होंने हथकरघा और वस्त्र निर्यात संवर्धन, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी स्थित सिविल सेवक प्रशिक्षण और आपदा प्रबंधन केन्द्र की स्थापना की। वह दुर्घटना प्रतिक्रिया व्यवस्था (आईआरएम)/दुर्घटना कमान व्यवस्था (आईआरएस)/दुर्घटना प्रतिक्रिया व्यवस्था (आईसीएस) पर राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ व्यक्ति हैं। अपने पूर्व के असाइनमैंट में वह संयुक्त सचिव और मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, राष्ट्रीय नदी अन्य अनुशंगी कार्यों का पुनरूद्धार कार्यक्रम, थे। वर्तमान में वह संयुक्त संचिव (आवास) के रूप में कार्यरत हैं। श्री मिश्रा राष्ट्रीय शहरी आवास और पर्यावास नीति, भू–संपदा शहरी उद्योग, मॉडल भू–संपदा विकासक विनियमन विधेयक, किराया आवास कार्यनीति और मॉडल किराया विधि आवासी वित्त और आवासीय सूक्ष्म वित्त तथा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोग से संबंधित मामलों संबंधी नीतियां और विभिन्न विनियम बनाने के लिए उत्तरदायी हैं।

घ. श्रीमती झंजा त्रिपाठीः संयुक्त सचिव व वित्तीय सलाहकार.हूपा व शहरी.विकास .मंत्रालय अंशकालीन (सरकारी) निदेशक

श्रीमती झंजा त्रिपाठी को हुपा मंत्रालय द्वारा हि.प्री.लि. के बोर्ड में नियुक्त किया गया है। श्रीमती त्रिपाठी 1986 बैच की आई आर ए एस अधिकारी हैं। उनके पास साइकोलॉजी में मास्टर की उपाधि है और औद्योगिक संबंध और कार्मिक प्रबन्धन में स्नाकोत्तर डिप्लोमा है। वर्तमान में, वह शहरी विकास मंत्रालय और हुपा मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार हैं। अपने वर्तमान पद पर आने से पूर्व श्रीमती त्रिपाठी भारत सरकार, रेल मंत्रालय, उत्तर रेलवे में वित्तीय सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी थीं। वह रेलवे और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में विभिन्न पदों पर रहते हुए 28 वर्षों का लम्बा अनुभव रखती हैं। हि.प्री.लि. के अतिरिक्त वह हाऊसिंग और अर्बन डवैलपमैंट कार्पोरेशन लि.(हडको), नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन, (एन.बी.सी.सी.)और कोलकाता मैट्रो रेल कार्पोरेशन (के.एम.आर सी) के निदेशक मंडल में हैं।

ङ. श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्ट, अंशकालीन (गैर–सरकारी) निदेशकः

श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्ट, एचपीएल के अंशकालीन (गैर–सरकारी) निदेशक, एलएलबी हैं और विधायी प्रैक्टिस के क्षेत्र में काफी वर्षों का अनुभव रखते हैं। पूर्व में उन्होंने काफी जिला स्तरीय प्रशासनिक पद भी धारित किए हैं।

(IV) गैर– कार्यपालक निदेशकों को प्रतिपूर्ति व प्रकटन

कंपनी गैर–कार्यपालक सरकारी नामित निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान नहीं करती है। कम्पनी के बोर्ड में अंश–कालीन गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए रु. 4000/– और समिति बैठक में उनकी उपस्थिति पर रु. 3000/–का भुगतान किया जाता है। हि प्री लि में गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अतः वर्ष के दौरान कोई बैठक प्रशुल्क नहीं दिया गया।

V. बोर्ड बैठकें, समिति बैठकें और प्रक्रियाएंः

(क) निर्णय लेने की प्रक्रियाः सभी निगमित कार्यो के व्यवसायीकरण को ध्यान में रखकर कम्पनी ने निदेशक मण्डल की बैठकों के लिए दिशानिर्देश जारी किये है। इन दिशानिर्देशों के द्वारा बोर्ड की बैठकों में औपचारिक और

दक्षतापूर्वक निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल व कारगर बनाया गया है।

(ख) बोर्ड/समिति बैठकों के लिए कार्यसूची की मदों का निर्धारण और चयनः

- बोर्ड/समिति के अध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बैठक आयोजन के लिए उपयुक्त सूचना दी जाती है। बैठक के दौरान सार्थक, सूचनापरक और केन्द्रित निर्णय हेतु सदस्यों को कार्यसूची टिप्पणियां, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण अग्रिम में परिचालित किये जाते हैं। जब किन्ही मुद्दों पर तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो बैठकें अल्प सूचना पर बुलाई जाती हैं अथवा संकल्प परिचालन द्वारा परित किया जाता है।

- जब किसी दस्तावेज के गोपनीय किस्म का होने पर कारण अथवा विशेष आपवादिक स्थितियां होने या अतिरिक्त अथवा अनुपूरक मदों के कारण कार्यसूची टिप्पणियों के साथ भेजना संभव नहीं होता तो उन्हें बैठक के पटल पर रख दिया जाता है।

- कार्यसूची दस्तावेज सी.एम.डी. की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद परिचालित किया जाता है।

- बैठकें कम्पनी के नई दिल्ली स्थित कार्यालय में आयोजित की जाती है।

- वित्त, प्रचालन, मानव संसाधन आदि से संबधित मामलों में बोर्ड/समिति बैठकों प्रस्तुतीकरण दिये जाते है ताकि सदस्य सुविचारित निर्णय ले सकें।

- बोर्ड के सदस्य सारी सूचना के बारे में पूरी पहुँच रखते हैं। बोर्ड यह सिफारिश करने के लिए भी मुक्त है कि वह जिस मुद्दे को महत्वपूर्ण समझता हैं उसे कार्यसूची में शामिल किया जाये। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी बुलाये जाते हैं ताकि वह चर्चा की जा रही मद्दों पर अतिरिक्त जानकारी दे सकें।

(ग) बोर्ड– समिति बैठकों के कार्यवृतों का अभिलेखः बोर्ड/समिति की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही को कार्यवृत पुस्तिका में अभिलेखबद्ध किया जाता है। बोर्ड बैठक के कार्यवृत अगली बैठक में बोर्ड के सदस्यों में उनकी पुष्टि के लिए परिचालित किये जाते है।

(घ) अनुवर्ती कार्रवाई तंत्रः बोर्ड/समिति द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड/समिति के निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट आगामी बैठक में उपस्थित सदस्यों को प्रस्तुत की जाती हैं। यह अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा और रिपोर्ट प्रक्रिया के रुप में कार्य करती है।

(ङ) अनुपालनः हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करने का रहता है कि कार्यसूची टिप्पणी तैयार करते समय कानून, नियमों और दिशानिर्देशों के सभी प्रयोज्य प्रावधानों का निष्ठा से अनुपालन हो। कम्पनी सुनिश्चित करती है कि कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रयोज्य प्रावधानों और विभिन्न नियमों के अंतर्गत अन्य सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन हो। कम्पनी सचिव द्वारा समय–समय पर प्रस्तुत विधिक अनुपालना रिपोर्ट की निदेशक मण्डल द्वारा समीक्षा की जाती है।

बोर्ड को निम्नलिखित सूचना नियमित रुप से प्रस्तुत की जाती हैः

- वार्षिक प्रचालन योजनाएं, बजट और तत्संबंधी अद्यतन स्थिति।

- पूंजीगत बजट और तत्संबंधी अद्यतन स्थिति।
- लेखापरीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत।
- कारण बताओ. मांग अभियोजना सूचनाएं और दाण्डिक सूचनाएं यदि हों, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण होती हैं।
- घातक अथवा गम्भीर दुर्घटना, खतरनाक घटनाएं।
- बड़े निवेश, सहायक स्थापानाओं का गठन, संयुक्त उपक्रम और कार्यनीति संबंध।
- निदेशकों द्वारा अन्य कम्पनियों/फर्मों आदि में उनके द्वारा धारित निदेशक और समिति सदस्यता का प्रकटन।
- संयुक्त उपक्रम/सहयोग करारों आदि का ब्यौरा।
- बड़े संविदा प्रदान करना।
- विधि और डी पी ई दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य मदें।

(च) **व्यापार आचरण और नैतिक संहिताः** लोक उद्यम विभाग निगमित शासन पर जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुसार एच.पी.एल. के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन के पश्चात कम्पनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए एच.पी.एल. के मूल सिद्धातों के साथ व्यापार आचरण और नैतिक संहिता भी निर्धारित की हैं। आचरण संहिता कम्पनी की वेबसाइट www.hindprefab.in पर भी डाल दी गई हैं।

(छ) **कपट निवारण और जोखिम प्रबंधन नीतिः** जोखिम प्रबंधन नीति विचाराधीन हैं और यथासमय कार्यान्वित की जायेंगी।

(ज) **बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षणः** एच.पी.एल. अपने बोर्ड सदस्यों को एच.पी.एल. की रुप रेखा, व्यापारिक प्रतिमानों आदि के बारे में प्रशिक्षण देने की पहल करती हैं। एच.पी.एल.की कार्यप्रणाली से संबंद्ध मुद्दों और महत्वपूर्ण विकासों के बारे में एच.पी.एल. बोर्ड के अंशकालीन निदेशकों के (सरकारी) और (गैर–सरकारी), जैसा भी मामला हो, को एच.पी.एल. के प्रबंधन द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट, अंतर–ज्ञापन व अंतर–नियम, एच.पी.एल. और आवास व शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच हुआ समझौता ज्ञापन अपेक्षानुसार उन्हें दिये जाते हैं। एचपीएल की बोर्ड के सदस्यों के प्रशिक्षण संबंधी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति भी है।

3. लेखापरीक्षा समिति

कम्पनी ने निदेशक मण्डल की एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति का 07 मार्च, 2012 को गठन किया है। जिसमें निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में वित्त और प्रबंधन के क्षेत्र में विशेषज्ञ अंशकालीन (गैर–सरकारी) निदेशक शामिल हैं। 31 मार्च, 2017 को लेखापरीक्षा समिति की रचना इस प्रकार हैः–

- सुश्री झंजा त्रिपाठी – अंश कालीन (सरकारी) निदेशक – अध्यक्ष

- श्री राजीव रंजन मिश्रा – अंश कालीन (सरकारी) निदेशक
- श्री सुरेन्द्र कुमार नटवरलाल भट्ट – अंश कालीन (गैर–सरकारी) निदेशक

कम्पनी सचिव इस समिति की सचिव है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में लेखापरीक्षा समिति की 4 बैठकें हुई।

लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा समिति का कार्यक्षेत्र और विचारार्थ विषय लोक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित निगमित शासन के दिशानिर्देशों के अनुसार है।

4. पारिश्रमिक समितिः

कम्पनी के अंशकालीन (गैर–सरकारी) स्वतंत्र निदेशक और अंशकालीन (सरकारी) निदेशकों को मिलाकर निदेशक मण्डल की पारिश्रमिक समिति का गठन भी किया है। 31 मार्च, 2017 को गठित पारिश्रमिक समिति की रचना इस प्रकार हैः–

i श्री राजीव रंजन मिश्रा – अंशकालीन (सरकारी निदेशक) – अध्यक्ष

ii सुश्री झंजा त्रिपाठी – अंश कालीन (सरकारी) निदेशक

iii श्री एस.के. गुप्ता – निदेशक (तकनीकी)

(i) निदेशकों का पारिश्रमिकः

चूंकि एच.पी.एल. कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पूर्णता सरकारी कम्पनी है, अतः कम्पनी के प्रयोजनमूलक निदेशक यानी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (तकनीकी) की नियुक्ति/नामांकन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। वे वेतनमानों के औद्योगिक महंगाई भत्ते (आई.डी.ए.) प्रतिमान और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निबंधन और शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक पाते हैं। कंपनी के बोर्ड में अंशकालीन (सरकारी) (सरकार द्वारा नामित) निदेशक कम्पनी से कोई पारिश्रामिक नहीं पाते। वे सरकारी अधिकारी होने के नाते भारत सरकार (एच.पी.एल. के मामले में आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय) से नियमित पारिश्रमिक पाते हैं।

निदेशक	पदनाम	वेतन/ भत्ते	हितलाभ*	निष्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (रू0)	सकल लाभ
श्री राजेश गोयल (17.06.2014) तक	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	20,32,713	3,01,605	-	23,34,318
श्री एस.के.गुप्ता	निदेशक (तकनीकी)	18,53,431	2,47,864	-	22,01,295

*हितलाभों में और चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, उपदान, छुट्टी का नकदीकरण और भविष्य निधि अंशदान शामिल हैं।

5. सहायक कम्पनियां

कम्पनी की कोई सहायक कम्पनी नहीं है।

6. आम सभा की बैठकें

पिछली 3 आम सभा की वार्षिक बैठकों की तारीख, समय और स्थान इस प्रकार हैः–

वर्ष	स्थान	तारीख	समय	विशेष संकल्प यदि कोई हो
2016–17	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड जंगपुरा, नई दिल्ली –110014	29.09.2017	3.30 अप0	शून्य
2015–16	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड जंगपुरा, नई दिल्ली –110014	25.11.2016	11.30 पूर्वा.	शून्य
2014–15	कम्पनी का पंजीकृत कार्यालयः हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड जंगपुरा, नई दिल्ली –110014	30.10.2014	3.30 अप0	शून्य

डाक मतपत्र संकल्प का ब्यौराः समीक्षाधीन वर्ष के दौरान डाक से प्राप्त मतपत्रों द्वारा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया क्योंकि कम्पनी किसी स्टाक एक्चेंज में सूचीबद्ध नहीं है।

7. शेयर धारकों की सूचना

(क) 64वीं वार्षिक आम बैठक

1.	दिनांक व समय	29 सितंबर, 2017, 3.30 अपराह्न
2.	स्थान	पंजीकृत कार्यालयःहिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड जंगपुरा, नई दिल्ली –110014

(ख) लाभांश का भुगतान

पिछले वर्षों की संचयी हानियों के कारण, निदेशकों ने वर्ष 2016–17 का लाभांश घोषित नहीं किया गया है।

(ग) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करनाः

कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है तथा कम्पनी के शेयर वास्तविक रुप में हैं।

(घ) शेयरधारकों का प्रोफाइल

वर्ष	31.03.2016	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2013
भारत के राष्ट्रपति	1,34,76,682	1,34,76,682	1,34,76,682	1,34,76,682
अन्य*	3	3	3	3
योग	1,34,76,685	1,34,76,685	1,34,76,685	1,34,76,685

*भारत के राष्ट्रपति की ओर से 2 शेयर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और 1 शेयर सरकार द्वारा नामित निदेशक द्वारा धारित शेयर शामिल हैं, जिनका शेयरों में किसी प्रकार का हित नहीं हैं।

8. प्रकटन

i) कम्पनी ने निदेशकों अथवा उनके संबंधियों के साथ कोई ऐसा महत्वपूर्ण पक्षकार लेन–देन नहीं किया है (कम्पनी अधिनियम की धारा 184 के अनुसरण में निदेशकों द्वारा स्वंय किया गया प्रकटन) कम्पनी के साथ संभावित हित हैं।

ii) पिछले 3 वर्षो में कम्पनी पर किसी सांविधिक प्राधिकारी द्वारा नियमों का अनुपालन न करने पर कोई दण्ड नहीं लगाया गया है।

iii) मई 2010 में लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के बारे में कदम उठाये हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, एच.पी.एल. ने निदेशक मण्डल और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यापार आचरण और नैतिक संहिता बनायी है जो कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। एच.पी.एल. ने अपने निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में निगमित शासन और प्रबंधन चर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट भी शामिल की है। इन दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में कम्पनी की वार्षिक आम सभा में दिये गए वक्तव्य में भी उल्लेख किया गया है।

iv) वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान कम्पनी को राष्ट्रपति जी का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ ।

v) एच.पी.एल. की लेखा पुस्तकों में डेबिट की गई व्यय की सभी मदें एच.पी.एल. को सौंपी गई परियोजना निष्पादन के प्रयोजन से दी गई है और परियोजना व्यय से संबधित हैं।

vi) निदेशक मण्डल के लिए कोई व्यक्तिगत व्यय नहीं किया गया सिवा अनुबंधात्मक दायित्वों के रुप में नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किया गया है।

vii) कम्पनी इन्स्टीयूट ऑफ चार्टर्ड अकाउण्टेंटस ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित लेखा मानकों का अनुसरण करती है। फिर भी यदि कोई विचलन हो तो उसका उल्लेख लेखाओं के भाग के रुप में टिप्पणियों में किया गया हैं।

viii) कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का ब्यौरा बनाम वित्तीय व्यय और वृद्धि के कारण कुल व्यय के प्रतिशत के रुप में– प्रशासनिक व्यय वर्ष 2015–16 में 500.07 लाख रू0 से वर्ष 2016–17 में घटकर 374.66 लाख रू0 हो गया है।

9. संचार के साधन

लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय परिणाम और वार्षिक रिपोर्ट एच.पी.एल. की वैबसाइट www.hindprefab.org. पर दर्शाये गए हैं। परियोजनाओं के लिए दी गई निविदाओं / संविदाओं का ब्यौरा, अन्य सरकारी समाचारों आदि के साथ वैबसाइट पर उपलब्ध है। हि.प्री.लि. की वैबसाइट पर अपलोड की गई सूचना को समय–समय पर अद्यतन किया जाता रहता है। वैबसाइट का हिन्दी रुपान्तर भी उपलब्ध है। टैंडर आदि एन.आई.सी.पर (सरकारी पोर्टल) भी अपलोड किये जाते हैं।

10. लेखापरीक्षा योग्यता

कम्पनी बिना शर्त वित्तीय विवरण का शासन सुनिश्चित करने का भरसक प्रयास करती है और लेखापरीक्षकों द्वारा कोई महत्वपूर्ण शर्त नहीं लगायी गई है।

11. व्हिसल ब्लोअर नीति

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन एच.पी.एल., सरकारी कम्पनी होने के नाते केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के अंतर्गत भी आती है। इसलिए सी.वी.सी. दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी ने अपने सभी कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए एक तंत्र स्थापित किया है जिसके अंतर्गत वे किसी अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहात्मक कपट के बारे में सी.वी.ओ. अथवा सीधे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सूचित कर सकते हैं। किसी कर्मचारी को निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति को मिलने से रोका नहीं गया है। एच.पी.एल. की नीति कम्पनी की वेबसाइट **www.hindprefab.org.** पर भी उपलब्ध है।

12. अनुपालन प्रमाणपत्र

मैसर्स ललित चौधरी एण्ड कम्पनी सचिव से लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की पुष्टि का प्रमाण पत्र वार्षिक रिपोर्ट का एक भाग है।

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

(राजेश गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.09.2017

अनुलग्नक –II

प्रबंधन चर्चा एवं विशलेषण रिपोर्ट

सिंहावलोकन

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल), पुराने सीपीएसई में से एक, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। भारत में प्रीफैब तकनीक की अग्रणी एचपीएल की स्थापना 1948 में पाकिस्तान से आये लोगों की आवास संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई थी। बाद में, एचपीएल को 1953 में एक कंपनी के रूप में निगमित किया गया और 1955 में यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रतिश्ठान बनी। विभिन्न उतार–चढ़ावों से गुजरकर, आज एचपीएल एक अग्रणी सीपीएसई के रूप में खड़ी है और अनेकों सिविल निर्माण परियोजनाओं में हाई–टैक परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। इस परियोजनाओं में विभिन्न सरकारी स्कीमों के अंतर्गत जन आवास परियोजनाएं, शिक्षण संस्थान, अस्पताल और राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के अन्य संस्थागत भवन भाामिल हैं। एचपीएल को सौंपे गए निर्माण कार्य, परमंरागत और प्रीफैब दोनों ही प्रौद्योगिकियों के साथ गुणवत्ता और समय सीमा के भीतर निष्पादित किये जाते हैं।

64 वर्षों के अपने जीवनकाल में, एचपीएल को विभिन्न भवनों, अस्पतालों, पुलों, दुग्ध–डिपुयों, पुलिस थानों, भौक्षिक संस्थानों, जन आवास स्कीमों के अंतर्गत आवासों के निर्माण का श्रेय जाता है। एचपीएल ने विभिन्न सीपीएसई के लिए उनके सीएसआर कार्यक्रमों के अंतर्गत 'स्वच्छ भारत अभियान– के तहत देश भर के स्कूलों में 10500 के लगभग भाौचालयों का निर्माण कर केंद्र सरकार की मुख्य विचारधारा के साथ जुड़ कर एक और विशेष उपलब्धि प्राप्त की है। वर्तमान में, एचपीएल एनडीआरएफ, पीएनबी, दिल्ली पुलिस, असम राइफल, आय कर एनआरएचएम, एनआईटी, आईआईटी, एनएलयू आदि जैसे विभिन्न ग्राहकों की बड़ी परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

संभावनाएं :

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड और आवसन एवं शहरी कार्य मंत्रालय गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2015–16 के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार कम्पनी का मिशन, विजन और उद्देश्य इस प्रकार है।

विजनः

सिविल निर्माण और आधारभूत संरचना उद्योग के क्षेत्र में प्रीफैब/प्रीकास्ट की किफायती प्रौद्योगिकी अपनाने के साथ–साथ परम्परागत विधियों के प्रयोग द्वारा ग्राहक की पूरी सतुंष्टि के प्रति वचनबद्धता में अग्रणी संगठन बनना है।

मिशनः

- प्रीफैब विधियों और प्रौद्योगिकी को पुरोगामी बनाना जिससे अनुकूलतम गुणता और सहज निर्माण तकनीकें किसी के भी साधनों में होना सुनिश्चित हो जाये।
- गुणता में उत्कृष्टता लाकर और मूल्य वर्धक कार्यों को समय पर पूरा करके ग्राहकों का अत्यधिक अधिमान विकल्प बनना।

- ➢ शहरी क्षेत्रों मे बड़ी संख्या में आवास/अवसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के निष्पादन अंग के रुप में कार्य करना।
- ➢ समाज के प्रति उत्तरदायी ढंग से कार्य करना जबकि पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को निभाना, कर्मचारी योग्यता में संवर्धन करके ग्राहक और नियोक्ता संतुष्टि सुनिश्चित करना, व अन्य हितधारकों के हितों को सुनिश्चित करना।

स्वॉट विश्लेषण

(क) सामर्थ्य

(i) पुराने बने सीपीएसई में से एक, भारत में प्रीफैब तकनीक का पथप्रदर्शक।

(ii) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के निष्पादन अंग के रुप में समर्थ सी पी एस ई स्तर की आवास और विकास के लिए एक मुख्य एजेंसी।

(iii) पूर्वोत्तर, लद्दाख, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, उत्तरी श्रीलंका आदि जैसे दूरस्थ और कठिन स्थानों में कार्य करने की क्षमता।

(iv) दिल्ली में 30 एकड़ में सुविधाजनक स्थान पर कार्यालय परिसर।

(v) उत्तम आदेश पुस्तक और परियोजना निष्पादन सेवाओं में वृद्धि।

(vi) पैन इण्डिया उपस्थिति।

(vii) ऋण मुक्त कम्पनी।

(ख) कमजोरियां

(i) पुरानी प्रीफैब उत्पादन क्षमता।

(ii) अभियांत्रिकी, वित्त, संविदा प्रबन्धन, मानव संसाधन और व्यापार विकास कार्यो में प्रबंध और पर्यवेक्षी कार्मिकों की गम्भीर कमी,

(iii) प्रीफैब संघटकों का उत्पादन बंद होने से फैक्ट्री कामगारों से काम लिया जा रहा है।

(ग) अवसर

(i) निर्माण उद्योग में निरंतर वृद्धि;

(ii) "2022 तक सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केन्द्र सरकार की सामूहिक आवास स्कीमों ने एचपीएल के लिए अनेकों अवसर खोल दिए है।

(iii) सशस्त्र बलों और अर्ध–सैन्य बलों की पूर्वोत्तर और सीमा क्षेत्रों में बढ़ रही अपेक्षाएं;

(iv) केन्द्र और राज्य सरकारों का अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की ओर बढ़ रहा ध्यान;

(घ) आशंकाएं

(i) अन्य लोक उद्यमों से बढ़ रही प्रतिस्पर्धा;

(ii) घट रहा लाभ;

(iii) ग्राहकों द्वारा पूर्व–शर्तो और संविदा शर्तों का कठोर निर्धारण;

जोखिम और चिन्ताएं

सिविल निर्माण भारी जोखिम वाला व्यवसाय है जो प्रत्येक हित्तधारी को तंग करता है– चाहे वह ग्राहक, सेवा प्रदाता, वेन्डर या वितरक ही क्यों न हो। एचपीएल अधिकतर संविदाओं को भारत सरकार, उनकी एजेंसियों और लोक उद्यमों की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत निष्पादित करता है। हि.प्री.लि. भी सामान्यतः निर्माण उद्योग के समक्ष आ रहे जोखिमों को भी बर्दाशत करता है अर्थात बाध्यता, छल, कपट, अपव्यय और कुप्रयोग, विधिक बाधाएं, सरकार की नीतियों में परिवर्तन से ग्रस्त होता हैं जिसके कारण बजट आवंटन में परिवर्तन के साथ–साथ वांछित वातावरण में काम करना पड़ता है। इनकी कभी–कभार ही ग्राहकों द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है और कम्पनी को हानि होती है। इसके अतिरिक्त सरकार की नीतियों में परिवर्तन से बजट आवंटन भी परिवर्तित हो जाते है जो परियोजना स्थलों पर निर्माण कार्य को तथा कंपनी के राजस्व को प्रभावित करते हैं और मुकदमेबाजी के जोखिम को बढ़ा देते हैं। इन समस्याओं को पार पाने के लिए ग्राहकों के साथ सभी स्तरों पर निकट सम्पर्क बना कर रखा जाता है।

इसके अतिरिक्त, अन्य कारक भी होते हैं जैसे दूरस्थ स्थानों पर कार्य करना, दुष्कर सम्भार, बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैले हुए छोटे–छोटे कार्यों के कारण इंजीनियरिंग कार्मिकों की अतिरिक्त तैनाती करनी पड़ती है जिसके कारण एच.पी.एल. के हाथ में आने वाली निवल राशि में घटौती हो जाती है।

कम्पनी के कर्मचारी और परियोजनाएं संकटग्रस्त भौगोलिक क्षेत्रों में संचालन के समय जान व माल के प्रति जोखिम व आशंका में रहते हैं। फिर भी हमें गर्व है कि हम राष्ट्र निर्माण का कार्य कर रहे हैं। कम्पनी ने इस प्रकार के जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से ऐसे सकंटग्रस्त स्थानों पर पर्याप्त सुरक्षा, सुविधाएं और बीमा कवर जैसे कदम उठाये हैं।

वित्तीय निष्पादन

2016–17 के दौरान, हि.प्री.लि. ने अति प्रतिकूल वातावरण के बावजूद 260.20 करोड़ रुपये का कारोबार कर के परियोजना निष्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की और 5.70 करोड़ रुपये का निवल लाभ दर्ज किया। पिछले वर्षों की संचयी हानियों को देखते हुए और प्रचलित सरकारी दिशानिर्देशों के उपबंधों के अनुसार, कंपनी वर्ष 2016–17 के लिए लाभांश धोशित करने की पात्र नहीं है। तदनुसार, निदेशक वर्ष 2016–17 में किसी लाभांश के भुगतान की सिफारिश नहीं करते।

एचपीएल के पास 31.03.2017 को 100 से भी अधिक परियोजनाएं चल रही हैं जो 886.41 करोड़ रू. की पाइपलाइन में है। एचपीएल द्वारा किये जा रहे मुख्य कार्यों में ईएसआईसी, एचडीआरएफ, असम राइफल, छत्तीसगढ़, केरल में पर्यटन परियोजनाएं, झारखंड में क्यू परिसर तथा पीएनबी की विभिन्न परियोजनाएं भाामिल हैं। एचपीएल नए व्यापार के लिए अनेकों बड़े ग्राहकों से सक्रिय रूप से संपर्क कर रही है।

एचपीएल द्वारा किये गये नए पहल प्रयास

प्रीफैब में अग्रणी संगठन होने के नाते, एचपीएल अपने संगम ज्ञापन द्वारा दिये गए अधिदेश के अनुसार प्रीफैब प्रौद्योगिकी के समर्थन और संवर्धन की एक सुव्यक्त भूमिका निभा रही हैं। वर्श 2015–16 के दौरान, एचपीएल ने वैकल्पिक भवन निर्माण प्रौद्योगिकियों को, विशेष कर पीएमएवाई के अंतर्गत प्रयोग के लिए, अपनाने और प्रचार करने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वर्ष के दौरान एचपीएल ने राज्य सरकारों, पीएसयू, रक्षा, रेलवे और कोयले आदि जैसे बड़े निर्माण विभागों के साथ–साथ प्राइवेट विकासकों और उद्यमियों को उत्प्रेरित करके इन प्रौद्योगिकियों के प्रचार के लिए विशेष प्रयास किये। इन नई प्रौद्योगिकियों के जागरूकता सृजित करने के लिए और इनकी स्वीकार्यता में वृद्धि लाने के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर अनेकों हितधारकों के साथ चर्चायें कीं।

यह प्रसन्नता का विषय है कि पीएमएवाई की प्रौद्योगिकी स्वीकार्यता के अंतर्गत एचपीएल द्वारा किये गए प्रयासों से हितधारकों, विशेष कर राज्य सरकारों और बड़े निर्माण विभागों, के एक बड़े वर्ग में इन प्रौद्योगिकियों की स्वीकार्यता में एक विशेष परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। एचपीएल के सहयोग से, के.लो.नि.वि. ने प्रीकास्त निर्माण सहित कुछेक प्रौद्योगिकियों के लिए दरसूची निकाली है जिससे सरकारी क्षेत्र में इन प्रौद्योगिकियों को अपनाया जाना सुकर हो जायेगा।

आवासन एवं शहरी कार्य, रक्षा और कोयला मंत्रालयों ने अपनी बड़ी परियोजनाओं के लिए इन प्रौद्योगिकियों को अपनाना आरंभ कर दिया है और आने वाले वर्षों में इनका प्रयोग और बढ़ेगा। गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक आदि जैसे राज्यों ने इन प्रौद्योगिकियों का अपनी परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर प्रयोग आरंभ कर दिया है।

एचपीएल ने 'आवास प्रौद्योगिकी पार्क' का विकास किया है। इसका उद्घाटन 5 अक्तूबर, 2016 को भारत के माननीय उप–राष्ट्रपति और तत्कालीन शहरी विकास, हुपा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किया था। यह अनन्य पार्क आवास निर्माण में वैकल्पिक प्रीफैब प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित करता है जिनका प्रयोग आवासीय इकाइयों के निर्माण में किया जा सकेगा। पार्क का विकास निजी क्षेत्र के व्यक्तियों, प्रौद्योगिकी प्रदायकों और अन्य हितधारकों के सहयोग से जंगपुरा में 2 एकड़ क्षेत्र में किया गया है। प्रौद्योगिकी पार्क हितधारकों को सभी प्रौद्योगिकियों की तुलना करके अपने प्रयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का निर्धारण करने का विकल्प प्रदान करता है।

पीएमएवाई की प्रौद्योगिकी स्वीकार्यता के एक भाग के रूप में, एचपीएल इन प्रौद्योगिकियों के प्रचार और वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों के प्रयोग की परियोजनाएं लेने के अपने प्रयासों में लगी रहेगी। वर्ष के दौरान, एचपीएल ने ईपीएस, एलजीएस, पीईबी आदि जैसी इन प्रौद्योगिकियों के प्रयोग करने में पूर्वोत्तर में बड़ी परियोजनाओं को लिया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

चूंकि एच.पी.एल. का मुख्य कार्यकलाप परियोजनाओं का निष्पादन है, कम्पनी ने परियोजनाओं के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा , तकनीकी और वित्तीय विभागों दोनो से प्राप्त विश्लेषणों के आधार पर लागत नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए प्रभावकारी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली स्थापित की है। इसके अतिरिक्त 'स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत परियोजनाओं के निष्पादन का अनुवीक्षण इन–हाऊस विकसित चल और वैब–आधारित अनुप्रयोगों से किया जा रहा है जिससे प्रतिरूपों तथा जीपीएस लोकेशन के साथ वास्तविक फील्ड रिपोर्ट समय पर प्राप्त हो रही हैं। दूसरे चरण में वैब आधारित अनुप्रयोगों को अन्य परियोजनाओं पर भी लागू किया जायेगा जिससे उनकी दक्ष निगरानी हो सके।

बाहरी फर्म द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नियंत्रण प्रणाली की प्रभावकारिता सुनिश्चित करती है। निदेशक मण्डल की लेखापरीक्षा समिति आंतरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षकों और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों की समीक्षा करती है और सिफारिश के क्रियान्वयन को मॉनीटर भी करती है।

मानव संसाधन विकास और ओद्यौगिक संबंध

एचपीएल अपनी कुशल मानवशक्ति, विशेषकर वरिष्ठ स्तर पर, के सीमित होने और प्रीफैब प्रौद्योगिकियों, निगरानी, गुणता, नियंत्रण आदि से निपटने के लिए अन्य विशेषज्ञों की कमी के कारण नियंत्रित है। यहां तक कि विधायी विभाग और कंपनी सचिव भी इस समय अनुबंध पर हैं। फिर भी, इन बाधाओं के होते हुए भी, एचपीएल अपने दिन–प्रतिदिन के कार्य अपने सीमित संसाधनों और तात्कालिक मानवशक्ति जरूरतों के लिए संविदा पर कर्मचारियों की भर्ती कर चला रही है।

कंपनी अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण द्वारा उनकी क्षमताओं के विकास करने के साथ–साथ अपने कामगारों के अतिरेक संख्याबल को सुरक्षा, हाउस कीपिंग आदि जैसे कार्यों पर लगाने की ओर ध्यान केंद्रित करती है। वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे और कोई मानव दिवस बेकार नहीं गया।

निगमित सामाजिक दायित्व

एचपीएल की सीएसआर व सुस्थिरता नीति की संकल्पना ''सुस्थिरता के आधार पर समुदायों और हितधारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रतिबद्धता है विशेषकर चल रही परियोजनाओं के स्थलों वाले क्षेत्र में'' के रूप में की गई है। वर्ष के दौरान, अपने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने के अपने प्रयास ने एचपीएल ने वर्ष 2016–17 के लिए अपने पीएटी के 2 प्रतिशत के समान 12,56 लाख रू. का योगदान अरूणाचल प्रदेश राज्य को एक एम्बुलेंस सौंप कर किया।

विनिवेश

आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने अपनी 17 फरवरी, 2016 ने एचपीएल के 100% हित की बिक्री इसी प्रकार के

किसी अन्य सीपीएसई को करने का सिद्धांत में निर्णय लिया है। उसके अनुसार, डीआईपीएएम ने लेनदेन सलाहकार और विधि–सलाहकार की नियुक्ति की है प्रशासनिक मंत्रालय ने परिसंपत्ति मूल्यांकन नियुक्त किया है। रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करने के लिए आरंभिक सूचना ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और प्रक्रियाधीन है तथा एचपीएल विनिवेश की प्रक्रिया में सभी संभव सहायता कर रहा है।

सचेतक कथनः

कम्पनी के उद्देश्य. प्रक्षेपण, अनुमानों अपेक्षाओं के बारे में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में दिये गए कथन व्यवहार्य विधियों और विनियमों के अर्थों के भीतर प्रगतिशील कथन हो सकते हैं जो आपकी कम्पनी के प्रबन्धन के विश्वास पर आधारित हैं। ऐसे कथन भावी घटनाओं के सम्बन्ध में कम्पनी के वर्तमान विचार हैं, जो जोखिमों और अनिश्चितताओं के अधीन हैं, जिनमें अन्यों के साथ–साथ उन सामान्य आर्थिक व व्यापारिक स्थितियों मे परिवर्तन भी शामिल होते हैं जो उन खण्डों पर प्रभाव डालती हैं । जिनमें कम्पनी कार्य करती है व व्यापारिक कार्यनीति में परिवर्तन, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, विदेशी मुद्रा दरों, उद्योग में प्रतिस्पर्धा, सरकारी विनियमों, कर नियमों व अन्य संविधियों तथा अन्य अनुषंगी कारकों मे परिवर्तन आदि। कम्पनी सार्वजनिक तौर पर कोई दायित्व नहीं लेती कि वह किन्ही अग्रगामी कथनों को अद्यतन करे चाहे वे किसी नई सूचना, भावी घटनाओं अथवा अन्यथा के परिणामस्वरूप ही क्यों न हों।

Judicial Academy Athani, Eranakulam, Kerala

ब्यॉस हास्टल, आईआईआईटीजी

न्यायिक अकादमी, अथानी, एर्नाकुलम, केरल

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, कटक

टाइप–II क्वॉटर कंगवाई

एचपीएल टेक्नोपार्क

पीएनबी, सहारनपुर

दिल्ली पुलिस गोकुलपुरी

पीएनबी, मुजफ्फर नगर

सैनिक स्कूल मिजोरम

सीटीबी, गंगेल

क्यू काम्प्लेक्स, देवगढ़

टाइप–IV क्वाटर, खुगा मनिपुर असम
राफल्स के लिए

अनुलग्नक –Iक

ललित चौधरी एंड कंपनी
कंपनी सचिव

सेवा में,

सदस्य,
हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड,
नई दिल्ली

हमने लोक उद्यम विभाग (डीपीई) और भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को खंड 8..2.1 में निर्धारित अनुबद्धताओं के अनुरूप हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (कंपनी) के 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारा परीक्षण कंपनी द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया और अनुपालन की समीक्षा करने तक सीमित है ताकि निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। न तो यह कंपनी के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी उत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की प्रक्रिया में है जैसी कि सीपीएसई के लिए डीपीई द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों में अनुबद्ध है। तथापि, हम रिपोर्ट करते हैं किः

(i) कंपनी ने वर्ष के दौरान एक स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त किया है परंतु बोर्ड में अभी भी एक स्वतंत्र निदेशक का पद भरा जाना अपेक्षित है।

LALIT CHAUDHARY & COMPANY
C. P. No. 15889
Company Secretaries

कृते ललित चौधरी एंड कंपनी
कंपनी सचिव
फर्म पंजीकरण संख्या. एस2016डीई364000
सदस्य संख्या. 21095
सीओपी संख्या. 15889

दिनांकः 30 अगस्त, 2017
स्थानः नई दिल्ली

मुख्य कार्यालय : 31/26, भू–तल, पुराना राजेंद्र नगर, नई दिल्ली – 110060
ई मेल : csialitchaudhary1@gmail.com फोन : 011 41444780 मो. 9213509343

अनुलग्नक –Iख

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
(कार्मिक एवं प्रशासन विभाग)

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद

अनुसूचित जाति

अधिसूचित बैक लॉग	कुल रिक्तियों की संख्या			आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की संख्या	पूर्व वर्षों से आगे लाई गई अनुसूचित जाति संबंधित रिक्तियों की संख्या (ऐसे मामलों में जहां अनारक्षण की अनुमति दी जाती है)	रिक्तियों को आगे ले जाने तृतीय वर्ष में आगे लाए गए अनुसूचित जाति के आरक्षण के प्रति नियुक्त किए गए अनुसूचित अभ्यार्थियों की सं. (ऐसे मामलों में जहां अनारक्षण की अनुमति दी जाती है।)	तीन भर्ती वर्षों में आगे लाए जाने के बाद समाप्त हुए आरक्षणों की संख्या (ऐसे मामलों में जहां अनारक्षण के लिए अनुमति दी जाती है)
	रिक्तयाँ पहचानी गयी	वर्तमान में अधिसूचित	रिक्तियां भरी जानी हैं	कॉलम 4 में से अधिसूचित	कॉलम 5 में से भरी जानी है				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग				शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अनुसूचित जनजाति

रिक्तयों की संख्या		नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की संख्या	पूर्व वर्षों से आगे लाई गई अनुसूचित जाति संबंधित रिक्तियों की संख्या (ऐसे मामलों में जहां अनारक्षण की अनुमति दी जाती है)	रिक्तियों को आगे ले जाने तृतीय वर्ष में आगे लाए गए अनुसूचित जाति के आरक्षण के प्रति नियुक्त किए गए अनुसूचित अभ्यार्थियों की सं.(ऐसे मामलों में जहां अनारक्षण की अनुमति दी जाती है।)	तीन भर्ती वर्षों में आगे लाए जाने के बाद समाप्त हुए आरक्षणों की संख्या (ऐसे मामलों में जहां अनारक्षण के लिए अनुमति दी जाती है)	अभियुक्ति
कॉलम 4 में से अधिसूचित	कॉलम 5 में से भरी जानी है					
11	12	13	14	15	16	17
शून्य	शून्य	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
शून्य	शून्य	-	-	-	-	

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
(कार्मिक एवं प्रशासन विभाग)

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक प्रोन्नत्ति द्वारा भरे गए पद

अनुसूचित जाति

श्रेणी	कुल रिक्तियों की संख्या		आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की संख्या	पूर्व वर्षों से आगे लाई गई अनुसूचित जाति से संबंधित रिक्तियों की संख्या	अनुसूचित जाति के आरक्षण के रिक्तियों को आगे ले जाने वाले तृतीय वर्ष में आगे लाए गए अभ्यार्थियों की संख्या	तीन भर्ती वर्षों में आगे लाए जाने के बाद समाप्त हुए आरक्षणों की संख्या
	अधिसूचित	भरी हुई	कॉलम 4 में से	कॉलम 5 में से				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	-	-	-	-	-	-	-	-
ख	-	-	-	-	-	-	-	-
ग	-	-	-	-	-	-	-	-
घ	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुसूचित जनजाति

रिक्तियों की संख्या		नियुक्त किए गए अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों की संख्यागत	गत वर्षों से आगे लाई गई अनुसूचित जनजाति संबंधित रिक्तियों की संख्या	रिक्तियों को आगे ले जाने तृतीय वर्ष में आगे लाए गए अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के प्रति रियुक्त किए गए अनुसूचित अभ्यार्थियों की संख्या	तीन भर्ती वर्षों में आगे लाए जाने के बाद समाप्त हुए आरक्षणों की संख्या	अभियुक्ति
कॉलम 4 में से अधिसूचित	कॉलम 5 में से भरी जानी है					
10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
योग	-	-	-	-	-	

अनुलग्नक –Iग

दिव्यांग व्यक्तियों के अभ्यावेदन (वर्ष 2016–17 के लिए)

	कर्मचारियों की संख्या				सीधी भर्ती							प्रोन्नतियां						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			बनाई गई रिक्तियां				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियां			
वर्ग	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच	कुल	वीएच	एचएच	ओएच
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**
A	07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B	07	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C	176	01	-	04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D	66	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**256**	**01**	-	**06**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

अनुलग्नक –1घ

(कम्पनी कार्य विभाग द्वारा जारी 30.12.1988 की अधिसूचना सं. 1029 की शर्तों के अनुरूप दी गई अतिरिक्त सूचना)

तकनीकी समावेशन

"बी" फॉर्म

अनुसंधान एवं विकास (अनु. एवं वि.)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जहां कम्पनी द्वारा अनुसंधान और विकास किया गया।	शून्य
2.	उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ –	लागू नहीं
3.	कार्रवाई की भावी योजना	हि.प्री.लि. विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रीफैब प्रोद्योगिकी का प्रयोग करते हुए मिश्रित प्रौद्योगिकी (पफ पैनल और जिपसम प्रबलित दीवार पैनल) का प्रसार करने का प्रयास कर रही है।

4. अनुसंधान और विकास पर व्यय

क)	पूंजी	शून्य
ख)	आवती	शून्य
ग)	योग	शून्य
घ)	कुल कारोबार के प्रतिशत रुप में अनुसंधान एवं विकास पर कुल व्यय	शून्य

प्रौद्योगिकी का समावेशन, अनुकूलन एवं नवप्रवर्तन

i)	प्रौद्योगिकी के प्रयोग, अनुकूलन एवं नवप्रवर्तन के प्रति संक्षेप में किए गए प्रयास।	प्रक्रियाधीन
ii)	उपर्युक्त सुधार के परिणाम स्वरूप उठाए गए लाभ जैसे लागत में कमी उत्पादन में विकास, आयात में प्रतिस्थापन।	लागू नहीं
iii)	आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से गत 5 वर्षों के दौरान आयतित) के बारे में निम्नलिखित सूचना दी जाए।	

क	आयातित प्रौद्योगिकी	शून्य
ख	आयात करने का वर्ष	लागू नहीं
ग	क्या प्रौद्योगिकी पूर्णतया अंगीकृत की गई है,	लागू नहीं
घ	यदि पूर्ण रूप से अंगीकृत नहीं की है तो स्थान बताएं जहां इसका उपयोग नहीं किया गया है और उसके कारण एवं कार्रवाई के लिए भविष्य की योजनाएं बताएं।	लागू नहीं

निदेशक मण्डल के लिए तथा उनकी ओर से

हस्ता/..
(राजेश गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 31.08.2017

अनुलग्नक –1ङ

फॉर्म संख्या एमजीटी 9
वर्षिक विवरणी से उद्धरण

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरेः

1.	सीआईएन	यू74899डीएल1953जीओआई002220
2.	पंजीकरण की तारीख	27.01.1953
3.	कंपनी का नाम	हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
4.	कंपनी की श्रेणी / उपश्रेणी	कंपनी
5.	पंजीकृत कार्यालय का पता व संपर्क ब्यौरा	जंगपुरा, नई दिल्ली 110014 दूरभाष नं0 011–43149800
6.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है।	नहीं
7.	रजिस्टर व ट्रांसफर एजेंट यदि कोई हो तो उसका नाम व पता	शून्य

II. कंपनी का मुख्य व्यापार कार्य (वे सभी कार्यकलाप बताए जाएं जो कंपनी के कुल करोबार में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करते हैं।)

क्रम संख्या	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम व ब्यौरा	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का प्रतिशत
1	भवनों का निर्माण, प्रीफैब सेतु और भू–विकास	999300.09	100%
2	प्रीस्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट के बिजली के खम्भे व पीसी रेल के स्लीपर	681099.09	-
3	भवनों अथवा सिविल इंजीनियरिंग के लिए प्रीफैब्रिकेटेड स्ट्रक्चरल संघटक।	681091.00	-

III. धारित, सहायक और संबंद्ध कंपनियों का विवरण–

क्रम संख्या	कंपनी का नाम व पता	सीआईएन / जीएलएन	धारित / सहायक / सम्बद्ध	धारित शेयरों का प्रतिशत	लागू धारा
1			शून्य		
2					
3					

VI. शेयर धारिता का तरीका (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में ईक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

I) श्रेणीवार शेयर धारिता

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2015 को]				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या [31 मार्च 2016 को]				वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	डीमैट	वास्तविक	योग	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	वास्तविक	योग	कुल शेयरों का प्रतिशत	
क. प्रवर्तक									
(1) **भारतीय**									
क) व्यक्ति/एचयूएफ									
ख) केन्द्र सरकार	शून्य	1,34,76,685*	1,34,76,685*	100%	शून्य	1,34,76,685*	1,34,76,685*	100%	शून्य
ग) राज्य सरकार (एस)									
घ) निगमित निकाय									
ड.) बैंक /वि.सं.									
च) अन्य									
प्रवर्तकों की कुल शेयर धारिता (क)	शून्य	1,34,76,685*	1,34,76,685*	100%	शून्य	1,34,76,685*	1,34,76,685*	100%	शून्य
ख. पब्लिक शेयर धारिता									
1. संस्थान									
क) मयूच्यल फंड									
ख) बैंक/वि. सं.									
ग) केन्द्र सरकार									
घ) राज्य सरकार (एस)									
ड.) वेंचर पूंजी निधि									
च) बीमा कंपनियां									
छ) एफआईआइ									
ज) विदेशी वेंचर पूंजी निधि									
झ) अन्य (उल्लेख करें)									
उप–योग (ख) (1):-									

2. गैर– संस्थान									
(क) निगमित निकाय									
i) भारतीय									
ii) विदेशी									
(ख) वैयक्तिक									
i) वैयक्तिक शेयर धारक एक लाख तक की नाम मात्र शेयर पूंजी									
ii) वैयक्तिक शेयर धारक एक लाख से अधिक की नाम मात्र शेयर पूंजी									
(ग) अन्य (उल्लेख करें)									
अनिवासी भारतीय									
विदेशी निगमित निकाय									
विदेशी राष्ट्रीय									
क्लीयरिंग सदस्य									
न्यास									
विदेशी निकाय–डीआर									
उप–योग (ख)(2):-	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल पब्लिक शेयरधारिता (ख)=(ख)(1)+ (ख)(2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ग. जीडीआर व एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग (क+ख+ग)	शून्य	1,34,76,685*	1,34,76,685*	100%	शून्य	1,34,76,685*	1,34,76,685*	100%	शून्य

*2. शेयर सीएमडी, एचपीएल द्वारा धारित हैं और 1 शेयर संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हूपा व श. वि. मंत्रालय द्वारा धारित है और वह भी लाभकारी हित के बिना।

II) प्रवर्तक की शेयरधारिता

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कंपनी की शेयरधारिता का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन/ भारित प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी की शेयरधारिता का प्रतिशत	कुल शेयरों का रेहन/ भारित प्रतिशत	
1	भारत के माननीय राष्ट्रपति	1,34,76,682	100%	NIL	1,34,76,682	100%	NIL	NIL
2	सीएमडी, एचपीएल*	2	-	-	2	-	-	-
3	संयुक्त सचिव और एफए* हूपा और शहरी विकास मंत्रालय	1	-	-	1	-	-	-
4								
5								

'2 . शेयर सीएमडी, एचपीएल द्वारा धारित हैं और 1 शेयर संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार हूपा व श. वि. मंत्रालय द्वारा धारित है और वह भी लाभकारी हित के बिना।

(ग) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन नहीं हो, तो उल्लेख करें)

क्र.सं.	विवरण	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी की शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी की शेयरधारिता का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	1,34,76,685*	100%	1,34,76,685*	100%
	वर्ष के दौरान प्रवर्तक की शेयरधारिता में तारीखवार/घटौती/वृद्धि/घटौती के कारणों का उल्लेख करें अर्थात (आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी)	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की धारिता में कोई परिवर्तन नहीं।			
	वर्ष के अंत में	1,34,76,685*	100%	1,34,76,685*	100%

(घ) शीर्ष 10 शेयर धारकों का शेयर धारिता प्रतिमान (निदेशको, प्रवर्तकों और जीडीआर और एडीआर धारकों को छोड़कर)

क्र.सं.	शीर्ष 10 शेयर धारकों में से प्रत्येक	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी की शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी की शेयरधारिता का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में				
	वर्ष के दौरान प्रवर्तक की शेयरधारिता में तारीखवार/घटौती/वृद्धि/घटौती के कारणों का उल्लेख करें अर्थात (आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी)		शून्य		
	वर्ष के अंत में				

(ङ.) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता

SN	Shareholding of each Directors and each Key Managerial Personnel	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी की शेयरधारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कंपनी की शेयरधारिता का प्रतिशत
	वर्ष के प्रारंभ में	3	-	3	-
	वर्ष के दौरान प्रवर्तक की शेयरधारिता में तारीखवार/घटौती/वृद्धि/घटौती के कारणों का उल्लेख करें अर्थात (आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वीट इक्विटी)	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की धारिता में कोई परिवर्तन नहीं।			
	वर्ष के अंत में	3	-	3	-

V) ऋणभार – बकाया/उपार्जित ब्याज, परन्तु भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी का ऋणभार

	जमा रहित सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणभार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणभार				
i) मूल राशि				
ii) देय ब्याज पर अदत्त				
iii) उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
योग (i+ii+iii)				
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
*जुड़ना				
*घटना				
निवल परिवर्तन				
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणभार				
i) मूल राशि				
ii) देय ब्याज पर अदत्त				
iii) उपार्जित ब्याज परन्तु देय नहीं				
योग (i+ii+iii)				

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्वाकालिक निदेशकों और अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
		श्री राजेश गोयल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री एस.के. गुप्ता निदेशक (तकनीकी)	
1	सकल वेतन	**1,9,65,474**	**17,42,537**	
	(क) आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन	1,8,83,434	16,53,966	35,07,400
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य			
	i. चिकित्सा	--	14,999	14,999
	ii. छुट्टी का नकदीकरण	--		
	iii. उपदान	82,040	73,572	1,55,612
	(ग) आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन की जगह लाभ	-	-	
2	स्टॉक विकल्प	-	-	
3	स्वीट इक्विटी	-	-	
4	कमीशन - लाभ के प्रतिशत के रूप में - अन्य, स्पष्ट करें	-	-	
5	अन्य, कृपया स्पष्ट करें भ. नि. में अंशदान	1,96,101	1,73,234	3,69,335
	योग (क)	21,61,575	36,58,308	40,47,346
	अधिनियम के अनुसार सीमा	लागू नहीं		

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम		कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशक			
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क	शून्य		
	कमीशन			
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें			
	योग (1)			
2	अन्य गैर कार्यात्मक निदेशक			
	बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने का शुल्क			
	कमीशन	शून्य		
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें			
	योग (2)			
	योग (ख)=(1+2)			
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक			
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा			

(ग) एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी से भिन्न मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.स.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक			
		सीईओ	सीएस	सीएफओ	योग
1	सकल वेतन				
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित उपबंधों के अनुसार वेतन				
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलब्धियों का मूल्य				
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन की जगह लाभ		लागू नहीं		
2	स्टॉक विकल्प				
3	स्वीट इक्विटी				
4	कमीशन				
	– लाभ के प्रतिशत के रूप में				
	– अन्य, स्पष्ट करें				
	अन्य, कृपया स्पष्ट करें				
	योग				

VII. शास्ति/दंड अपराधों का प्रशमन

किस्म	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	शास्ति, दंड/आधिरोपित शुल्क का प्रशमन	प्राधिकार (आरडी/एनसीएलटी/अदालत)	की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें)
क. कंपनी					
शास्ति					
दंड					
प्रशमन					
ख. निदेशक					
शास्ति					
दंड		शून्य			
प्रशमन					
ग. अन्य दोषी अधिकारी					
शास्ति					
दंड					
प्रशमन					

AN ISO 9001:2008 Company

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
Hindustan Prefab Limited

एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टर्ड लेखाकार

31–एफ, कनॉट प्लेस
नई दिल्ली–110001
दूरभाषः 91–11–23313495–6–7
फैक्सः 91–11–23713516
आईसीएआई रजि. सं. 000346एन
वेबसाइटः www.spchopra.in
ई–मेलः spc1949@spchopra.in

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सदस्य, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड।

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (कंपनी) के संलग्न विवरणों का परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च 2017 का तुलना–पत्र लाभ और हानि विवरण और समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का संक्षिप्त विवरण तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (5) में निहित इन विवरणों को तैयार करने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी होता है कि ये कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाह की सही व शुद्ध स्थिति दर्शाते हैं। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों के संरक्षण के लिए और कपट और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम और पता लगाना; समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोगः आंतरिक नियंत्रणों का डिजायन और कार्यान्वयन अनुरक्षण जो वित्तीय तैयार करने और प्रस्तुतिकरण के लिए संगत हों जो सही व शुद्ध स्थिति दर्शाते हों और भौतिक मिथ्यावर्णन, चाहे कपट अशुद्धि के कारण हो, से मुक्त हैं, शामिल है।

लेखापरीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अधिनियम के उपबंधों, लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों, और इन मामलों को ध्यान में रखा है जिन्हें अधिनियम के उपबंधों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल करना अपेक्षित है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा अधिनियम की धारा 143 (10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक मूल्यों को अपनायें तथा लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन इस ढंग से करें ताकि यह पता चल सके कि क्या ये वित्तीय विवरण भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शामिल होती है। चयन की गई प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है। इसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट से हों या अशुद्धि से, के जोखिम का निर्धारण निहित रहता है, इन जोखिमपूर्ण निर्धारणों को करते समय, लेखापरीक्षक उन आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करता है जो कंपनी के वित्तीय विवरणों को करने तथा शुद्ध रूप में प्रस्तुत करने में संगत होते हैं और ये लेखापरीक्षा प्रक्रियाऐं परिस्थितियों के अनुकूल डिजाइन करने में भी सहायक होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा बनाये गए लेखांकन आंकलनों के औचित्य के मूल्यांकन के साथ–साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी निहित रहता है।

हम यह विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने जुटाये हैं वे हमारी राय में प्रर्याप्त और उचित हैं।

सापेक्ष तक का आधार

कंपनी के व्यापार प्राप्तव्य, अग्रिम और व्यापार देय में दर्शाये शेष पुष्टि/समाधान और समायोजन के अधीन हैं। पुष्टि/समाधान के परिणामस्वरूप, वित्तीय विवरणों पर प्रभाव, यदि कोई हो, निश्चेय नहीं है।

सापेक्ष मत

हमारी राय में और हमारी उत्तम जारकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, वित्तीय विवरण अधिनियम में अपेक्षित ढंग से सूचना प्रदान करते हैं और भारत में समान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2017 को कंपनी की स्थिति की उस तारीख को समाप्त वर्ष को इसकी लाभ तथा नकद प्रवाह की सही व शुद्ध स्थिति दर्शाते हैं। सिवा ऊपर सापेक्ष मत का आधार पैरा में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों के।

महत्वपूर्ण मामले

हम वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करवा रहे हैंः

1. टिप्पणी सं. 11.1 तथा 11.2ः कुछ ग्राहकों से 2010–11 और 2013–14 से 1375.51 लाख रू. की वसूली की जानी है। इन राशियों को प्रबंधन द्वारा उक्त टिप्पणी में दिये गए कारणों से वसूलीयोग्य समझा गया है।

2. टिप्पणी सं. 13.2ः ग्राहक द्वारा 2012–13 से निर्माण संविदा कर (डब्ल्यूसीटी) के कुल 44.85 लाख रू. की कटौती परियोजना प्रबंधन परामर्शी परियोजनाओं पर की गई। उस पर वापसी के दावे को प्रबंधन द्वारा उक्त टिप्पणी में दिये गए कारणों से वसूली योग्य दर्शाया गया है।

3. टिप्पणी सं. 23.8ः संचयी हानियों के परिणामस्वरूप कंपनी की महत्वपूर्ण नेट–वर्थ कट जाती है। तथापि, वित्तीय विवरण उक्त टिप्पणी में यथाप्रकट आधारों पर चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किये गए हैं।

इन मामलों में हमारी राय आशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) में विहित शर्तों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी 'कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 द्वारा यथापेक्षित हम आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर अपनी यथासंभव टिप्पणी अनुलग्नक 1 के रूप में दे रहे हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अनुसार हम अपनी रिपोर्ट कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांच जिसे हमने उचित समझा और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों और उप–निदेशों के आधार पर अनुलग्नक 'ख' में दे रहे हैं।

3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट देते हैं किः

   क. हमने सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किये हैं जो हमारी अधिकतम जानकारी तथा विश्वास के आधार पर हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

   ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित लेखा पुस्तकों को, जहां तक उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है, रखा गया है।

   ग. तुलन पत्र, लाभ–हानि लेखा, नकद–प्रवाह कथन, जो इस रिपोर्ट में उल्लिखित किये गए है, लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

   घ. सिवा अर्हक मत का आधार पैरा में वर्णित मामले के सम्भावित प्रभावों के तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा नकद प्रवाह विवरण कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

   ङ. सरकारी कंपनी होने के नाते, भारत सरकार की 5 जून, 2015 की अधिससूचना संख्या जीएसआर 463(ङ) के अनुसरण में कंपनी पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप–धारा (2) के उपबंध लागू नहीं होते।

   च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभावकारिता के विषय में कृप्या अनुलग्नक 'ग' में अलग से रिपोर्ट को देखें; और

   छ. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम, 11 के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय और हमारे उत्तम ज्ञान और हमें, दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार :

      i. कंपनी ने लंबित वादों का अपने वित्तीय विवरण में इसकी वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रकटन किया है–देखें वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 23.1

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालीन संविदा नहीं किया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि को अंतरित करने के लिए कोई राशि अपेक्षित नहीं थी।

iv. कंपनी ने 8 नवंबर, 2016 से 30 सितंबर, 2016 की अवधि के दौरान विशिष्ट बैंक नोटों की धारिता और साथ–साथ निपटान के बारे में वित्तीय विवरणों में वांछित प्रकटन किया है। लेखापरीक्षा पद्धतियों के आधार पर और प्रबंधन के उत्तर पर विश्वास करते हुए, हम सूचित करते हैं कि प्रकटन कंपनी द्वारा रखी गई लेखा पुस्तकों के अनुसार है, जैसा प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कृप्या वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 23.20 देंखे।

कृते एस.पी. चोपड़ा एण्ड कं.
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 99143

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 सितम्बर, 2017

एस.पी. चोपड़ा एंड कं.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाएं' खंड के पैरा 1 में संदर्भित)

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के विषय में;

क. कंपनी ने स्थायी संपत्तियों के मात्रिक ब्यौरे सहित उनका पूर्ण विवरण और स्थिति दर्शाने वाले न तो कोई उचित रिकॉर्ड रखे हैं और न ही इन रिकार्डों को अद्यतन किया है।

ख. वर्ष के दौरान प्रबंधन ने स्थायी संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रभावी रूप से नहीं किया है।

ग. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेख का हमारे द्वारा किये गए परीक्षण के आधार पर, अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख, वित्तीय विवरणों में स्थायी संपत्ति की टिप्पणी 9 में प्रकटन के सिवा, कंपनी के नाम में है।

(ii) जैसा हमें बताया गया है, वर्ष के दौरान धारित स्टॉक को बट्टे खाते डाल दिया गया है और इस प्रकार धारित स्टॉक का वास्तविक सत्यापन नहीं किया गया है।

(iii) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 189 के अंतर्गत अनुरक्षित रजिस्टर में कवर किन्हीं कंपनियों, फर्मों, सीमित दायित्व भागीदारी अथवा अन्य पक्षों को कोई ऋण मंजूर नहीं किया है।

(iv) हमारी राय में, और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋणों, निवेशों, गारंटियों और प्रतिभूति के विषय में अधिनियम की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

(v) जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए यह खंड लागू नहीं होता।

(vi) भारत सरकार द्वारा बनाये गए नियमों के अनुसार, कंपनी को अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखने की जरूरत नहीं है।

(vii) सांविधिक संदेय राशि के संबंध में:

(क) कंपनी के रिकॉर्ड के अनुसार, अविवादित सांविधिक देय राशि जैसे भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उप–कर और अन्य सांविधिक देय राशियां, जो भी लागू हैं, उपयुक्त प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा किये जाते हैं, यद्यपि कुछेक मामलों में विलंब हुआ है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2017 कोई राशि के संदेय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक की, बकाया नहीं पड़ी है।

(ख) 325.53 लाख रूपये की कुल विवादित सांविधिक देय राशि का ब्यौरा समुचित प्राधिकारियों के समक्ष अपील में लंबित मामलों के कारण जमा नहीं करायी गई है, निम्नवत् हैः–

क्र. सं.	संविधि का नाम	देय राशि की किस्म	जहां विवाद लंबित है	राशि (रू.लाख में)
1.	केरल का वैट अधिनियम	वैट	उच्च न्यायालय	34.05
2.	आय कर अधिनियम, 1961	आय कर	आय कर आयुक्त	30.80
3.	सेवा कर अधिनियम	सेवा कर	सेवा कर आयुक्त	12.01
4.	संपत्ति कर	संपत्ति कर	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	248.67
			योग	**325.53**

(viii) कंपनी ने बैंक से अथवा डिबैंचर धारकों से कोई ऋण और उधार नहीं लिया है अतः यह खंड लागू नहीं है।

(ix) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण से अनुसार कंपनी ने न तो आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा अतिरिक्त सार्वजनिक (उधार प्रलेख सहित) प्रस्ताव के माध्यम से कोई निधि उठायी है और न ही वर्ष के दौरान कोई सावधि जमा लिया है।

(x) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, और हमारी लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा न तो कोई धोखा किया गया है अथवा न ही उस के अधिकारियों/कर्मचारियों पर कंपनी द्वारा कोई आर्थिक धोखेबाजी की सूचना अथवा रिपोर्ट दी गई है।

(xi) अधिनियम की धारा 197, अनुसूची अ के साथ पठित, के उपबंध सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होते। तदनुसार यह खंड लागू नहीं है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, अतः इस खंड की अपेक्षाएं लागू नहीं होती।

(xiii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारे द्वारा कंपनी के रिकॉर्ड के परीक्षण के आधार पर, संबंधित पक्षों से लेन–देन में अधिनियम की धारा 177 और 188 का अनुपालन किया गया है और ऐसे लेनदेनों का ब्यौरा वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है जैसा कि कंपनी (लेखांकन) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट संबंधित पक्ष प्रकटन से संबंधित, सरकार नियंत्रित प्रतिष्ठानों पर लागू सीमा तक लेखांकन मानक 18 द्वारा अपेक्षित है।

(xiv) जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है कि कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान आवंटन अथवा निजी आवंटन पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचरों का आवंटन नहीं किया है।

(xv) हमारी राय में, और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों अथवा उनके संपर्क में किन्हीं व्यक्तियों के संग कोई रोकड़ रहित लेन–देन नहीं किया है।

(xvi) जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–Aक के अंतर्गत पंजीकरण कराना अपेक्षित नहीं है।

कृते एस.पी. चोपड़ा एण्ड कं.
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 99143

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 सितम्बर, 2017

एस.पी. चोपड़ा एंड कं.

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाएं' के पैरा 2 के संदर्भ में)

वर्ष 2016–17 के लिए हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के वार्षिक लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत जारी निर्देश और उप–निर्देश

क्र.सं.	निर्देश / उप–निर्देश	लेखापरीक्षकों के प्रत्युत्तर	उन पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
क.	निदेश			
1	क्या कंपनी का फ्रीहोल्ड और पट्टे पर भूमि का स्पष्ट स्वामित्व / पट्टा विलेख है? यदि नहीं, कृपया उस फ्रीहोल्ड और पट्टा भूमि का क्षेत्रफल बतायें जिनके लिए स्वामित्व / पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31.3.2017 को कंपनी के कब्जे में कोई फ्रीहोल्ड भूमि नहीं है। इसके अतिरिक्त कंपनी के कब्जे में संपत्तियां / भूमि है जिसका पट्टा और हस्तांतरण विलेख अभी तक कंपनी के पक्ष में नहीं हुआ है जिसे स्थायी परिसंपत्तियों की टिप्पणी 9 में प्रकट किया गया है।	पट्टा विलेख और हस्तांतरण विलेख के निष्पादन के लिए संबंधित प्राधिकरियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।	पट्टा विलेख के अभाव में, वित्तीय विवरणों में परिशोधन नहीं किया जा सका।
2	कृपया सूचित करें कि क्या नामे / ऋण / ब्याज आदि को छोड़ा / बट्टे खाते डाला गया है, यदि हां, तो उसके कारण और विहित राशि बताएं।	कंपनी ने वर्ष के दौरान, ऋण और अग्रिम, के पुराने शेषों के 41.65 लाख रू. को बट्टे–खाते में डाल दिया है, जो प्रबंधन की राय में वसूली योग्य नहीं हैं। ब्यौरे के लिए टिप्पणी संख्या 20 देखें।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।	पहले ही हिसाब में ले लिया है।

क्र.सं.	निदेश/उप–निदेश	लेखापरीक्षकों के प्रत्युत्तर	उन पर प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई	वित्तीय विवरणों पर प्रभाव
3	क्या तृतीय पक्षों के पास पड़े सामानों और सरकार अथवा अन्यों से उपहार के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों का उचित रिकॉर्ड रखा जा रहा है।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31.03.2017 को न तो कोई मालसूची तृतीय पक्ष के पास है और न ही सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से, वर्ष के दौरान, उपहार/अनुदान (नों) के रूप में कोई परिसंपत्ति प्राप्त हुई हैं।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।	कोई नहीं।
ख	उप–निर्देशः			
	शून्य			

कृते एस.पी. चोपड़ा एण्ड कं.
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 99143

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 सितम्बर, 2017

एस.पी. चोपड़ा एंड कं.

स्वतंत्र लेखा–परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

(हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के खंड 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं' खंड के पैरा 3 (छ) में संदर्भित)

''कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में रिपोर्ट

'हमने इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा–परीक्षा के सहयोजन में 31 मार्च, 2017 को हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड 3 (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की दायिता

कंपनी का प्रबंधन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी किए गए ''वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट'' (''मार्गदर्शन नोट'') में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों को ध्यान में रख कर कंपनी द्वारा स्थापित किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित और रख–रखाव करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायिताओं में उन पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाईन, कार्यान्वयन और रख–रखाव शामिल हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत यथा अपेक्षित कंपनी की नीतियों का पालन करने, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने, धारणों और अशुद्धियों को रोकने तथा पता लगाने और लेखा रिकॉर्डों की परिशुद्धता तथा पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने समेत इसके कार्य को व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से प्रचालित हो रहे थे, शामिल हैं।

लेखा–परीक्षक की उत्तरदायिता

हमारी उत्तरदायिता हमारी लेखा–परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक मत व्यक्त करना है। हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर लागू सीमा तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और लेखा परीक्षा के मानकों जिन दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है, के अनुसार अपनी लेखा–परीक्षा की तथा जिन दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा लागू दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर लागू सीमा तक इस अधिनियम की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित किया गया माना गया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट में अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें तथा नयी वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित और अनुरक्षित किया गया है और यदि ऐसे नियंत्रणों को सभी आर्थिक पहलुओं में लागू/उपयोग किया गया है, के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा–परीक्षा को नियोजित और निष्पादित करते हैं।

हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन कार्यकारिता पर आंतरिक वित्तीय नियत्रंण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा–परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित की जाने वाली क्रियाविधियां शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, इस जोखिम का मूल्यांकन करना कि इसमें आर्थिक कमी है, और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कार्यकारिता की जांच तथा मूल्यांकन करना भाामिल था। चयन की गई क्रियाविधियां वित्तीय कथनों चाहे वे धोखा देने अथवा अशुद्धि होने के कारण हो, की आर्थिक दृष्टि से अयथार्थ विवरण देने के जोखिमों का मूल्यांकन /अनुमान लगाने समेत लेखा–परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं।

हम विश्वास करते हैं कि हमको प्राप्त लेखा–परीक्षा प्रमाण वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा–परीक्षा के मत हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यता स्वीकार किए गए लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने हुए तैयार की गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां तथा क्रियाविधियां शामिल हैं जो (1) रिकॉर्डों के रखने से संबंधित है जो कंपनी के लेन–देनों और परिसंपत्तियों के विक्रयों को उचित विवरण सही और उचित रूप से प्रदर्शित किया गया हो; (2) यह उचित आश्वासन प्रदान किया गया हो कि उन लेन–देनों को रिकॉर्ड किया गया हो जो सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक हों और यह कि कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अनुमोदनों के अनुसार ही बनाया जा रहा हो; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण उपयोग अथवा विक्रण को रोकने अथवा समय पर पता लगाने जिनका वित्तीय पर आर्थिक प्रभाव हो सकता है, के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत अथवा अशुद्धि अथवा धोखाधड़ी के कारण नियंत्रण के अनुपयुक्त प्रबंधन को दबाने की सम्भाव्यता समेत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण हो सकती हैं अथवा जिनका शायद पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके साथ–साथ भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में परिवर्तनों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं अथवा यह कि नीतियों अथवा क्रियाविधियों के अनुपालन की श्रेणी विकृत हो सकती है।

राय

हमारी राय में कंपनी में सभी आर्थिक पहलुओं में 31 मार्च, 2016 को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य संघटकों को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा संस्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कारगर ढंग से प्रचालित हो रहे थे।

कृते एस.पी. चोपड़ा एण्ड कं.
चार्टर्ड लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 000346एन

अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्यता सं. 99143

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 सितम्बर, 2017

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
जंगपुरा, नई दिल्ली

वित्तीय विवरण (2016–17) पर सांविधिक लेखा परीक्षा आपत्ति का उत्तर

लेखा परीक्षा आपत्ति	प्रबंधन का उत्तर
कंपनी के व्यापार प्राप्तव्य, अग्रिम व्यापार देय कंपनी के अन्य पक्षों में दर्शाये गए शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है। वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव, यदि कोई हो, निश्चय नहीं है।	नाम शेषों की पुष्टि के लिए विविध देनदारों को पत्र लिखे गए हैं और पार्टियों को पुष्टि संबंधी पत्र भेजने को कहा गया है। परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान, पत्र व्यवहार किया जाता है और ग्राहकों को उपयोग प्रमाणपत्र भेजा जाता है, लेखाओं का समाधान किया जाता है और प्रभावों को हिसाब में लिया जाता है।

31 मार्च 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, नई दिल्ली के वित्तीय कथनों को बनाने की जिम्मेदारी कम्पनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप, कम्पनी के प्रबन्धन की है। कम्पनी अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए सांविधिक लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय जाहिर करें जो अधिनियम की धारा 143 (10) में निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप बनाये गए हैं। यह उनके द्वारा उनकी दिनांक 01 सितंबर, 2017 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6) (क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के वित्तीय कथनों की पूरक लेखापरीक्षा की है। यह पूरक लेखापरीक्षा मुख्य रूप से स्वतंत्र रूप से बिना सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपर को देखे और सांविधिक लेखा परीक्षक तथा कम्पनी के अधिकारियों से पूछताछ करके कुछ चुने हुए रिकॉर्ड पर आधारित है। अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, मेरे ध्यान में ऐसा कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं आया जिस पर कोई टिप्पणी की जाये अथवा सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुपूरक हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
तथा उनकी ओर से

Ritika Bhatia

ह0/–
(ऋितिका भाटिया)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य,
लेखा परीक्षा बोर्ड–III नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 सितंबर, 2017

AN ISO 9001:2008 Company

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
Hindustan Prefab Limited

तुलन पत्र

2016—2017

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
सीआईएन यू74899डीएल1953जीओआई002220

तुलना पत्रः 31 मार्च, 2017 को

(रूपए लाख में)

	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
इक्विटी और देयताएं					
शेयरधारक निधि					
शेयर निधि	2	**13,476.69**		13,476.69	
रिजर्व और अतिरेक	3	**(10,465.51)**	**3,011.18**	(11,035.72)	2,440.97
अप्रचलित देयताएं					
दीर्घकालीन देयताएं	4	**2,884.97**		2,420.62	
दीर्घकालीन प्रावधान	5	**2,122.53**	**5,007.50**	1,858.49	4,279.11
चालू देयताएं					
व्यापार संदेय	6	**13,555.99**		9,716.05	
अन्य चालू देयताएं	7	**13,772.85**		15,472.85	
अल्प कालीन प्रावधान	8	**229.29**	**27,558.13**	150.01	25,338.91
योग			**35,576.80**		32,058.99
परिसंपत्तियां					
अप्रचलित परिसंपत्तियां					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	9				
वास्तविक परिसंपत्तियां		**268.65**		273.63	
आवस्तविक परिसंपत्तियां		**0.01**		0.01	
पूंजीगत कार्य प्रगति अधीन		**30.28**		-	
		298.94		273.64	
दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम	10	**945.44**	**1,244.38**	1,053.74	1,327.38
चालू परिसंपत्तियां					
व्यापार प्राप्तव्य	11	**8,052.61**		4,627.93	
रोकड़ और बैंक शेष	12	**22,459.91**		20,993.95	
अल्प कालीन ऋण व अग्रिम	13	**3,007.09**		4,523.75	
अन्य चालू परिसंपत्तियां	14	**812.81**	**34,332.42**	585.98	30,731.61
योग			**35,576.80**		32,058.99
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1				
लेखाओं पर टिप्पणियां संलग्न है जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।	2 - 23				

(शिवानी भारद्वाज)	(सी.ए. विनोद कुमार गुप्ता)	(संजीव कुमार गुप्ता)	(राजेश गोयल)
कंपनी सचिव	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	निदेशक तकनीकी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्य सं. ए22800	सदस्य सं. 090722	डीआईएन . 06528183	डीआईएन. 03563891

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजि. सं. 000346एन

अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्य संख्या 099143

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2017

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
सीआईएन यू74899डीएल1953जीओआई002220

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण

(रु. लाखों में)

	टिप्पणी संख्या	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
प्रचालन राजस्व	15		**26,019.79**		42,322.81
अन्य आय	16		**2,653.64**		1,889.96
कुल राजस्व			**28,673.43**		44,212.77
व्यय :					
कार्य और परामर्शी व्यय	17		**24,606.31**		39,023.58
कर्मचारी हितलाभ व्यय	18		**2,486.86**		2,536.02
वित्त संबंधी लागतें	19		**22.02**		9.06
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	9.8		**14.20**		26.25
अन्य व्यय	20		**634.00**		1,312.99
पूर्वावधि व्यय (निवल)	21		**6.02**		12.60
सीएसआर व्यय	22		**12.56**		2.62
कुल व्यय			**27,781.97**		42,923.12
वर्ष का कर पूर्व लाभ			**891.46**		1,289.65
कर व्यय :					
चालू वर्ष		**304.00**		-	
एमएटी–धारा जख से अधिन चूाल वर्ष		**-**		276.00	
एमएटी–धारा जख से अधिन पूर्व वर्ष		**17.24**	**321.24**	8.06	284.06
वर्ष का लाभ			**570.22**		1,005.59
प्रति इक्विटी शेयर आय– बुनियादी और तनुकृत (अंकित मूल्य 100 / रू. प्रति शेयर)	23.16		**4.23**		7.46
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1				
लेखाओं पर टिप्पणियां संलग्न है जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।	2 to 23				

(शिवानी भारद्वाज)
कंपनी सचिव
सदस्य सं. ए22800

(सी.ए. विनोद कुमार गुप्ता)
वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
सदस्य सं. 090722

(संजीव कुमार गुप्ता)
निदेशक तकनीकी
डीआईएन . 06528183

(राजेश गोयल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन. 03563891

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजि. सं. 000346एन

अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्य संख्या 099143

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2017

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
सीआईएन यू74899डीएल1953जीओआई002220

31, मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण

(रू. लाख में)

		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क	**प्रचालन कार्यकलापों से नकद प्रवाह**		
	लाभ हानि विवरण के अनुसार कर पूर्व लाभ	**891.46**	1,289.64
	समायोजनः		
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**14.20**	26.25
	बट्टे खाता व प्रावधान	**647.35**	1,072.65
	शेष बट्टे खाते	**(182.45)**	(63.61)
	स्थायी परिसंपत्तियां बट्टे खाते	**-**	0.96
	ब्याज आय	**(2,261.36)**	(1,582.45)
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**-**	(171.06)
	किराया आय	**(55.32)**	(55.03)
		(1,837.57)	(772.28)
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन नकद लाभ	**(946.11)**	517.36
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन हेतु समायोजनः		
	माल सूची में कमी		17.60
	व्यापार और अन्य प्राप्तव्यों में (वृद्धि)	**(1,380.09)**	(527.90)
	व्यापार संदेय, अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	**2,345.99**	(280.65)
	प्रचालनों से सृजित आय		(790.95)
	प्रचालन कार्यों से निवल नकद प्रवाह	**19.80**	(273.59)
ख	**निवेश कार्यकलापों से नकद प्रवाह**		
	3 महीने. से अधिक की परिपक्कता अवधि का सावधी जमा	**2,101.30**	(11,897.31)
	ब्याज आय	**1,430.37**	1,365.14
	स्थायी परिसंपत्तियों का क्रय	**(39.61)**	(10.03)
	स्थायी परिसंपत्तायों की बिक्री	**0.09**	175.00
	किराया आय	**55.32**	55.03
	निवेश कार्यकलापों से निवल नकद प्रवाह	**3,547.46**	(10,312.16)
ग	**वित्त पोषण कार्यकलापों से आय :**	**-**	-
	वित्त पोषण कार्यकलापों के निवल नकद प्रवाह	**-**	-
	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)	**3,567.26**	(10,585.76)
	जोडें वर्ष के आदि में नकद और नकद समतुल्य	**4,213.55**	14,799.31
	वर्ष के अंत में नकद और समतुल्य (देखें टिप्पणी 12)	**7,780.81**	4,213.55

लेखाओं पर टिप्पणियां संलग्न है जो वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

(शिवानी भारद्वाज)	**(सी.ए. विनोद कुमार गुप्ता)**	**(संजीव कुमार गुप्ता)**	**(राजेश गोयल)**
कंपनी सचिव	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी	निदेशक तकनीकी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सदस्य सं. ए22800	सदस्य सं. 090722	डीआईएन . 06528183	डीआईएन. 03563891

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार
कृते एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजि. सं. 000346एन

अंकुर गोयल
भागीदार
सदस्य संख्या 099143

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2017

हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

कंपनी का सिंहावलोकन

जंगपुरा, नई दिल्ली–110014 में स्थित 28.639 एकड़ भूमि पर, भारत सरकार ने, हिंदुस्तान हाऊसिंग फैक्ट्री का गठन 1950 में किया, जो मुख्य रूप में पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से आए विस्थापितों के लिए प्रीफैब युक्त मकानों के निर्माण के लिए स्थापित की गई थी। इन्होंने बाद में अपने कार्यकलापों का विविधीकरण किया और प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट इलैक्ट्रिक खम्भे और रेलवे के लिए पीआरसी रेलवे स्लीपर के निर्माण के कार्य करने लगे। 1953 में इसी एक प्राइवेट कंपनी के रूप में परिवर्तित किया गया और 1955 में इसे आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत एक पब्लिक सेक्टर संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। 1978 में कंपनी का नाम ''हिंदुस्तान हाऊसिंग फैक्टरी'' से बदलकर हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड कर दिया गया जिसका पंजीकृत कार्यालय जंगपुरा, नई दिल्ली –110014 है।

अब कंपनी ने निर्माण डिजाइन, परियोजना प्रबंधन, रीयल एस्टेट आदि के क्षेत्र में अपने कार्यकलापों का विविधकरण कर दिया है।

1. सार्थक लेखांकन नीतियां

1.1 लेखांकन के आधार

वित्तीय विवरणों को चल प्रतिष्ठान के रूप में ऐतिहासिक मूल्य पद्धति के अंतर्गत तैयार किया गया है जो लेखांकन के उपार्जित आधार पर है और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) पर आधारित है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के उपबंधों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम के साथ पठित कंपनी (लेखांकन) नियम 2014 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का अधिसूचित सीमा तक अनुरूप पालन करती है। लेखांकन नीतियां निरंतर लागू की गई हैं सिवा उसके जहां नया जारी लेखांकन मानक आरंभ में अपना लिया गया है या वर्तमान लेखांकन मानक में संशोधन में अब तक प्रयोग में लेखांकन नीति में परिवर्तन अपेक्षित है।

1.2 अनुमानों का प्रयोग

भारत में जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी, यह अपेक्षा करती है कि प्रबंधन अनुमान और पूर्वानुमान लगाये कि, जहां कहीं आवश्यक हो, जो वित्तीय विवरणों की तारीख को परिसंपत्तियों और देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं के प्रकटन की सूचित की गई राशि को तथा राजस्व और व्यय की रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सूचित की गई राशियों को प्रभावित करते हों। यद्यपि, ऐसे अनुमान और परिकल्पनाएं सभी उपलब्ध सूचना को हिसाब में लेकर उचित और विवेकपूर्ण आधार पर बनाये गए हैं, फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और परिकल्पनाओं से भिन्न हो सकते हैं और ऐसी भिन्नताओं को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात/मूर्त रूप लेते हैं।

1.3 अमूर्त परिसंपत्तियां

अमूर्त परिसंपत्तियों को तब मान्यता दी जाती है जब यह सम्भाव्य हो कि भावी आर्थिक लाभ, जो परिसंपत्ति पर आरोपित होते हैं, संगठन को मिलने लगते हैं और परिसंपत्तियों की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जा सकती है। अमूर्त परिसंपत्तियों में कंप्यूटर सॉफ्टवेर शामिल हैं और अर्जन/कार्यान्वयन की लागत में से संचित परिशोधन को घटा कर दिखायी जाती है। इनका परिशोधन 3 वर्ष की अवधी में या लाइसेंस अवधि में , जो भी पहले हो, सीधी रेखा आधार पर किया **जाता है।**

1.4 परिसंपत्तियों की क्षति

किसी परिसंपत्ति को तब क्षत समझा जाता है जब उसकी अग्रेनित लागत उसकी वसूलीयोग्य लागत से बढ़ जाती है। क्षति हानि को उस वर्ष के लाभ हानि वितरण में प्रभारित किया जाता है जिस वर्ष में किसी परिसंपत्ति को क्षत पाया जाता है। पूर्व की लेखांकन अवधि में मान्य क्षति हानि बढ़/प्रतिकूल हो सकती है जहां कहीं वसूलीयोग्य राशि के आंकलन में परिवर्तन होता है। वसूलीयोग्य मूल्य परिसंपत्ति के निवल बिक्री मूल्य और प्रयोग मूल्य से अधिक होती है।

1.5 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

1.5.1 संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (पीपीई) ऐतिहासिक लागत में से संयची मूल्यह्ास और हानियां, यदि कोई हों, को घटाकर दिखाया जाता है! अर्जन अथवा निर्माण की लागत में भाड़ा, निर्माण और प्रचालन प्रभार, शुल्क और कर, निर्माणाधीन अवधि के व्यय, उधार पर ब्याज और अर्जन/संस्थापन की तारीख तक वित्तपोषण लागतें शामिल होती हैं।

1.5.2 मूर्त परिसंपत्तियों पर मूल्यह्ास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 के उपबंधों के अनुसरण में परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा विधि से प्रभारित किया जाता है और लागत के 5 प्रतिशत को अवशिष्ट मूल्य रखा जाता है।

1.5.3 परिवर्धन अथवा बि्क्री / स्थायी परिसंपत्ति को कर देने पर मूल्याह्ास ऐसे परिवर्धन / बिक्री अथवा घटाये जाने तक की तारीख यथानुपात आधार पर प्रभारित की जाती है।

1.5.4 पीपीई का उपयोगी जीवन, जैसा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची के भाग 'ग' में दिया गया है, मूर्त परिसंपत्तियों के लिए लिया जाता है सिवा, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को छोड़कर, जहां उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसूची में निर्धारित जीवन से भिन्न होता है, जिसे उपयोग प्रतिमान और आंतरिक निर्धारण के आधार पर लिया जाता है। प्रबंधन यह विश्वास करता है कि इन परिसंपत्तियों का जीवन उस अवधि के लिए उत्तम होता है जितनी अवधि के लिए प्रबंधन इनका उपयोग करना चाहता हैः—

क्र. सं.	परिसंपत्तियां	कंपनी द्वारा आंकलित निर्धारित उपयोगी जीवन	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 2 के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)
1.	सड़कें	3	5
2.	कार्यालय	30	60
3.	रिहायशी भवन	30	60
4.	कार्यालय उपस्कर	10	5

मूल्यह्रास विधि उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य का प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में साथ–साथ आवधिक रूप से किया जाता हैं।

1.5.5 5000 रू. तक की लागत की प्रत्येक पीपीई को उनके अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

1.6 मालसूचियां

1.6.1 मालसूचियां लागत से कम पर और निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित की जाती हैं।

1.6.2 उपयुक्त, दोषयुक्त और अप्रयोज्य स्टॉक का प्रावधान, जहां कहीं आवश्यक है, किया जाता है।

1.6.3 कबाड़ का मूल्य आंकलित वसूलीयोग्य मूल्य होता है।

1.7 अनुदानों का लेखांकन

1.7.1 सरकारी अनुदान तब मान्य होते हैं जब ऐसे अनुदानों से संबद्ध शर्तों के साथ अनुपालन करने का समुचित आश्वासन होता है और जहां उससे संबंधित हित लाभ अर्जित किये गए हों और यह समुचित रूप से सुनिश्चित हो कि अंततः वसूली हो जाएगी। किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के लिए प्राप्त सहायता की राशि को उक्त परिसंपत्ति की लागत से घटा दिया जाता है।

1.7.2 राजस्व अनुदानों को लाभ–हानि विवरण में हिसाब में लिया जाता है।

1.8 राजस्व मान्यता

1.8.1 पीएमसी पर ग्राहकों की ओर से निष्पादित कार्य लागत जमा संविदा किस्म के होते हैं, राजस्व को प्रतिशत संपूर्णता विधि के आधार पर मान्य किया जाता है। पूर्णता का चरण उस अनुपात द्वारा निर्धारित किया जाता है कि रिपोर्ट की तारीख तक निष्पादित कार्य पर कुल संविदा लागतों के अनुसार कितना व्यय हुआ है।

1.8.2 जहां की गई लागत कार्य की प्रगति के अनुसार आनुपातिक नहीं है, राजस्व मान्यता के लिए वास्तविक प्रगति, जैसा प्रबंधन द्वारा आंकलित किया गया है, हिसाब में लिया जाता है।

1.8.3 अपूर्ण परियोजनाओं पर प्रत्याशित लागत वृद्धि के लिए प्रावधान उस अवधि में रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें लागत वृद्धि की संभावना होती है, तो वर्तमान आंकलनों पर आधारित होते हैं।

1.8.4 राजस्व में निम्नलिखित शामिल हैंः–

क. किया गया कार्य जिसके लिए केवल आशय पत्र प्राप्त हुए हैं, तथापि औपचारिक संविदा /करार निष्पादनाधीन है।

ख. कार्य निष्पादित और कंपनी द्वारा माप भी ले लिया गया है परंतु ग्राहक से प्रमाणीकरण प्रतीक्षित है।

ग. कार्य निष्पादित परंतु मापित नहीं। आंशिक रूप से निष्पादित को इंजीनियरिंग आंकलित लागत के हिसाब में लिया जाता है।

घ. अतिरिक्त और एवजी मदें सुविचारित सीमा तक वसूलीयोग्य हैं।

ड़. ग्राहकों के प्रति दावे सुविचारित सीमा तक वसूलीयोग्य हैं।

च. ग्राहकों द्वारा धारित राशि जिसे परियोजना के आरंभ होने के पश्चात् वसूला गया!

1.8.5 किराया, अनुरक्षण सेवाएं आदि उपार्जन आधार पर हिसाब में ली जाती हैं।

1.8.6 ब्याज से आय को बकाया राशि और ग्राह्य ब्याज की दर को हिसाब में लेते हुए आन–टाइम आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.8.7 ग्राहकों / ठेकेदारों के संबंध में विलंब के लिए परिशोधित क्षतियां / क्षतिपूर्तियों को, यदि कोई है, तब हिसाब में लिया जाता है जब प्रबंधन द्वारा मामलों का निपटारा किया है।

1.9 विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा लेन–देन को लेन–देन की तारीख को अभिभावी विनिमय दर पर रिकॉर्ड किया जाता है। तुलना पत्र की तारीख को विद्यमान विदेशी मुद्रा में मौद्रिक परिसंपत्तियों और देयताओं को उस दिन अभिभावी विनियम दर पर परिवर्तित किया जाता है। उधार ली गई निधियों और भारत से बाहर किसी देश में स्थायी परिसंपत्ति के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा में देयताओं को विनिमय दर अंतर में स्थायी परिसंपत्ति की लागत के प्रति समायोजित किया जाता है। अन्य सभी विनिमय दर भिन्नताओं को लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है। अग्रिम विनिमय दर संविदाओं पर प्रीमियम अथवा छूट को संविदा के चालू रहने की अवधि के लिए व्यय के रूप में अथवा आय के रूप में परिशोधित किया जाता है। ऐसे संविदाओं पर विनिमय दर अंतर को रिपोर्टिंग अवधि में, जिससे विनिमय दर में परिवर्तन हुआ, लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता हैं। अग्रिम संविदा के निरसन अथवा नवीकरण से हुए लाभ अथवा हानि को अवधि के दौरान आय और व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

1.10 कर्मचारी हितलाभ

क) अल्पकालीन लाभ

इन्हें उस वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें संबंधित सेवा प्रदान की गई है। इन हितलाभों में निष्पादन संबद्ध वेतन शामिल हैं।

ख) निर्धारित अंशदान स्कीम

भविष्य निधि और पेंशन स्कीम में वर्ष के दौरान कंपनी के प्रदत्त/संदेय अंशदान को उस वर्ष के लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है जिस वर्ष में संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

ग) निर्धारित हितलाभ स्कीम

उपदान और छुट्टी के नकदीकरण के लिए कंपनी का दायित्व स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट विधि का प्रयोग करते हुए वर्षांत में निर्धारित किया जाता है। यथानिर्धारित बीमांकित लाभ अथवा हानियों को लाभ और हानि विवरण में मान्य किया जाता है।

1.11 उधार लागतें

उधार लागतें पंजीकृत परिसंपत्तियों की अर्जन अथवा निर्माण लागत पर प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं। अर्हक परिसंपत्ति वह होती है, जो वांछित प्रयोग में लाने के लिए तैयार करने में काफी समयावधि लगना आवश्यक होता है। अन्य प्रकार की लागतें उस अवधि में व्ययों को प्रभारित होती हैं जिसमें यह की जाती है।

1.12 पट्टा

पट्टा व्यवस्थाएं जहां जोखिम और प्रतिफल परिसंपत्तियों के स्वामित्व की अनुशंगी होती हैं और अधिकतर पट्टाकर्ता में निहित होती हैं और इन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में मान्य किया जाता है। प्रचालन पट्टे के अंतर्गत पट्टा भुगतानों/पावतियों को पट्टा अवधि के लिए सीधी रेखा विधि पर लाभ–हानि विवरण में व्यय/आय के रूप में मान्य किया जाता है।

1.13 आय पर कर

कर व्यय में चालू और आस्थगित कर दोनों ही शामिल होते हैं। चालू कर आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार कर योग्य आय के आधार पर निर्धारित होता हैं। आस्थगिक कर देयता/परिसंपत्ति लेखांकन आय और कर योग्य आय के बीच 'समय निर्धारण भिन्नता' के कारण होता है, जो आगामी लेखांकन अवधि में उलटाव किए जाने योग्य होता है और इसे कर दर और उसे कर विधियों के विचारार्थ हिसाब में लिया जाता है जिन्हें रिपोर्ट की तारीख को अथवा बाद में लागू किया जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्ति मान्य है और उपयुक्त सुनिश्चितता की सीमा तक अग्रेनीत किया जाता है कि भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके प्रति ऐसी आस्थगित कर संपत्ति को वसूल किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियां उनकी वसूली योग्य के लिए प्रत्येक रिपोर्ट की तारीख को समीक्षा की जाती है।

1.14 प्रति शेयर आय

कंपनी 'प्रति शेयर आय' के संबंध में लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्राथमिक और डाइलूटेड प्रति शेयर आय (ईपीएस) की सूचना देती है। ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की धारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य वर्ष के निवल लाभ अथवा हानि से भाग कर किया जाता है। डाइलूटेड ईपीएस का परिकलन वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयर धारकों को आरोप्य वर्ष के निवल लाभ हानि से भाग कर निकाला जाता है जैसा कि डाइलूटेड संभावित सभी इक्विटी शेयरों के लिए समायोजित किया जाता है। सिवा उसके जहां परिणाम एंटीडाइलूटिव होते हैं।

1.15 पूर्वावधि समायोजन

5000 रू. तक अथवा कम की एकल मदों के पूर्वावधि व्यय/आय के लेखांकन को नैसर्गिक लेखा शीर्ष को प्रभारित किया जाता है।

1.16 प्रावधान, आकस्मिक दायित्व और आकस्मिक परिसंपत्तियां

प्रावधान को उन लेखाओं में मान्य किया जाता है जहां पूर्व की घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान में दायित्व होता है और यह संभावना होती है कि इस दायित्व की पूर्ति के लिए संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित होगा और विश्वसनीय आंकलन किया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य तक घटाया नहीं जा सकता और उनका निर्धारण रिपोर्ट की तारीख को दायित्व के निपटाने के लिए उत्तम आंकलन अपेक्षित है, में प्रत्येक रिपोर्ट की तारीख को अपेक्षित होते हैं और चालू उत्तम आंकलन दर्शाने के लिए अपनाया जाता है।

आकस्मिक देयताएं प्रकट की जाती हैं तब तक कि स्रोत के बहिर्गमन की संभावना विविक्त हो।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को वित्तीय विवरणों में न तो मान्यता दी जाती है और नहीं प्रकट किया जाता है।

1.17 संदिग्ध उधार / ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान

भारत सरकार, उसके विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित समाप्त अवधि परियोजनाओं के व्यापार प्राप्य/ऋण और अग्रिम की राशि वसूली के लिए अच्छे समझे जाते हैं पुस्तकों में उनके बकाया की अवधि चाहे कुछ भी क्यों न हो। ये उधार ग्राहक के साथ वसूली के लिए निरंतर प्रत्यापन से अंतिम निपटान तक अथवा विवाद के मामले में पंचाट/न्यायालय द्वारा निर्णय होने तक वसूली योग्य समझे जाते हैं। प्रबंधन के पूर्व अनुभव के आधार पर संदिग्ध उधार/ऋण और अग्रिम के प्रति आवश्यक प्रावधान किया जाता है। प्राप्ति योग्य/अग्रिम को तब बट्टे खाते डालने पर विचार किया जाता है। जब इनको अप्राप्तव्य समझा/समाधान किया जाता है।

1.18 असमंजित नामे शेष प्रति लेख

प्रबंधन के पूर्व अनुभव और प्रत्येक मामले के वास्तविक तथ्यों के आधार पर असमंजति नामे शेषों को संबंधित परियोजना के समाप्त होने अथवा पहले ही प्रति लेख किया जाता है।

1.19 विवाचन पंचाट

विवाचन/न्यायालय के पंचाटों को आरंभ में शेष सीमा तक हिसाब में नहीं लिया जाता, परंतु इन्हें डिग्री हो जाने पर हिसाब में लिया जाता है। पंचाट का स्थायी तंत्र, भारत सरकार द्वारा दिए गए पंचाट को अपील प्राधिकारी द्वारा पंचाट के अंतिम निर्णय पर हिसाब में लिया जाता है।

1.20 दोष दायित्व गारंटी के लिए प्रावधान

स्थल जाबों पर दोष दायित्व गारंटी के अंतर्गत जिसे कंपनी द्वारा उप–संविदा पर नहीं दिया जाता, निर्माण कार्यों के लिए अनुरक्षण/दोष दायित्वों के लिए वर्ष के अंत में स्थल पर कार्यों के मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर प्रावधान किया जाता है।

1.21 रोकड़ और रोकड़ समान

रोकड़ और रोकड़ समान में हस्त रोकड़, चैक, हस्त ड्राफ्ट/मार्गस्थ राशियां, बैंक शेष और तीन महीने अथवा कम अवधि की मूल परिपक्वता के साथ जमा शामिल होते हैं जो तत्काल रोकड़ राशि और रोकड़ समान परिवर्तित किए जा सकते हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन होते हैं।

1.22 नकद प्रवाह विवरण

'नकद प्रवाह विवरण' से संबंधित लेखांकन मानक 3 में स्थापित 'अप्रत्यक्ष विधि' द्वारा नकद प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है और नकद प्रवाह कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्त पोशण कार्यकलापों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं।

नकद प्रवाह विवरण में दर्शाए गए रोकड़ और रोकड़ समान में हस्त रोकड़ और बैंकों के पास जमा शामिल हैं।

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–2 शेयर पूंजी

	31 मार्च, 2017 को	31 मार्च, 2016 को
प्राधिकृत :		
100 रूपये मूल्य के 1,38,00,000 (1,38,00,000) इक्विटी शेयर	**13,800.00**	13,800.00
निर्गमित, अभिदत्त व प्रदत्त :		
100 रूपये के पूर्ण से प्रदत्त 1,34,76,685 (1,34,76,685) इक्विटी शेयर	**13,476.69**	13,476.69
योग	**13,476.69**	13,476.69

2.1 बकाया शेयरों का समाधान (रु. लाखों में)

विवरण	31 मार्च, 2017 को		31 मार्च, 2016 को	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
100 रूपये प्रत्येक का इक्विटी शेयर				
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	**13,476,685**	**13,476.69**	13,476,685	13,476.69
वर्ष के अंत में	**13,476,685**	**13,476.69**	13,476,685	13,476.69

2.2 कंपनी के एक ही श्रेणी के ईक्विटी शेयर हैं और कंपनी के शेयरधारक कंपनी द्वारा लाभांश घोषित किये जाने पर लाभांश प्राप्त करने के पात्र हैं और किसी संकल्प पर वोट के रखे जाने पर वे मतदान का आनुपातिक अधिकार रखते हैं। इसके अतिरिक्त, शेयरधारकों के पास ऐसे सभी अधिकार हैं जो कंपनी अधिनियम कंपनी के संगम ज्ञापन और अंतर्नियमों के एक सार्वजनिक कपनी के शेयरधारक के पास होते हैं ।

2.3 प्रतिशत से अधिक की धारिता रखने वाले शेयरधारक

शेयर धारक का नाम	31 मार्च, 2017		31 मार्च, 2016	
	संख्या	धारक %	संख्या	धारक %
भारत के राष्ट्रपति	**13,476,685**	**99.99**	13,476,682	99.99

2.4 27,515 शेयर एक संविदा के अनुसरण में, बिना नकदी प्राप्त किये, पहले के वर्ष में पूर्णतः प्रदत्त आवंटित किये गए।

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–3 रिजर्व व अतिरेक

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
सीएसआर निधि	3.1		**7.40**		7.40
आर एंड डी निधि	3.1		**1.23**		1.23
सुस्थिरता विकास निधि	3.1		**1.23**		1.23
लाभ व हानि विवरण में नामे शेष	-				
पिछले लेखे के अनुसार		**(11,045.59)**		(12,051.17)	
जमाः वर्ष का लाभ		**570.22**	**(10,475.37)**	1,005.58	(11,045.59)
योग			**(10,465.51)**		(11,035.72)

3.1 समझौता ज्ञापन की अनुबद्धताओं के अनुसार, सीएसआर, आर एंड डी और सुस्थिरता विकास निधियां वर्ष 2012–13 के दौरान सृजित की गई थीं।

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–4 अन्य दीर्घकालीन देयताएं

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
पतिभूति जमा	-	**2,884.97**	2,420.62
योग		**2,884.97**	2,420.62

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–5 दीर्घकालीन प्रावधान

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
कराधान के लिए प्रावधान					
आय कर (मैट) आय कर अधिनियम 1961 की धारा 115 जेबी के अंतर्गत					
वर्ष 2013–14 के लिए		-		19.03	
वर्ष 2014–15 के लिए		-		132.03	
वर्ष 2015–16 के लिए		293.24	**293.24**	276.00	427.06
वर्ष 2016–17 कर के लिए			**304.00**		-
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान					
उपदान	23.12		**1,118.75**		1,054.97
छुट्टी का नकदीकरण	23.12		**406.54**		376.46
योग			**2,122.53**		1,858.49

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–6 व्यापार देयताएं

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
सूक्ष्म और लघु प्रतिष्ठानों को देय	6.1	**21.81**	3.05
कार्यों और सेवाओं के लिए अन्यों को देय	6.2	**13,534.18**	9,713.00
योग		**13,555.99**	9,716.05

6.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 की धारा 22 की शर्तों के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे प्रतिष्ठानों के बकाया, उस पर देय ब्याज, प्रदत्त ब्याज आदि का प्रकटन अपेक्षित है। तदनुसार, कंपनी ने कुछेक पक्षों से सूचना प्राप्त की है, इन प्रतिष्ठानों को देय राशि का ऊपर प्रकटन किया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान कोई ब्याज न तो दिया गया है/ न ही देय है, क्योंकि इन प्रतिष्ठानों को समय पर भुगतान कर दिया गया था।

6.2 अन्यों को देय में ठेकेदारों को देय 8071.15 लाख रू. (पिछले वर्षः 2204.18 लाख रू.) शामिल है जिन्हें वर्ष के अंत में मापन आधार पर बुक किया गया था जिसके लिए बिल बाद में प्राप्त हुए थे।

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–7 अन्य चालू देयताएं

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
संग्रहण अग्रिम सहित ग्राहकों से अग्रिम	-	**10,220.58**	10,895.80
प्रतिभूति जमा व जमानत राशि	-	**1,937.18**	2,660.25
सांविधिक देयताएं	-	**781.70**	573.18
कर्मचारियों को देय	-	**615.27**	464.08
उपार्जित व्यय	-	**32.74**	55.46
अन्य देयताएं	-	**99.02**	723.17
पुराने चेक	-	**86.36**	100.91
योग		**13,772.85**	15,472.85

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–8 अल्प कालीन प्रावधान

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
कर्मचारी हितलाभ हेतु प्रावधान			
उपदान	23.12	**154.39**	111.70
छुट्टी का नकदीकरण	23.12	**74.90**	38.31
योग		**229.29**	150.01

टिप्पणी–9 स्थायी परिसंपत्तियां

विवरण	सकल ब्लॉक			
	01.04.2016 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री /निपटान समायोजन	31.03.2017 को
(क) मूर्त परिसंपत्तियां				
लीज होल्ड भूमि (देखें टिप्पणी 9.1,9.2 व 9.3)	**9.07**	**-**	**-**	**9.07**
सड़क	**7.54**	**-**	**-**	**7.54**
फैक्ट्री भवन	**56.22**	**-**	**-**	**56.22**
कार्यालय भवन (देखें टिप्पणी 9.4)	**248.72**	**-**	**-**	**248.72**
रिहायशी भवन	**34.16**	**-**	**-**	**34.16**
संयंत्र एवं मशीनरी (दखें टिप्पणी 9.6)	**214.17**	**-**	**-**	**214.17**
फर्नीचर फिक्सर कार्यालय उपकरण	**119.03**	**3.25**	**-**	**122.28**
रेलवे साइडिंग	**4.11**	**-**	**-**	**4.11**
वाहन	**29.94**	**-**	**1.86**	**28.08**
कंप्यूटर	**62.19**	**6.08**		**68.27**
चालू वर्ष का योग–मूर्त पसिंपत्तियां	**785.15**	**9.33**	**1.86**	**792.62**
पिछले वर्ष का योग–मूर्त परिसंपत्तियां	830.14	10.03	55.02	785.15
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां				
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	**1.16**	**-**	**-**	**1.16**
चालू वर्ष का योग– अमूर्त परिसंपत्तियां	**1.16**	**-**	**-**	**1.16**
पिछले वर्ष का योग– अमूर्त परिसंपत्तियां	1.16	-	-	1.16
(ग) पूंजीगत कार्य प्रगति अधीन				
प्रौद्योगिकी पार्क (देखें टिप्पणी 9.7)	-	30.28	-	30.28
चालू वर्ष का योग पूंजीगत कार्य प्रगति अधीन	-	30.28		30.28
पिछले वर्ष का योग पूंजीगत कार्य प्रगति अधीन	-	-	-	-
चालू वर्ष का योग – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	**786.31**	**39.61**	**1.86**	**824.06**
पिछले वर्ष का योग – संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	831.30	10.03	55.02	786.31

9.1) 28.639 एकड़ की कुल भूमि से 1.089 एकड़ भूमि जिसका मूल्य 27.225 रूपये हैं, हस्तांतरण –विलेख होना शेष है।

9.2) 28.639 एकड़ की भूमि की पट्टा–विलेख होना बाकी है इसलिए चुकाया गया प्रीमियम परिशोधित हो पाया है।

9.3) जंगपुरा में 1.212 एकड़ भूमि के लिए क्रेता के पक्ष में हस्तांतरण विलेख होना शेष है। 69607 रूपये का बिक्री मूल्य पहले ही प्राप्त हो चुका है इसलिए उपयुक्त लैट को स्थाइ परिसंपत्यिों में नहीं दिखाया गया हैं।

9.4) कार्यालय भवन में स्कोप मीनार में कार्यालय का स्थान रूपये 1,16,45,125/–रू. शामिल है। स्कोप मीनार काम्पलेक्स में कंपनी के पक्ष में कार्यालय के स्थान का हक विलेख स्कोप द्वारा किया जाता शेष है। तथापि डीडीए द्वारा स्कोप को प्रदान की गई भूमि लीज होल्ड पर है।

9.5) स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर को अद्यतन करने और वास्तविक परिसंपत्तियों की खाता बही शेष के अनुसार अद्यतन/समाधान करने की प्रक्रिया जारी है। कंपनी इस कार्य को आगामी वर्ष में पूरा कर लेगी। इसके अतिरिक्त कुछेक परिसंपत्तियां, करार की शर्तों के अनुसार, विभिन्न ठेकेदारों द्वारा कंपनी को दे रखी हैं और कार्य की समाप्ति पर कंपनी के पास ही पड़ी हैं। इन परिसंपत्तियों का पता लगाकर इन्हें अलग किया जायेगा। इन परिसंपत्तियों को स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर में अंर्तविष्ट करने के कदम उठाये गए है।

9.6) फैक्ट्री का प्रचालन वर्ष 2002 में बंद कर दिये थे। तथापि, प्लांट और मशीनरी 214.17 लाख रू. का सकल ब्लॉक (पिछले वर्ष: 214.17 लाख रू.) और 9.38 लाख रू. का निवल ब्लॉक (पिछले वर्ष 8.50 लाख रू.) अभी भी धारण किये हुए है। प्रबंधन की राय में ये परिसंपत्तियां कीमती हैं, जिन्हें सामान्य

(रू. लाख में)

मूल्यह्रास और परिशोधन				सकल ब्लॉक	
31.03.2016 को	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	वर्ष के दौरान बिक्री/निपटान समायोजन	31.03.2017 को	31.03.2017 को	31.03.2016 को
-	**-**	**-**	**-**	**9.07**	9.07
7.17	**-**	**-**	**7.17**	**0.37**	0.37
45.71	**1.02**	**(2.80)**	**43.93**	**12.29**	10.51
63.09	**7.76**	**-**	**70.85**	**177.87**	185.63
24.45	**0.55**	**1.20**	**26.20**	**7.96**	9.71
205.67	**0.35**	**(1.23)**	**204.79**	**9.38**	8.50
86.09	**9.72**	**(7.80)**	**88.01**	**34.27**	32.94
3.89	**-**	**-**	**3.89**	**0.22**	0.22
23.68	**1.47**	**(4.31)**	**20.84**	**7.24**	6.26
51.78	**8.47**	**(1.96)**	**58.29**	**9.98**	10.42
511.52	**29.34**	**(16.90)**	**523.97**	**268.65**	**273.63**
535.49	26.14	50.11	511.52	273.64	
1.15	**0.03**	**(0.03)**	**1.15**	**0.01**	0.01
1.15	**0.03**	**(0.03)**	**1.15**	**0.01**	**0.01**
1.05	**0.10**	**-**	**1.15**	**0.01**	
- **-**	**-**	**-**	**-**	**30.28**	-
-	-	-	-	30.28	-
-	-	-	-	-	-
512.67	**29.37**	**(16.93)**	**525.12**	**298.94**	**273.64**
536.54	26.25	50.11	512.68	273.64	

व्यापारिक कार्य के दौरान उनकी वसूली की जाये तो ये दर्शायी गई कीमत दे देंगे। इसके अतिरिक्त इन परिसंपत्तियों के निपटान के लिए, एक समिति गठित करने का प्रस्ताव है। निपटान होने तक इन परिसंपत्तियों को 31.03.2017 को स्थायी परिसंपत्तायों के रूप में दर्शाया गया है।

9.7) कंपनी एचपीएल परिसर में एक प्रौद्योगिकी पार्क का निर्माण कर रही है, जो 31.03.2017 को प्रगति अधीन है। 31.03.2017 तक 30.28 लाख रू. का व्यय हो चुका है जिसे पूंजीगत कार्य प्रगति अधीन में दिखाया गया।

9.8) वर्ष के लिए मूल्यह्रास निम्नवत् हैः

	2016-17	2015-16
मूल्यह्रास यथोपरि	**29.37**	26.25
घटायें: समायोजन	**(16.94)**	-
जोडें बिक्री पर संचयी मूल्यह्रास	**1.77**	-
वर्ष का मूल्यह्रास	**14.20**	26.25

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–10 दीर्घ कालीन ऋण और अग्रिम

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
अरक्षित, वसूली योग्य					
स्रोत पर कर की कटौती					
वर्ष 2013–14 के लिए		**-**		115.01	
वर्ष 2014–15 के लिए		**-**		324.05	
वर्ष 2015–16 के लिए		**652.67**		614.68	
वर्ष 2016–17 के लिए		**292.77**	**945.44**	-	1,053.74
योग			**945.44**		1,053.74

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–11 व्यापार प्राप्य

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
भुगतान की देय तारीख से 6 महीने से अधिक से बकाया :					
आरक्षित, वसूली योग्य	11.1 & 11.2		**2,000.25**		3,282.04
आरक्षित, आशोधित समझा गया		**620.75**		620.90	
(घटायेः) आशोधित ऋणों के लिए प्रावधान		**(620.75)**	**-**	(620.90)	-
			2,000.25		3,282.04
अन्य व्यापार प्राप्य :					
अरक्षित, वसूली योग्य			**6,052.36**		1,345.89
योग			**8,052.61**		4,627.93

11.1 व्यापार प्राप्य में 447.19 लाख रू. कर्मचारी बीमा निगम, भारत सरकार से वर्ष 2010–11 निष्पादन किये गए कार्य से प्राप्त शामिल है जिस पर कंपनी सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है। राशि को प्रबंधन द्वारा 31.03.2017 को वसूली योग्य समझा गया।

11.2 देनदारों में 2013–14 से राष्ट्रीय विधि–विश्वविद्यालय (एनएलयू), कटक से 928.32 लाख रू. की वसूलीयोग्य राशि शामिल है जिसके प्रति 859.78 लाख रू. की देयता उप–ठेकेदारों को भुगतान के लिए बुक की गई है। ` की गई संयुक्त पैमाइश के आधार पर वर्ष 2016–17 के दौरान सेवा प्राप्तकर्ता को अंतिम बिल प्रस्तुत किया गया है। अतः 31.03.2017 को इस राशि को वसूली योग्य समझा गया।

11.3 कंपनी ने बैंक गारंटी सीमा के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 1000 लाख रू. के लिए खाता नामे प्रभाव सृजित किया है।

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–12 रोकड़ व बैंक शेष

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
रोकड़ और रोकड़ समान					
हस्त रोकड़		**0.10**		0.86	
बैंक शेष		**1,691.37**		1,039.02	
3 महीने अथवा कम की परिपक्वता का सावधी जमा		**5,885.60**		2,453.92	
फलैक्सी जमा		**203.73**		719.71	
पोस्टल ऑर्डर		**0.01**	**7,780.81**	0.04	4,213.55
अन्य बैंक शेष					
3 महीने से अधिक की परिपक्वता के सावधी जमा		**12,529.71**		14,575.53	
बैंक शेष और एसडीएमसी द्वारा जब्त सावधीजमा	23.5	**206.76**		193.16	
मार्जिन राशि बैंक गारंटी के प्रति गिरवी जमा		**1,942.63**	**14,679.10**	2,011.71	16,780.40
योग			**22,459.91**		20,993.95

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–13 अल्प कालीन ऋण व अग्रिम

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को		31 मार्च 2016 को	
अरक्षित, वसूली योग्य					
ठेकेदारों को अग्रिम			**2,104.23**		2,530.04
प्रत्यर्पणीय आय कर	13.1		**43.62**		822.99
प्रतिभूमि जमा/जमानती राशि	-		**706.20**		817.39
वसूली योग्य डब्ल्यूसीटी	13.2		**44.85**		164.07
वसूलीयोग्य एल डी			**5.39**		79.49
प्रत्यर्पणीय वैट	-		**18.20**		18.20
वसूलीयोग्य किराया	23.7		**36.22**		28.44
पूर्वदत्त व्यय	-		**16.47**		6.07
कर्मचारी अग्रिम	-		**27.46**		44.52
अन्य	-		**4.45**		12.54
अरक्षित, संदिग्ध समझा गया					
ठेकेदारों को अग्रिम		**94.55**		-	
(घटाएं) प्रावधान		**(94.55)**	**-**	-	-
वसूली योग्य डब्ल्यूसीटी		**119.22**		-	
(घटाएं) प्रावधान		**(119.22)**	**-**	-	-
एलडी वसूलीयोग्य		**26.95**		-	
(घटाएं) प्रावधान		**(26.95)**	**-**	-	-
योग			**3,007.09**		4,523.75

13.1 वित्तीय वर्ष 2014–15 तक आय कर का निर्धारण कर लिया गया है। तथापि, 43.62 लाख रू. की कर वापसी अभी प्राप्त नहीं हुई है। तदनुसार इस राशि को अल्पकालीन ऋण और अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

13.2 कंपनी को दिये गए परियोजना प्रबंधन परामर्शी परियोजना निर्माण कार्य संविदा कर (डब्ल्यूसीटी) के 44.85 लाख रू. 1(पिछले वर्ष) 164.07 लाख रू. को ग्राहक द्वारा वर्ष 2012–13 से घटा दिया गया है। कंपनी ने सक्षम प्राधिकारियों से उसको लौटायो जाने का दावा किया है। प्राप्ति तक, राशि को 31.03. 2017 को वसूलीयोग्य विचार किया गया है।

13.3 कर्मचारियों को, विशिष्ट श्रेणी सहित, दिये गए अग्रिमों के विषय में, अत्यावधिक किश्तों की वसूली और इसे सुकर बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए उस प्रयोजन का दस्तावेज़ी समर्थन होना चाहिए जिसके लिए अनुमति दी जा रही है।

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–14 अन्य चालू परिसंपत्तियां

	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2016 को
अरक्षित, वसूली योग्य			
सावधी जमा पर उपार्जित ब्याज	-	**812.81**	584.42
फ्लैक्सी जमा पर उपार्जित ब्याज	-	**-**	1.56
योग		**812.81**	585.98

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–15 प्रचालनों से राजस्व

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
सेवा का मूल्य		
स्थल पर किये गए कार्य का मूल्य	**24,905.44**	41,557.08
अनुरक्षण सेवाएं	**1,114.35**	765.73
योग	**26,019.79**	42,322.81

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–16 अन्य आय

	चालू वर्ष		पूर्व वर्ष	
ब्याज से आय				
सावधी जमा से	**1,430.37**		1,510.51	
(घटाएं): .ग्राहक को अंतरित ब्याज	**(97.85)**		(145.37)	
	1,332.52		1,365.14	
कर आय वापसी कर	**168.70**		-	
मोबिलाइजेशन/तदर्थ ऋणों से	**177.29**		217.31	
पंचार/न्यायालय के आदेशों के प्रति	**582.85**	**2,261.36**	-	1,582.45
अन्य अप्रचालन आय				
किराया (देखें टिप्पणी 23.7)	**55.32**		55.03	
शेष प्रतिलिखित	**182.45**		63.61	
विविध आय	**154.51**		17.81	
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	**-**	**392.28**	171.06	307.51
योग		**2,653.64**		1,889.96

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–17 कार्य और परामर्शी व्यय

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
उप ठेकेदारों को भुगतान	**24,483.50**	38,835.64
वास्तुविदों को भुगतान	**122.81**	187.94
योग	**24,606.31**	39,023.58

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–18 कर्मचारी हितलाभ व्यय

	टिप्पणी सं.	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
वेतन और मजदूरी		**1,675.73**	1,725.04
वेतन बकाया	23.6	**159.45**	356.25
7वां वेतन संशोधन	23.6	**87.11**	-
भविष्य निधि और ईएसआई में अंशदान		**186.43**	185.64
उपदान	23.12	**244.83**	181.22
कर्मचारी कल्याण व्यय		**13.16**	21.03
घटाएं नकदीकरण	23.12	**120.15**	66.84
योग		**2,486.86**	2,536.02

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–19 वित्तीय लागतें

	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
निम्न पर ब्याज व्यय :		
मोबिलाइजेशन अग्रिम	**11.61**	-
आय कर	**1.01**	-
पंचार/न्यायालय के आदेशों के प्रति	**4.13**	-
बैंक प्रभार	**5.27**	9.06
योग	**22.02**	9.06

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–20 अन्य व्यय

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष
किराया		**12.93**		40.63
दर व कर		**0.51**		40.29
मरम्मत व अनुरक्षण				
भवन	**1.68**		1.07	
वाहन	**10.92**		9.92	
अन्य व्यय	**43.88**	**56.48**	31.56	42.55
बीमा		**34.89**		9.56
सांविधिक लेखापरीक्षकों को भुगतान :				
लेखा परीक्षा शुल्क	**5.50**		5.00	
कर लेखा परीक्षा	**2.20**	**7.70**	2.00	7.00
मुद्रण व लेखन सामग्री		**15.71**		14.85
डाक व टेलीफोन		**15.37**		21.04
प्रशिक्षण व्यय		**1.75**		1.15
व्यावसायिक व परामर्शी प्रभार		**59.66**		45.87
व्यापार विकास व्यय		**0.17**		14.75
निविदा व्यय		**13.87**		13.49
विद्युत व जल		**40.91**		43.95
यात्रा व सवारी		**51.84**		151.62
भर्ती व्यय		**3.39**		1.29
पंचाट व्यय		**14.22**		18.69
सत्कार व्यय		**7.15**		-
निदेशकों की सिटिंगग फीस		**0.11**		-
निम्नलिखित के लिए प्रावधान :				
ऋण और अग्रिम	**240.72**		-	
व्यापार प्राप्तव्य	**-**	**240.72**	620.90	620.90
बट्टे खाते डाले :				
ऋण और अग्रिम	**41.65**		47.66	
व्यापार प्राप्तव्य	**-**		133.56	
व्यापार देय	**-**		1.92	
भंडार और कलपुर्जे	**-**	**41.65**	20.56	203.70
बट्टे खाते डाली परिसपत्तियां		**-**		0.96
विविध व्यय		**14.96**		20.70
योग		**634.00**		1,312.99

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–21 पूर्वावधि व्यय (निवल)

		चालू वर्ष		पूर्व वर्ष
पूर्वावधि व्ययः				
कर्मचारी हितलाभ व्यय	**5.57**		-	
कार्य और परामर्शी व्यय	**1.17**		3.44	
किराया	**0.21**		1.87	
बीमा	**-**		2.79	
भर्ती व्यय	**-**		0.56	
निविदा व्यय	**0.72**		-	
यात्रा और वाहन	**0.44**		1.20	
परामर्शी प्रभार	**0.60**		0.42	
वृत्ति और विविध व्यय	**0.26**	**8.97**	2.38	12.66
पूर्वावधि (आय) :				
विविध आय	**(0.01)**		(0.06)	
ब्याज	**(2.94)**	**(2.95)**	-	(0.06)
		6.02		12.60

(रु. लाखों में)

टिप्पणी–22 सीएसआर व्यय		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
सीएसआर व्यय	22.1	**12.56**	2.62
योग		**12.56**	2.62

22.1 वर्ष के दौरान कंपनी ने 'उप रेजिडेंट आयुक्त' अरूणाचल प्रदेश सरकार को कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सीएसआर व्यय के अंर्तगत 12.56 लाख रू. का अंशदान एम्बुलेंस की खरीद के लिये दिया।

31 मार्च, 2017 को समाप्त के लिए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

23. अतिरिक्त टिप्पणियां

23.1 आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धता के लिए प्रावधान नहीं किया गया:

		31 मार्च, 2017 को (रू. लाख में)	31 मार्च, 2016 को (रू. लाख में)
क.	**प्रतिबद्धताएं**		
i.	कंपनी की ओर से बैंक द्वारा दी गई गारंटी	2036.82	1,611.13
ii.	पूंजीगत प्रतिबद्धताएं	30.16	Nil
ख.	**आकस्मिक देयता**		
i.	कंपनी के प्रति दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं, जिन्हें लेखाओं में नहीं लिया गया है।	1329.71	1,481.76
	इन दावों के प्रति कंपनी के जवाबी दावों की राशि 1354.51 लाख रू. है। (पिछले वर्ष 2144.32 लाख रू.)		
ii.	कर्मचारियों को वेतन संशोधन बकाया–आईडीए और सीडीए कर्मचारी	612.69	772.14
iii.	कर्मचारी		
	प्रबंधन की राय में इन कर्मचारियों के विविध मामले आकस्मिक किस्म के हैं, अतः कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया।	32.42	31.52

ग. लंबित अपील/न्यायिक निर्णय

– आय कर	30.80	7.79
– मूल्य संवर्धित कर	34.05	22.23
– संपत्ति कर	248.67	248.67
– सेवा कर	12.01	12.01

घ. श्रम और अन्य मामलों में कंपनी के विरूद्ध दायर मुकदमों के विषय में दावे	राशि निश्चेय नहीं	राशि निश्चेय नहीं

23.2 व्यापार प्राप्तव्य/ऋण और अग्रिम/व्यापार संदेय के अंतर्गत दर्शाये गए शेष समाधान/पुष्टि और समायोजन के अधीन हैं। पुष्टि/समाधान के पश्चात् यदि कोई प्रभाव हुआ तो उसे पुष्टि/समाधान के वर्ष में लिया जायेगा।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने पुराने शेषों की विस्तृत समीक्षा करायी है और काफी पार्टियों के लेखाओं का समाधान/समायोजन किया, परिणमस्वरूप 31.03.2017 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ तथा हानि विवरण में 282.37 लाख रूपये को और 182.45 लाख रु. को बट्टे खाते डाला प्रावधान किया गया है।

23.3 प्रबंधन की राय में, स्थायी परिसंपत्तियों को छोड़कर, परिसंपत्तियों का मूल्य, कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के दौरान वसूली पर, उस मूल्य से कम नहीं होंगे जो तुलन–पत्र में दर्शाये गए हैं।

23.4 जॉब कार्य पर दोष देयता गारंटी के अंतर्गत को बकाया संविदा नहीं है, जिन्हें 31 मार्च, 2017 को उप–संविदा नहीं किया गया। अतः उनके प्रति वर्ष के दौरान कोई प्रावधान नहीं किया गया।

23.5 दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) ने पूर्व के वर्षों में 2012–13 तक संपत्ति कर के लिए 310.67 लाख रूपये की मांग रखी थी। भुगतान न करने पर, एसडीएमसी ने 17 सितंबर, 2013 पत्र के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, भोगल शाखा को कंपनी के चालू खाते को जब्त करने का अनुदेश दिया। उक्त खाते में 31 मार्च, 2017 को 3.57 लाख रूपये का शेष और 213.15 लाख रूपये की सावधि जमा (पिछले वर्शः 198.55 लाख रू.) (9.96 लाख रू. के उपार्जित ब्याज सहित) था। जो कुल मिलाकर 31 मार्च 2017 को 216.72 लाख रू. बनते हैं (पिछले वर्ष 202.12 लाख रू.) जो अभी भी जब्त है। कंपनी ने उक्त मांग के प्रति 20.11.2013 को 62 लाख रूपये जमा करा दिये थे और 248.67 लाख रूपये की शेष मांग को टिप्पणी संख्या 23.1(ग) में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

23.6 भारत सरकार, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या आई–15028/36/2008–एए दिनांक 13 अक्तूबर, 2009 द्वारा सीडीए वेतनमान के अंतर्गत

कर्मचारियों (2006) व आईडीए के अंतर्गत कर्मचारियों (1997–2007) के वेतनमानों के संशोधन 1 अप्रैल, 2009 से स्वीकृत किये है और कंपनी के लिए और 01.01.2006 से 31.03.2009 तक और आईडीए कर्मचारियों के लिए 01.01.1997 से 31.03.2009 तक कुल 1128.39 लाख रूपये के बकाया का भुगतान कंपनी की लाभप्रदता तथा बोर्ड के अनुमोदन के अधीन करने का निदेश दिया।

तदनुसार, सीडीए और आईडीए कर्मचारियों के वेतनमान 01.04.2009 से संशोधित किये गए है। कंपनी की लाभ प्रदत्ता के आधार पर, बोर्ड के अनुमोदन से, वर्ष 2016–17 में 159.45 लाख रूपये का भुगतान किया गया है और 31.03.2016 तक 356.25 लाख रू. लाख रूपये का और प्रावधान किया गया है। तथापि, 31.03.2017 को वेतन संशोधन के लिए 612.69 लाख रू. को टिप्पणी संख्या 23.1.(ख) ii में आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने 01.01.2016 से सीडीए कर्मचारियों के लिए और 1.1.2017 से आईडीए कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन संशोधन का भी अनुमोदन कर दिया है। इसके लिए डीपीए ने दिशानिर्देश जारी किये हैं। तदनुसार 31.03.2017 को सीडीए कर्मचारियों के लिए 56 लाख रू. और आई.डी.ए कर्मचारियों के लिए 31.11 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

23.7 स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर में कंपनी का अपना परिसर ईपीएफओ को पट्टा 11.05.2013 को समाप्त हो गया है। इसके नवीकरण के अभाव में किराया पिछले करार के अनुसार ही प्राप्त हो रहा है और किराये में वृद्धि, यदि कोई हुई, को उसके नवीकरण के समय ही लेखाओं में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किरायेदार की ओर से जमा कराये गए सेवा कर के 30.48 लाख रू. 1.4.2012 से 31.3.2017 तक की अवधि के हैं और इन्हें 31.03.2017 को वसूलीयोग्य समझा गया है।

23.8 संचयी हानियों के परिणामस्वरूप कंपनी की वेट–वर्थ में काफी कटाव हुआ है। फिर भी, वित्तीय विवरण पिछले कुछ वर्षों से उन्नत कारोबार प्रचालनों और सवंर्धित नकद प्रवाह के आधार पर चल रहे प्रतिष्ठान के अनुसार तैयार किये गए हैं। प्रबंधन, प्रचालनों की भावी योजनाओं और इसके कर्मचारियों, ग्राहकों और मंत्रालय के समर्थन पर सुविचार करते हुए और उन्नत लाभ प्रदता की आशा करता है जिससे इसकी वित्तीय स्थिति में और अधिक सुधार होगा।

23.09 भारत सरकार की मंशा भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित सारी इक्विटी शेयर धारिता आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा एचपीएल में समय–समय पर नियुक्त निदेशकों के माध्यम से तत्समान सीपीएसई को प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के द्वारा ईक्विटी शेयरों की बिक्री, प्रबंधन नियंत्रण को अंतरित करके विनिवेश करने की है। सरकार ने पहले ही एक परिसंपत्ति मूल्यांकन, लेन–देन सलाहकार (टीए) और विधि सलाहकार (एलए) की नियुक्ति कर दी है। टीए, एलए और एचपीएल के साथ अपर सचिव (आ.भाहरी कार्य मंत्रालय) के साथ हुई कई बैठकों के पश्चात् 26.07.2017 को मंत्रालय को प्रारंभिक सूचना, ज्ञापन / हित अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर दी है।

23.10 कंपनी अपने ग्राहकों की ओर से विभिन्न परियोजनाओं को लागत जमा आधार पर निष्पादित करती है तदनुसार, संबंधित ग्राहकों से सदृश भुगतान प्राप्त होने पर ठेकेदारों को भुगतान किया जाता है, सकल राशि को वित्तीय विवरणों में राजस्व शीर्ष ''किये गए कार्य का मूल्य'' के अंतर्गत और व्यय को ''उप–ठेकेदारों तथा वास्तुविदों को भुगतान'' शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इसके अतिरिक्त, विविध राय के आधार पर कंपनी परियोजना प्रबंधन परामर्शी प्रभारों पर सेवा कर की उगाही करती है और तदनुसार उस सीमा तक सरकारी प्राधिकारियों के पास जमा करती है।

23.11 ठेकेदारों द्वारा बैंक सावधी जमा के रूप में 8.11 लाख रू. (पिछले वर्षः 6.87 लाख रू.) की निष्पादन बैंक गारंटी/संग्रहण अग्रिम मूलधन होने के कारण और 8027.55 लाख रू. (पिछले वर्श 3854.55 लाख रू.) की बैंक गारंटी को लेखाओं में दर्शाया नहीं गया है।

23.12 'कर्मचारी हितलाभ' पर लेखांकन मानक 15 (संशोधित) के अनुसार प्रकटनः

(क) विभिन्न निर्धारित कर्मचारी स्कीमों का सामान्य विवरण निम्नवत् हैः–

निर्धारित अंशदान स्कीमः

भविष्य निधि

भविष्य निधि में अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराया जाता है और इस प्रकार प्रदत्त राशि को लाभ तथा हानि विवरण को प्रभारित किया जाता है।

निर्धारित हितलाभ स्कीम

i. उपदान

कंपनी की एक निर्धारित हितलाभ उपदान योजना है। प्रत्येक वह कर्मचारी जिसने लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है। पूरे किये गए प्रत्येक वर्ष के लिए वह 15 दिन के वेतन (वेतन जमा मंहगाई भत्ता) के समान उपदान का हकदार है जो निर्धारित अधिकतम 10 लाख रूपये के अधीन है। उपदान की देयता अधिवार्षिता, त्यागपत्र सेवा संमाप्ति, दिव्यांगता अथवा मृत्यु पर देना बनता है। इसकी देयता उचित मूल्यांकन के आधार पर बनती है।

ii. छुट्टी का नकदीकरण

कंपनी अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी का लाभ देती है जो वार्षिक आधार पर उपार्जित होती है। नहीं ली गई छुट्टीयों का नियमों में निर्धारित सीमा तक संचय किया जा सकता है और वियुक्ति/अधिवार्षिता पर नकदीकरण होता है। इसकी देयता उचित मूल्यांकन के आधार पर बनती है।

ख. निर्धारित हितलाभ स्कीम के संबंध में कर्मचारी हितलाभों पर ए.एस–15 (संशोधित 2005) के अंतर्गत अपेक्षित अन्य प्रकटन।

i. परिभाषित लाभ दायित्यों के वर्तमान मूल्य में 31.03.2017 को परिवर्तन।

(रू. लाख में)

	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. अवधि के प्रारंभ में देयता का वर्तमान मूल्य	**1166.67**	1,086.47	**414.77**	382.61
ख. ब्याज लागत	**93.33**	84.20	**33.18**	29.65
ग. पूर्व सेवा लागत	**--**	--	**--**	--
घ. वर्तमान सेवा लागत	**56.35**	52.17	**27.55**	26.09
ङ. प्रदत्त लाभ	**(138.36)**	(101.02)	**(53.48)**	(34.68)
च. एक्चयूरियल (लाभ)/दायित्व पर हानि	**95.15**	44.85	**59.42**	11.09
छ. अवधि की समाप्ति पर दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1273.14**	1,166.67	**481.44**	414.77

ii. लाभ और हानि विवरण में मान्य व्यय

(रू. लाख में)

	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. वर्तमान सेवा लागत	56.35	**52.17**	**27.55**	26.09
ख. पूर्व सेवा लागत	--	**--**	**--**	--
ग. ब्याज लागत	93.33	**84.20**	**33.18**	29.65
घ. निवल एक्चियूरियल (लाभ)/अवधि में मान्य हानि	95.15	**44.85**	**59.42**	11.09
ङ. लाभ हानि विवरण में मान्य व्यय	244.83	**181.22**	**120.15**	66.83

iii. तुलन पत्र में मान्य राशियां

(रू. लाख में)

	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क. अवधि के समापन पर देयता का वर्तमान मूल्य	**1273.14**	1,166.67	**481.44**	414.77
ख. अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**--**	--	**--**	--
ग. निधियन स्तर /अंतर	**(1273.14)**	(1,166.67)	**(481.44)**	(414.77)
घ. अमान्य एक्चयूरियल (लाभ)/हानि	**--**	--	**--**	--
ङ. निवल परिसंपत्ति /(देयता) तुलन पत्र में मान्य	**(1273.14)**	(1,166.67)	**(481.44)**	(414.77)

iv. एएस–15 के पैरा 120 (ढ) द्वारा अपेक्षित चालू वर्ष और पिछले चार वर्ष /अवधियों का प्रकटन।

(रू. लाख में)

विवरण	31.03.2017 को (₹)	31.03.2016 को (₹)	31.03.2015 को (₹)	31.03.2014 को (₹)	31.03.2013 को (₹)
उपदान					
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	1273.14	1166.67	1086.47	915.00	791.41
वर्ष के अंत में निर्धारित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	--	--	--	--	--
तुलना पत्र (देयता) में मान्य राशि	(1273.14)	(1166.67)	(1086.47)	(915.00)	(791.41)
को प्रभावी समायोजन :					
- योजना देयता/पीबीओ (हानि)/लाभ	--	--	--	--	--
- योजना परिसंपत्तियां	--	--	--	--	--
छुट्टी नकदीकरण					
वर्ष के अंत में निर्धारित लाभ दायित्व	481.44	414.77	382.61	333.08	193.59
वर्ष के अंत में निर्धारित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	--	--	--	--	--
तुलना पत्र (देयता) के मान्य राशि	(481.44)	(414.77)	(382.61)	(333.08)	(193.59)
को प्रभावी समायोजना :					
- योजना देयता/ पीबीओ (हानि)/ लाभ	--	--	--	--	--
- योजना परिसंपत्तियां	--	--	--	--	--

(ज) जीवनांकिक संकल्पनाएं

विवरण	31.03.2017 को	31.03.2016 को
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित इकाई जमा लागत विधि	
मृत्यु दर सारणी	आईएएलएम (2006–08)	
कटौती दर (प्रति वर्ष)	7.31	8.00
आहरण दर (प्रति वर्ष) 30/40 वर्ष तक और 44 वर्ष से अधिक	3/ 2/ 1	
वेतन वृद्धि की दर (प्रति वर्ष)	5.50	5.50
सेवा निवृत्ति आयु	58	58

23.13 'खंडीय रिपोर्टिंग' पर लेखांकन मानक 17 के अनुसार प्रकटन

कंपनी का मुख्य कारोबार अपने ग्राहकों को परियोजना प्रबंधन परामर्श देना है और इसके प्रचालन मुख्य रूप से देश के भीतर ही हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'खंडीय रिपोर्टिंग' संबंधी लेखांकन मानक 17 के अनुसार केवल एक ही कारोबार/भौगोलिक खंड है।

23.14 'संबंधित पक्ष प्रकटन' से संबंधित लेखांकन मानक 18 के अनुसार प्रकटनः–

संबंधित पक्षों की सूची और संबंध

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

- श्री राजेश गोयल – अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
- श्री संजीव कुमार गुप्ता – निदेशक (तकनीकी)

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन

(रु. लाखों में)

	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक		निदेशक (तकनीकी)	
	चालू वर्ष	पिछले वर्ष	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वेतन और भत्ते	**20,32,713**	18,83,434	**18,53,431**	16,53,966
भविष्य निधि में अंशदान	**2,14,278**	1,96,101	**1,88,407**	1,73,234
अन्य परिलब्धियां और लाभ				
चिकित्सा	**--**	--	**14,999**	14,999
छुट्टी नकदीकरण	**--**	--	**66,134**	---
उपदान	**87,327**	82,040	**78,324**	73,572
योग	**23,34,318**	21,61,575	**22,01,295**	19,15,771

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने कंपनी की गाड़ी का प्रयोग किया है जिसमें निजी यात्राएं भी शामिल हैं जो भारत सरकार के वित मंत्रालय के बीपीई की परिपत्र सं. 2(12/82–बीपीई (डब्ल्यूसी(दिनांक 01.04.1987 और डीपीईओएम सं. 2 (53)/90–डीपीई (डब्ल्यूजी)–जी पअ दिनांक 26.03.1999 के साथ पठित भारत सरकार विता मंत्रालय बीपीई के 17.11.1983 के परिपत्र सं. 2 (28)/83–बीपीई (डब्ल्यूसी) में निर्धारित दरों पर भुगतान के आधार पर हैं। चूंकि व्यक्तिगत प्रयोग के लिए गाड़ी हेतु भुगतान कर दिया जाता है अतः कंपनी की कार के प्रयोग को अनुलाभ स्वरूप नहीं माना गया है।

टिप्पणीः संबंधित पक्ष संबंध कंपनी द्वारा बताये गए हैं और लेखा परीक्षकों ने उस पर भरोसा किया है।

23.15 'पट्टों पर लेखांकन मानक 19 के अनुसार प्रकटन

कंपनी की सार्थक पट्टा व्यवस्थाएं अपने कार्यालय परिसर और परिसंपत्तियों को पट्टे पर देने से संबंधित प्रचालन पट्टों के विषय में हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जो निरसन योग्य हैं। ये पट्टा व्यवस्थाएं, जो निरसन योग्य हैं, सामान्यतः परस्पर सहमति से नवीकरणीय हैं। कुल पट्टा किराया आय और प्रदत्त पट्टा किराया टिप्पणी संख्या 16 और 20 में किराये के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

23.16 'प्रति शेयर आय' के अंतर्गत लेखांकन मानक 20 के अनुसार प्रकटन

	31.03.2017 को	31.03.2016 को
कर पश्च लाभ (रु. लाख में)	570.22	1005.58
ईक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,34,76,685	1,34,76,685
आय प्रति शेयर बुनियादी और तनुकृत (रु.)	4.23	7.46
शेयर का नाममात्र मूल्य (रु.)	100	100

23.17 ''आस्थगित कर परिसंपत्ति/देयता'' संबंधी लेखांकन मानक 22 के अनुसार प्रकटन।

एएस 22 के पैरा 15 से 18 में निर्धारित सावधानियों को ध्यान में रखकर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्य नहीं किया गया है।

23.18 ''परिसंपत्तियों की क्षति'' के संबंध में लेखांकन मानक 28 के अनुसार प्रकटन।

तुलनपत्र की तारीख को प्रबंधन ने लेखांकन मानक 28 के अनुसार परिसंपत्तियों की किसी क्षति पर विचार नहीं किया है। तदनुसार किसी हानि क्षति को मान्य नहीं किया गया है।

23.19 वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय

(रु. लाख में)

	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
यात्रा	शून्य	1.47

23.20 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 के बीच विशिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) का धारण और किया गया लेन देन इस प्रकार हैः

(रू.लाख में)

	विशिष्ट बैंक नोट (एसबीएन)	अन्य मूल्य वर्ग नोट	योग
8.11.2016 को अंतिम हस्त रोकड़	0.60	0.02	0.62
जोड़े अनुज्ञेय प्राप्तियां	--	3.98	3.98
घटायेंः अनुज्ञेय भुगतान	--	3.84	3.84
घटायेंः बैंकों में जमा राशि	0.60	--	0.60
31.12.2016 को अंतिम हस्त रोकड़	--	0.16	0.16

23.21 पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित कर दिया गया है, जहां कहीं आवश्यक समझा गया चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पुनर्वयवस्थित किया गया है।

शिवानी भारद्वाज
(कंपनी सचिव)
सदस्य संख्या. ए22800

सीए. विनोद कुमार गुप्ता
(वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी)
सदस्य सं. 090722

संजीव कुमार गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन– 06528183

राजेश गोयल
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)
डीआईएन– 03563891

कृते एस.पी चोपड़ा एवं कं.
चार्टरित लेखाकार
फर्म रजि. सं. 000346एन

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 1 सितंबर, 2017

अंकुर गोयल
(भागीदार)
सदस्य सं. 099143

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

जंगपुरा, नई दिल्ली – 110014
फोन : 011–43149800–899 फैक्स : 011 – 43149865
ई–मेल : hindprefab@gmail.com
वेबसाइट : www.hindprefab.in
सीआईएन : यू 74899डीएल1953जीओआई002220

उपस्थिति

64वीं वार्षिक आम बैठक सोमवार 29 सितम्बर 2017 के अपराह्न 03:30 बजे

पंजीकृत फोलियों संख्या........................ धारित शेयरों की संख्या..................

मैं प्रमाणित करता हूं कि कंपनी का पंजीकृत शेयरधारक/पंजीकृत शेयरधारक का परोक्षी हूं और एतद् द्वारा 29 सितंबर, 2017 को हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा, नई दिल्ली – 110014, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित 64वीं आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूं।

....

सदस्य/प्रतिनिधि का नाम सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड

जंगपुरा, नई दिल्ली – 110014
फोन : 011–43149800–899 फैक्स : 011 – 43149865
ई–मेल : hindprefab@gmail.com
वेबसाइट : www.hindprefab.in
सीआईएन : यू 74899डीएल1953जीओआई002220

परोक्षी फॉर्म

सदस्य (यों) का नाम		ई–मेल आईडी	
फोलियों नं/डीपी/आईडी ग्राहक आईडी			
पंजीकृत पता			

मैं/हम, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के .... शेयरों सदस्य होने के नाते

1. ....निवासी ....जिनका ई–मेल आईडी...
   अथवा इनके न होने पर
2. ....निवासी ....जिनका ई–मेल आईडी...
   अथवा इनके न होने पर
3. ....निवासी ....जिनका ई–मेल आईडी...
   अथवा इनके न होने पर

और जिनके हस्ताक्षर नीचे दिये गए है, मेरे/हमारे परोक्षी के रूप में कंपनी की 29/09/2017 को अपराह्न 3.30 बजे पताः हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, जंगपुरा, नई दिल्ली – 110014 की 64वीं साधारण बैठक में और उसके अस्थगित होने पर भाग लेंगे ऐसे संकल्पों पर जैसे नीचे दिये गए है। तथा मेरी/हमारी ओर से मतदान में डालेंगे।

साधारण कार्य		पक्ष	विपक्ष
1.	31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित तुलन–पत्र और उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि लेखा के साथ ही साथ निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।		
2.	संकल्प किया जाता है हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के निदेशक मंडल को यह अधिकार दिया जाता है कि वे भारत के नियंत्रक व लेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर, निर्धारित करें।		

आज .... दिन .... 2017 को हस्ताक्षरित

शेयर धारक के हस्ताक्षर ....

प्रतिपत्र धारक के हस्ताक्षर ....

रु.1 की राजस्व टिकट लगाए

टिप्पणियां :

1. इस प्रतिपत्री फॉर्म को, स्वीकृति के लिए, विधिवत पूरा भरकर बैठक के आरंभ होने से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवायें।
2. संकल्पों के लिए कृपया कंपनी की 62वीं वार्षिक आमसभा की सूचना देंखे।
3. यह मात्र विकल्प है। कृपया बाक्स में दिये गए संकल्पों के प्रति उपयुक्त कॉलम में (√) करें। यदि आप ''पक्ष'' अथवा ''विपक्ष'' के किसी अथवा सभी कॉलम खाली छोड़ देते हैं तो आपका प्रतिपत्री जैसा उपयुक्त समझे वोट करने का पात्र होगा/होगी।
4. कृपया प्रस्तुत करने से पूर्व ऊपर खानों में सदस्य (यों) के ब्यौरे सहित पूरा विवरण भरें।

*इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारी निवेशकों के लिए।